खण्ड-268, अंक-8
गुरूवार, 13 श्रावण, शक संवत् 1888
(4 अगस्त, 1966 ई0)

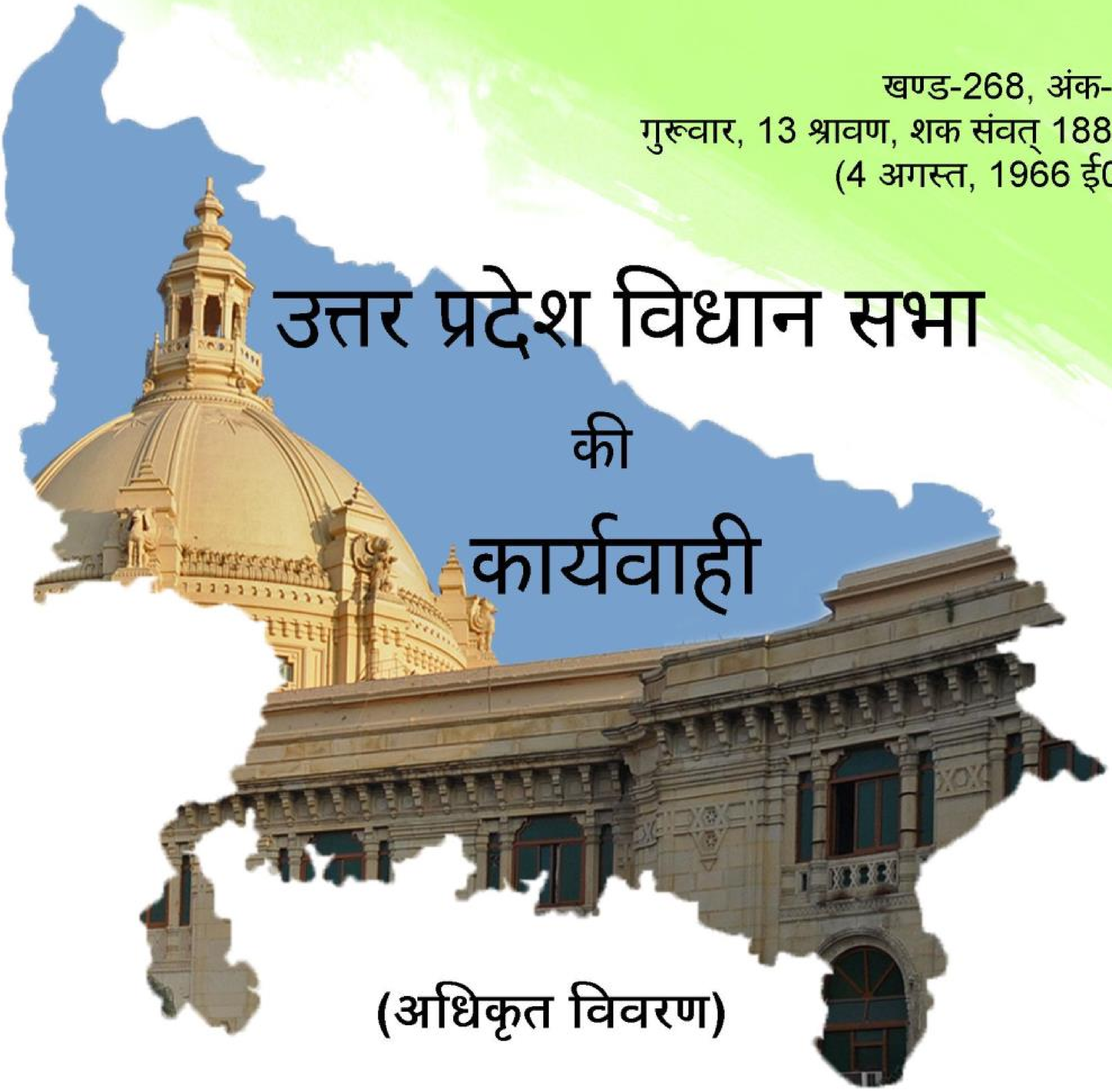

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 268 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५७९–५८३
प्रश्नोत्तर (जारी)	५८३
प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति	५८३–५८४
प्रश्नोत्तर	५८४–६०५
श्रम मंत्री द्वारा श्री ब्रह्मदत्त मायर के प्रति कथित असंसदीय शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६०५–६०८
सहारनपुर में सड़ा गेहूं पिसवाने तथा उसे सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिकवाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६०८–६१०
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	६१०–६११
प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के पाठ्य-क्रम की कुछ पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६११–६१५
बलिया जिले में घाघरा नदी पर बनी एक ठोकर के बह जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१५
लखनऊ-कानपुर मार्ग पर बंथरा ग्राम में विदेशी हथियारों का भंडार पकड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१५–६१६
सभा सचिव द्वारा वक्तव्य दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न ..	६१६–६१७
जनसंघ दल के एक सदस्य का अपने दल से त्याग-पत्र	६१७
राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा ..	६१७–६१८
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्त पारित)	६१८–६५१
प्रदेश में सीमेंट की चोर बाजारी तथा उसमें मिलावट के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा	६५१–६५७
नस्थियां	६५८–६५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ अगस्त, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३५४

अजीज इमाम, श्री
अतीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हमीद खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवजनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह विसेन तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ४ अगस्त, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१–२– श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

[५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३— श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[४थे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रश्नों के स्थगन पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, मैं नत्थी (क) के प्र० सं० ३ की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरे प्र० सं० १ और २ मथुरा जिले के सम्बन्ध में थे, वहां अब भी किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसको क्यों स्थगित किया? और अगर स्थगित हुआ था तो तीन दिन पहले मेरे पास सूचना आनी चाहिये थी। आज सुबह इत्तला मिली है स्थगित होने की।

श्री अध्यक्ष —

आप कृपा कर के मेरे पास आ जायें तो मैं पत्रावली देख लूंगा कि क्या बात है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला अलमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय शिवचरण का प्रश्न देखें। एक परिवार के लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी और वह मर गये। यह सवाल सार्वजनिक महत्व का है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसको स्थगित किया गया है ५ वें गुरुवार के लिये जब कि सदन बैठने वाला नहीं है, तो तब के लिये स्थगित करने का क्या औचित्य है?

श्री अध्यक्ष —

प्र० सं० १–२, १८ जुलाई को सरकार के पास भेजे गये और प्रश्न संख्या ३, १९ जुलाई को भेजा गया। अब १५ दिन का वह नोटिस मांगते हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

१५ दिन हो गये। आप उनको समय दे चुके हैं और गोली चलने की बात है .....

श्री अध्यक्ष — आप कृपा कर बैठें। नियमों के अन्तर्गत ....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

ऐसे सवालों को १५ दिन या १ महीने के नोटिस पर नहीं दीजिये। अब यह तो सवाल आने वाला नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह प्रश्न अल्पसूचित दिया था और उसको तारांकित कर दिया गया। इस कांड के लिये मैंने मथुरा से तार भेजे थे माननीय मुख्य मंत्री, आई० जी० और डी० आई० जी० के यहां...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न आयेगा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—

जिन परिस्थितियों में हम चल रहे थे वह आप जानते हैं। १८ जुलाई की यह बात है जिस जमाने में हमारे सामने कठिनाइयां थीं, हमारे यहां तो सिविल सचिवालय में स्ट्राइक चल रही थी इसलिये विलम्ब होना स्वाभाविक बात थी। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये इतना कहा जाय।

(नत्थो 'ख' के लेने पर)

श्री शिवचरण—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष —

उसके बाद कहियेगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर जिले में चोरियां तथा डकैतियां

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर) तथा श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जिले तथा नगर में दिनांक १ जनवरी, १९६६ से १७ फरवरी, १९६६ तक कितनी डकैती तथा चोरी की वारदात किस-किस दिन हुई? और उनमें से कितने मामलों में पुलिस कार्यवाही हुई और क्या?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

वांछित सूचना संलग्न तालिका† में दी हुई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर —

तालिका देखने से आपको जानकारी होगी कि नगर क्षेत्र में जितनी चोरियों की वारदातें हुईं यह डेढ़ महीने का मैं पूछ रहा हूं, १ जनवरी से १७ फरवरी तक ३१ चोरियां हुई, उनमें

†छापी नहीं गई।

से सिर्फ ८ आदमियों का चालान कर पायी पुलिस और बाकी जिले के अन्दर १४८ चोरियां हुईं उनमें से सिर्फ १४ केसेज में चालान हुआ और १५० केसेज में लापता हैं कह कर टाल दिया। मैं जानना चाहता हूं कि जिले के अन्दर जो अराजकता है उसकी रोकथाम करने के लिये वह क्या प्रबन्ध करने जा रहे हैं ?

श्री वंशीधर पाण्डेय —

अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में ७९ घटनायें हुईं। ७४ में जांच की गयी। ५१ मामलों का पता नहीं चला। १६ में चालान किया गया और ७ में जांच चल रही है। देहाती क्षेत्रों में १४८ घटनायें हुईं। १३४ मामलों में जांच की गयी, १४ मामलों में जांच नहीं की गयी। १८ में चालान किया गया, २७ मामलों में जांच चल रही है और ८९ मामलों में कुछ पता नहीं चला। ऐसे मामले जिनमें शिनाख्त नहीं हो पाती जैसे कत्ल वगैरह हैं अफसरान को हिदायत दे दी गयी है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें—रोकथाम के लिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

थाने में रिपोर्ट वह लिखी जाती है जिसको पुलिस टाल नहीं सकती। छोटी-मोटी चोरियां तो लिखी ही नहीं जाती हैं। तो क्या माननीय मंत्री जिला अधिकारियों को आदेश देंगे कि इनकी रोक-थाम के लिये तुरन्त कार्यवाही करें ?

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि कार्यवाही हुई और इतने मामले में चालान हुआ, इतने मामले में जांच हो रही है, शेष में कुछ पता नहीं चला, कार्यवाही तो हुई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

९० फीसदी केसेज में लापता कहा गया है। वास्तव में पुलिस ने टाल दिया और कोई कार्यवाही नहीं की तो क्या माननीय मंत्री जिलाधिकारियों को आदेश देंगे कि उन पर वह कार्यवाही करें और अराजकता को आगे बढ़ने से रोकें ?

श्री वंशीधर पाण्डेय—

इस प्रकार के आदेश जिलाधिकारियों को पहले से ही हैं। उनकी सतर्कता है लेकिन जिन केसेज में तफतीश में मामले साबित नहीं हो सके तो फिर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री ऊदल (जिला बाराणसी)—

इस तरह की हालत पूरे प्रदेश में है और क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उनकी ठीक से जांच नहीं हो रही है जिससे केसेज छूट जाते हैं, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार करके ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे केसेज की जांच हो सके और ज्यादा से ज्यादा केसेज न्यायालय में जा सकें और उनमें सजा दिलवाई जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी मंशा शायद यह है कि केसेज में सबूत नहीं मिल पाने से उनका चालान नहीं हो पाता है। आप सुझाव दीजिये कि क्या करना चाहिये, आप यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ट्रेनिंग उनको दी जाय।

श्री ऊदल —

क्या सरकार वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल कराने के आदेश जिला अधिकारियों को देगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सरकारी अधिकारियों की सतर्कता में कोई कमी नहीं है । इसके अलावा जनसहयोग की भी आवश्यकता होती है शहादत आदि में क्योंकि जनता गवाही देने में हिचकिचाती है जिससे जांच पड़ताल में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है । वैसे जिला अधिकारियों की या पुलिस को काफी सतर्कता से छानबीन करने के आदेश हैं ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि ३०, ३१ जनवरी को जो चिलकाना में डकैती हुई वह थाने से एक फर्लांग पर हुई और उन्हीं डकैतों ने आगे बढ़ कर दो मील पर पखेड़ में डकैती डाली । तो जो यह अफवाह वहां है कि ये दोनों डकैतियां एस० ओ० की साजिश से हुईं इसकी जांच माननीय मंत्री जी करवायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, दोनों डकैतियों में जांच चल रही है और जो इन्चार्ज एस० आई० हैं वह उसकी जांच कर रहे हैं और ६ व्यक्तियों को पकड़ा भी है ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जितने केसेज इसमें दिखाये गये हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो कागनिजेबिल हैं, जिनको अदम तफतीश कर के छोड़ दिया गया और तफतीश नहीं की गयी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसकी डिटेल्ड सूचना तो हमारे पास नहीं है ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जिन चोरियों के विषय में बताया कि लापता हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जो नामजद हैं और कितनी गैरनामजद हैं । जो नामजद हैं उनका प्रोसेस है कि उनकी प्रापर्टी अटैच हो सकती है । तो फिर लापता होने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय —

जिनके भी सबूत मिले वह सब लापता में नहीं रखे गये हैं । लापता यही हैं जिनका कोई संकेत नहीं मिल सका । जैसे गल्ले की चोरी हो जाय तो उसका कोई संकेत मिलता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

"लापता" शब्द का प्रयोग जो आपने किया उसका मतलब यह हुआ कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम रिपोर्ट में लिखाया गया था और अब पता नहीं चलता कि वह कहां गया ।

श्री बंशीधर पाण्डेय —

श्रीमन्, १४८ केसेज हैं हर केस के बारे में अलग-अलग सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में पोस्त की कीमत १६ रुपये किलो है और सहारनपुर में ८ आने किलो है, इसलिये वहां की तमाम पोस्ती यहां आ गये हैं और ज्यादातर चोरी वही लोग करते हैं, इसलिये क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि वहां के पोस्ती यहां न आ पायें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसकी लिखित सूचना दें। कोई स्पैसिफिक केसेज होंगे तो सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुये कि जो सूची मंत्री जी ने सदन की मेज पर प्रस्तुत की है उसमें बहुत से केसेज ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हो पायी और लापता लिखा गया है, तो वैज्ञानिक ढंग से जांच कराने के लिये जो कुत्तों का प्रशिक्षण कर रहे हैं उनका इस्तेमाल मंत्री जी इन चोरियों में करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इतने बड़े पैमाने पर यह असम्भव है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

सहारनपुर जिला एक सरहदी जिला है और सरहदी जिलों में ही ऐसी घटनायें घटती हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसे सरहदी जिलों में कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था की है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मान्यवर, सरहद पर बड़ा खतरा रहता है और स्वाभाविक रहता है कि बीच के इलाके पर ज्यादा चौकसी की जरूरत होती है और सरकार उसके लिये सजग है।

सिंचाई मंत्री के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें दिनांक २५ अप्रैल, १९६६ को सिंचाई मंत्री उत्तर प्रदेश के विरुद्ध उच्च सैनिक अधिकारियों और देहरादून के सम्मानित नागरिकों की ओर से यह शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है कि सिंचाई मंत्री ने अनधिकृत रूप से कोई सौ बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

२५ अप्रैल, १९६६ को सिंचाई मंत्री के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि २५-४-६६ को सिंचाई मंत्री के खिलाफ कोई शिकायती-पत्र नहीं मिला है। मेरा कहना यह है कि उसके आस-पास किसी और तारीख को मिला, जिसमें सर्वेयर जनरल ब्रिगेडियर श्री गम्भीरसिंह तथा दूसरे आदमियों के दस्तखत हैं, जिसमें शिकायत है कि देहरादून में सिंचाई मंत्री जी ने कई सौ बीघे जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इन व्यक्तियों के दस्तखत से एक पत्र २६ मार्च, ६६ को प्राप्त हुआ है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सिंचाई मंत्री जी ने यह पद संभाला था तो बिजनौर और देहरादून में उनके कितने एकड़ के फार्म थे और अब कितने एकड़ के हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मंत्री जी की कितनी जायदाद है इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री शारदानन्द राय —

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगी कि उस शिकायती-पत्र में क्या-क्या शिकायतें हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मेन शिकायतें दो हैं । एक तो फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कुछ जमीन दी है उसकी शिकायत है और दूसरी यह कि सिंचाई का पानी वह अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं । ऐसी शिकायतें हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

जब सिंचाई मंत्री ने पद संभाला था तो मुख्य मंत्री को लिखकर दिया था या नहीं कि उनके पास कितनी चल और अचल सम्पत्ति है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

मंत्रिगण ने अपनी जायदाद की फेहरिस्त मुझे जरूर भेजी है । वह कांफीडेंशियल रखी हुई है । यह जमीन उनके नाम न होकर मदनलाल के नाम है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि जो शिकायत आई है वह उनकी जानकारी में निराधार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

यह पत्र मैंने गिरधारीलाल जी के पास भेजा था कि वह खुलासा दें । उन्होंने कहा है कि यह शिकायत निराधार है । कुछ अदावत के कारण यह शिकायत उनके खिलाफ की गई है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया) —

मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया है कि यह शिकायत निराधार है । तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं क्या इन्क्वायरी की और उसके आधार पर उनको क्या तथ्य प्राप्त हुए ? क्योंकि आपने गिरधारीलाल जी के कथन के आधार पर इसे निराधार माना है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जांच करने का समय तब आता है जब उनसे जवाब मिल जाए, उनसे जवाब इसी जुलाई में मिला है और तब से अब तक मैं दूसरे कामों में बहुत मशगूल रही हूं और इसी कारण फर्दर जांच अभी नहीं करा पाई हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी —

अब उनका जवाब पाने के बाद आप क्या आगे कोई जांच कराएंगी ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्होंने जो बातें कही हैं वे फारेस्ट और सिंचाई डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित हैं, डिपार्टमेंटों से जानकारी करने के बाद यदि उनकी बातें उनसे टैली करती हैं तो जांच कराने का कोई सवाल नहीं आता, किन्तु यदि उनकी सूचना है और डिपार्टमेन्ट से प्राप्त सूचना टैली नहीं करती और मेरे मन में कोई शक हुआ तो मैं फर्दर इंक्वायरी की बात सोचूंगी ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब के पास इस तरह के दो फार्म्स हैं एक तो रानी पोखरी, जिला देहरादून में और दूसरा केहरोपुर, जिला बिजनौर में जो हरिजनों के नाम से लिया गया । यह पहले सर्वानन्द स्वामी के नाम से था और सीलिंग के समय बेटू के नाम किया गया और

अब यह फार्म इनके भाई भतीजों के नाम से दिखाए गये हैं, यही नहीं इनके पी० ए० राजकिशोर कोहली के नाम से भी लिया गया है जब कि कोई भी पैसा रजिस्ट्री में नहीं दिया गया है। इनका एक भांजा मदन है उसके नाम भी बिजनौर की जमीन है। इन फार्मों पर गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया खर्च होता है और यहां पर इनकी देख-भाल और इंतजाम सरकारी कर्मचारी ही करते हैं। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि श्री भूतनाथ ने, जो चुनाव में इनके खिलाफ खड़ा हुआ था, जो शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी और नन्दा जी के पास भी रजिस्टर्ड भेजा है उस पर मुख्य मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

मुझे तो इस समय भूतनाथ जी की कोई शिकायत याद नहीं पड़ रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से बताने की कृपा करेंगी कि चौधरी गिरधारी लाल के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं ? उनकी जांच कब तक और किससे कराई जाएगी ?

यह एक मंत्री के खिलाफ शिकायत का मामला है इसमें तहसीलदार या डिप्टी कमिश्नर द्वारा जांच का कोई अर्थ नहीं होगा, इसमें किसी वरिष्ठ मंत्री जैसे हुकुमसिंह जी आदि से कराना आवश्यक होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने अभी जवाब दिया है, मैंने तो किसी तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर का नाम नहीं लिया। मैंने तो कहा अभी मैं देखूंगी और जैसी आवश्यकता समझी जायगी वैसा किया जायगा।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी सच्चाई को जान बूझ कर छिपा रही हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री के खिलाफ जो सीरियस चार्जेज हैं उनका वह जवाब नहीं देना चाहती हैं, टालना चाहती हैं और उसे दबाना चाहती हैं। उन्होंने यह कह कर कि जो शिकायतें हैं निराधार हैं उन्होंने अपनी मंशा प्रकट कर दी है। हिन्दुस्तान के एक मशहूर अखबार ब्लिट्ज में २५ जून को इस शिकायत का विस्तृत जिक्र छपा है। आज तक उन्होंने उसका कोई प्रतिवाद भी नहीं किया है, इससे सिद्ध हो जाता है कि यह सारे चार्ज सही हैं। तो क्या मुख्य मंत्री जी इसे देखते हुये विजीलेंस कमीशन से उसकी जांच कराने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

अभी तो यह मामला विचार में है, कोई अन्तिम निर्णय अभी इस पर नहीं हो पाया है। दूसरी बात "ब्लिटज" मशहूर अखबार हो सकता है, लेकिन उसका कोई सुनाम नहीं है, मैं जानती हूं कि उसमें कैसी-कैसी खबरें छपती हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनकी निगाह में प्रेस की यह रिपोर्ट आई है या नहीं। ब्लिटज की रिपोर्ट बहुत लोग खण्डन करने की जरूरत नहीं समझते।

नजीबाबाद क्षेत्र के किसानों का लक्सर चीनी मिल पर बकाया

*३—श्री श्रीराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बिजनौर जिले में किसानों का नजीबाबाद जोन का लक्सर शुगर मिल पर कितना रुपया पड़ा है ? यदि पड़ा है तो क्यों ?

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

प्राप्त सूचनानुसार लक्सर चीनी मिल पर गन्ने के मूल्य का बिजनौर जिले के नजीबाबाद जोन के किसानों का कुछ भी रुपया बकाया नहीं है।

*श्री श्रीराम—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगी कि किसानों का नजीबाबाद में गन्ना बाण्ड करने का कितने सालों का रुपया है ? यदि बान्ड का रुपया कई वर्षों से सोसाइटी पर है तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

प्राप्त सूचनानुसार नजीबाबाद गन्ना समिति द्वारा अतिरिक्त सट्टे (एडीशनल बौन्डिंग) के लिये जिन वर्षों में जमानत का रुपया जमा हुआ था उस जमानत की रकम से जो रुपया किसानों को देना शेष है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। समिति द्वारा इस बकाया रकम का भुगतान किसानों को किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५८ पर)

श्री श्रीराम —

जो छपा उत्तर है उससे मंत्री जी का उत्तर भिन्न है। इसमें रुपये का और गवर्नमेन्ट के शेष रुपये का जिक्र नहीं है। इसके दूसरे पृष्ठ पर लिखा है कि ६२ का हिसाब छांटा जा रहा है और उसके बाद बतलाया जा सकता है। किसानों द्वारा मिली सूचना के अनुसार यह है कि किसानों का बहुत रुपया लक्सर शुगर मिल पर पड़ा है और जब किसान अपना रुपया लेने गये तो डी० सी० ओ० ने कान पकड़कर निकलवा दिया। तो क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर किसानों को रुपया दिलाने के लिये डी०सी०ओ० को आदेश देंगी कि बिजनौर में नजीबाबाद जोन का रुपया दिलवाने में वे मदद करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने सरल सा उत्तर दे दिया है कि लक्सर मिल ने ३०-६-६६ से पूर्व का तमाम रुपया दे दिया है। एक बात यह है कि हम जब गन्ने का बांड करते हैं तब कुछ रुपया जमा करा लेते हैं। तो जो सिक्योरिटी है उसमें से कुछ रुपया हमने जब्त कर लिया है थोड़ा-सा जो बाकी है उसके फिगर्स दे दिये गये हैं।

किच्छा चीनी मिल को ऋण

*५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किच्छा शुगर फैक्ट्री में कितना रुपया सरकार का किस-किस माली साल में किस-किस रूप में लगाया गया था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा —

राज्य सरकार ने सहायता रूप में ४० लाख रुपये का ऋण २०-२० लाख रुपये की दो किस्तों में क्रमशः मार्च, १९५७ और मार्च, १९५८ में दिया।

*६— श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेंगी कि किच्छा शुगर फैक्ट्री कब बनना शुरू हुई थी, कब तैयार हुई और पिछले तीन सालों में इसने कितना गन्ना पेरा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

किच्छा शुगर फैक्टरी लगाने के लिये बिस्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन को ८ मार्च, १९५६ में भारत सरकार द्वारा लाइसेन्स प्रदान किया गया। वित्तीय कठिनाइयों के कारण किच्छा चीनी मिल का निर्माण अभी पूरा नहीं हो सका। आशा है इन्डस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन से वांछित ऋण प्राप्त होने पर यह मिल आगामी सीजन से पेराई का कार्य आरम्भ कर सकेगी।

श्री मुहम्मद रफी खां—

इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन से रुपया अगर न मिल सका तब भी क्या इस मिल की यह पोजीशन होगी कि वह काम चला सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर नहीं होगा तो नहीं चला सकेंगे ।

श्री मुहम्मद रफी खां—

अध्यक्ष महोदय, उस इलाके में बहुत बड़े-बड़े काश्तकार हैं और वहां एक गन्ने के मिल की आवश्यकता है । तो क्या सरकार उस मिल को अपने हाथ में लेकर चलायेगी अगर ये मिल मालिक न चला सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो अपने हाथ में लेने का विचार नहीं है ।

श्री झारखण्डेराय—

किच्छा शुगर फैक्ट्री के बनकर तैयार होने और गन्ना पेरना आरम्भ होने के समय में इतना गैप क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

किच्छा शुगर फैक्ट्री एक प्राइवेट कम्पनी है । वे रुपये और दूसरी चीजों का इन्तजाम नहीं कर पाये होंगे इसलिये फैक्ट्री नहीं चल सकी ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

किच्छा शुगर फैक्ट्री ५६ में बनना शुरू हुई । जब तक माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मंत्री रहे तब तक इसे इमदाद मिलती रही । उसके बाद ६५ तक इन्हें कुछ नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि इसके मिल मालिकान को यह आश्वासन दिया गया था कि तुम मिल शुरू करो सरकार सहायता देगी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि ५ वर्ष हो गये रुपया इनको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जहां तक इस प्रदेश का संबंध है, प्रदेश की सरकार ने उसको रुपया दे दिया था । फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से भी उसको रुपया पहले दिया जा चुका है । हमने जो इसको रुपया दिया उसको भी दो साल हो गये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतायेंगे कि कितना रुपया इस कम्पनी को भारत सरकार से और किसानों से मिला ? वैसे इस कम्पनी को रुपये की कमी नहीं है । गतवर्ष भी सरकार की ओर से उत्तर दिया गया था कि अग्रिम सीजन में जो बोल गया यह मिल चालू हो जायगी । तो क्या यह सही है कि जो मिल कम्पनी में साझीदार हैं वे इस मिल को चलाना नहीं चाहते हैं और रुपये को अन्य कामों में लगाकर समय यापन कर रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस किच्छा शुगर मिल को इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की तरफ से १ करोड़ रुपया देने का वादा किया गया था, वह किन्हीं कारणों से उसको अभी तक नहीं मिला, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फाइनेन्स कारपोरेशन से उनको १ करोड़ रुपया मिलने की बात थी और उन्होंने कुछ रुपया दिया भी है। असल में बात यह है कि उसके खिलाफ १ करोड़ रुपया इनको इकट्ठा करना था जिसमें से ५१.५२ लाख रुपया अपना यह इकट्ठा कर चुके हैं। अभी इनको ४८.४८ लाख रुपया और लाना था। उसमें १० लाख रुपये का शार्ट फाल है। जो रुपया काश्तकार या दूसरे लोगों को देना था वह उन्होंने अभी दिया नहीं है। यह शार्ट फाल पूरा हो जाय तो वे एक करोड़ पूरा कर देंगे।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस मिल के कब तक चल जाने की सम्भावना है?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह हम नहीं बता सकते हैं लेकिन हमने यह काम किया है कि उसको कोआपरेटिव के चीफ इंजीनियर और एक पी० सी० एस० मैनेजर को उसके इरेक्शन के काम पर लगा दिया है। वह पूरा रुपया न मिलने की वजह से देर हो रही है अगर वह रुपया मिल गया तो जल्दी ही काम पूरा होगा और मिल चल जायगी। आशा है कि जल्दी ही उनको रुपया मिल जायगा।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी इस मिल के पूरे मामले को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि इस पूरे मिल को अपने हाथ में लेकर सरकार स्वयं ही चलाये?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर सरकार इसको अपने हाथ में ले ले तो ४, ५ साल और पीछे हो जायेंगे।

*७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[२१ जुलाई१, ९६६ को प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इलाहाबाद जिले से एस० डी० एम० के तबादले

*८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रयाग जिले में इस समय काम करने वाले ऐसे कितने एस० डी० एम० हैं जो इसी जिले में तीन वर्षों से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

केवल दो हैं। शेष तीन वर्ष से अधिक वालों के स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

सरकार की तरफ से जब नियमों का उल्लंघन होता है तो सरकारी कार्य पर उसका बहुत असर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो दो शेष हैं उनके तबादले के लिये कब तक वह आदेश कर देंगे?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनके तबादले के आदेश नहीं करेंगे क्योंकि उसका कारण है जिसकी वजह से उनको रोक लिया गया है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

कन कारणों से उनको रोक लिया गया है क्या यह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री शान्तिस्वरूप शर्मा—

एक स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर हैं, जो सेन्ट्रल प्रोजेक्ट के लिये कुछ जमीन ली जा रही है, उसके एक्वायर करने से उनका संबंध है। अगर उनको बीच में ट्रान्सफर कर दिया जायगा तो उसमें ज्यादा देर लग जायगी। यह उचित नहीं है कि बीच में ही उनका ट्रान्सफर कर दिया जाय।

गंगागढ़ निवासी पं० खूबचन्द के घर कत्ल सहित डकैती

*९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि ता० ११ अप्रैल, १९६६ को ग्राम गंगागढ़, सोरों, जिला एटा के पं० खूबचन्द के यहां डकैती पड़ी जिसमें खूबचन्द के भाई भूरेलाल की पत्नी श्रीमती गौरी देवी को डकैतों ने गोली से मार दिया और कई व्यक्ति गोली से जख्मी किये गये हैं? यदि हां, तो उसमें पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्न में उल्लिखित डकैती की घटना तथा उसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो डकैती पड़ी उसमें कितने लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थी?

श्री बंशीधर पांडेय—

दो आदमियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट थी और कुल १४, १५ आदमी थे। बाकी के लिये कहा गया कि देख कर पहचान सकते हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या यह बात सही है कि इन दो व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया था और बाद में वे स्वयं न्यायालय में हाजिर हुये?

श्री बंशीधर पांडेय—

बात यह सही है कि दफा ८७, ८८ में जब उनके खिलाफ कार्यवाही हुई तो इनमें से एक ने २५ मई और दूसरे ने ३० मई को ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में जाकर सरेन्डर कर दिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि पुलिस ने एक बार पकड़ कर रिश्वत ले कर छोड़ दिया था और फिर बाद में उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसकी सूचना नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जो लोग पकड़े गये हैं उनके पास कोई माल बरामद हुआ या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

एक सोने की सांकल झम्मनलाल सुनार के यहां मिली है और बाकी माल की कोई सूचना नहीं मिली ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

जिस सुनार के यहां यह सोने की चीज मिली उससे और पूंछताछ की गयी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सुनार का बयान मान्यवर, मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बतायेगी कि जो दोनों व्यक्ति अदालत में हाजिर हो गये उनको अपने कब्जे में लेने के लिये पुलिस ने प्रार्थना पत्र दिया अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दोनों व्यक्ति पकड़े गये और उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाने के लिये लिख दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरा सवाल साफ था कि जब वे अदालत में हाजिर हो गये तो पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लेने के लिये ताकि पूंछ तांछ हो सके, कोई दरख्वास्त दी अथवा नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पुलिस ने जो उचित समझा वह किया ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

इस डकैती में एक औरत मारी गयी, २ बच्चे घायल हुये और ४, ६ घर लुटे । दो आदमी जो पकड़े गये उन्होंने सब बतलाया, फिर भी उत्तर मिला है कि जांच जारी है जब कि इसे काफी समय हो गया है । तो यह केस दबाया क्यों जा रहा है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसको दबाने का प्रश्न नहीं है । केस में तो बहुत कार्यवाही हो गयी है । दो आदमियों ने तो सरेंडर कर दिया । एक जो सबसे सक्रिय सदस्य था, १० जून को केसरीचन्द उपनाम बिजली मास्टर, महावीरा के गैंग का वह पकड़ा गया । जो सूचना है उसके अनुसार २१ को डकैती में उसके ४ आदमी मारे जा चुके हैं । बाकी लोगों के खिलाफ कार्यवाही जारी है, तफतीश हो रही है, और जो पकड़े जायेंगे, पुलिस उनको बन्द करेगी ।

सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग

*१०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांस्कृतिक क्रियाकलाप विभाग के अन्तर्गत "मैटर फार कल्चरल इन्टरेस्ट" का निर्माण कब हुआ ? और इस के संबंध में कोई नियम बनाया गया है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

सांस्कृतिक कार्य तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के बजट के अन्तर्गत पहले-पहल वर्ष १९५९–६० में "ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के विषय" शब्दों का व्यवहार हुआ। इस प्राविधान के संबंध में नियम बनाये जा रहे हैं।

*११—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६३ से १९६६ तक उक्त संस्था में कितना रुपया सन् वार मंजूर किया गया और कितना व्यय इस संबंध में हुआ ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष १९६२–६३ से १९६५–६६ तक कितना रुपया इस मद में मंजूर हुआ और जितने रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया उसका ब्योरा निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष			रुपया जो मंजूर हुआ	रुपयों का अनुदान जो स्वीकृत किया गया
१९६२–६३	..	..	१,२०,०००	१,२६,७७८
१९६३–६४	..	..	१,२०,०००	१,७८,७९९
१९६४–६५	..	..	१,२०,०००	१,४८,७५१
१९६५–६६	..	..	१,२०,०००	९७,०००

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

प्रश्न ११ से संबंधित जो उत्तर दिया है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिठूर में जो एक पौने दो सौ वर्ष पुराना मंदिर है जिसके निरीक्षण की स्वयं आपने कृपा की है, उसकी मरम्मत के लिये कितना रुपया मंजूर किया गया, क्योंकि मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है ?

डाक्टर सीताराम—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस संस्था द्वारा कौन-कौन सा कार्य किया जा रहा है और उसके नियम १९५९ से आज तक क्यों नहीं बने ?

डाक्टर सीताराम—

यह वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्यकलाप विभाग एक बिलकुल नया विभाग सन् ५७ में कायम हुआ। १९६० से, जैसा कि प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है इसके द्वारा ऐतिहासिक महत्व की वह संस्थायें जो इस परिभाषा के परव्यू में आर उनके संबंध में कार्य किया जा रहा है, जैसे कि ऐतिहासिक महत्व के स्मारक, मानूमेंट इत्यादि, उसकी मरम्मत कराना। १९६२ से अब तक जो जो रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है और खर्चा किया है, वह बताने का प्रयत्न किया गया है। किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना रुपया दिया गया वह एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वह देखना चाहें तो दिखा देंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

जब इस विभाग के नियम नहीं बने तो कैसे यह रुपया खर्च किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

आवेदन-पत्र विभाग को दिये जाते हैं, फिर वह अधिकारियों द्वारा जांच कराये जाते हैं और जिलाधीश से भी उस पर टिप्पणी मांगी जाती है और सेक्रेटेरियट के डिपार्टमेंट तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट से हर एक मद के लिये एप्रूवल लिया जाता है। बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट के एप्रूवल के यह विभाग एक भी पैसा खर्च नहीं करता। इसलिये मोटी मोटी बातें बतला दूं। सांस्कृतिक कार्य कलाप में कौन-कौन से कार्य किये जायं, यह तो बहुत बड़ी जानकारी हो जायेगी। संक्षेप में मैं बता दूं कि जैसे सन् ६२–६३ में महात्मा गांधी की स्टेच्यू स्टेट म्यूजियम में स्थापित की गई। साथ ही साथ सारनाथ (वाराणसी) में रूट्स बनाने के लिये रुपया दिया गया। भारती कला-भवन, वाराणसी को कलात्मक एक्टीवीटीज के लिये एक हजार रुपये दिये गये, आदि-आदि।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, यह धन जो व्यय होता है वह क्या मंत्री जी के डिस्क्रिशन तरीके से व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, सन् ६५–६६ में बहुत कम व्यय हुआ है इस संबंध में। इस वर्ष बजट था १ लाख ३ हजार रुपये का और केवल ९० हजार रुपया ही खर्च हुआ है। इसका क्या कारण है ? इसके अतिरिक्त जो नियम बन रहे हैं वे कब तक फाइनल हो जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

डेढ़ साल से नियम बन रहे हैं और आशा की जाती है कि वे शीघ्रातिशीघ्र यानी दो तीन महीने के अन्दर बनकर तैयार हो जायेंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो रुपया मंजूर हुआ है इसमें से कितना रुपया लैप्स हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—

जहां तक मुझे सूचना है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स डिपार्टमन्ट के पास आते हैं, तभी वे दूसरा रुपया देते हैं एक खर्च होने के बाद। लैप्स होने के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

बहुत से ऐतिहासिक स्थान ऐसे हैं जो प्रार्थना-पत्र नहीं दे सकते हैं, तो क्या मंत्री जी स्वयं निरीक्षण कराके उनका उद्धार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

लखनऊ, इलाहाबाद बनारस और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को ५,००० रुपये का अनुदान दिया गया है उन ऐतिहासिक स्थानों के लिये जो भग्नावशेष की अवस्था में हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

जब यह डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट नहीं है और रूल्स भी नहीं बनाये गये हैं तो इस तरह से रुपया क्यों खर्च किया गया और जब ८ लाख रुपया खर्च हुआ तो इसका स्तर कुछ ऊंचा किया गया या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

सरकार के नियमों के अनुकूल ही रुपया दिया गया है। सरकार को उन कार्यों की प्रगति में काफी संतोष है।

राज्य पुरातत्व विभाग में श्री दीन दयाल का आवेदन-पत्र

*१२—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १९६४, १९६५ और १९६६ में राज्य पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित असरकारी सदस्यों द्वारा विदेश यात्रा के लिये सहायतार्थ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो उन दरख्वास्तों पर मुख्य मंत्री द्वारा स्वविवेक फण्ड से क्या-क्या सहायता दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

१९६४–१९६५ में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। १९६६ में केवल एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। कोई सहायता नहीं दी गयी क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं समझा गया।

श्री कमलासिंह यादव—

यह किसका प्रार्थना-पत्र था और उस पर क्या आज्ञा हुई?

डाक्टर सीताराम—

काशी विद्यापीठ के श्री दीनदयाल जी ने २५०० रुपये के लिये प्रार्थना पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया जो उन्होंने मेरे पास भेजा। वह थाईलेण्ड में वाराणसी के एक प्राइवेट कल्चरल डेलीगेशन के साथ जाना चाहते थे। विभाग से और प्रशासकी विभाग ने भी अपोज किया चूंकि बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। रुपया नहीं दिया गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

छतरपुर में जो ६ लाख रुपया खर्च हुआ उससे क्या नई चीज प्राप्त हुई?

डाक्टर सीताराम—

इससे इसका कोई संबंध नहीं है।

[४ अगस्त, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

होम गार्ड्स शिविर, कायमगंज पर व्यय

*१—श्री रियायत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड का वह कैम्प बटालियन रूरल २ का जो ७ जनवरी, १९६४ से ७ फरवरी, १९६४ तक कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में हुआ उस पर कुल खर्चा सरकार ने कितना किया और और उसके हिसाब की जांच किसके द्वारा की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

होम गार्ड्स द्वितीय बटालियन (कायमगंज) फर्रुखाबाद का एक सामूहिक शिविर आयोजित किया गया था जिसमें कायमगंज तथा बढ़पुर ग्रामीण कम्पनियों के होम गार्ड्स को क्रमशः ७–१–६४ से ७–२–६४ तथा १९–१–६४ से ८–२–६४ तक प्रशिक्षित किया गया। उक्त शिविर के लिये १३,२०० रुपये की धनराशि स्वीकृति की गई थी जिसमें से कुल खर्च १३,१६१ रुपये और ७ पैसे हुआ। इस व्यय से सम्बन्धित लेखे जोखे की देखभाल प्रभारी अधिकारी, होमगार्ड्स (आफीसर इन्चार्ज, होमगार्ड्स) द्वारा की गई और तत्पश्चात् सम्बन्धित व्यय के वाउचर मूलरूप में जिलाधीश द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को जा चुके हैं।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री जी को यह मालूम है कि यू० पी० होमगार्ड्स स्कीम पैम्फलेट नम्बर १ के अनुसार जो डी० ओ० नम्बर १–२२४–६४ जारी किया गया उसके अनुसार हर होम गार्ड में

भर्ती होने वाले की उम्र १६ साल से कम न हो और ४० साल से ज्यादा न हो, परन्तु फिर भी जिला फर्रुखाबाद में जो कमांडेन्ट बनाये गये उनकी उम्र ४० से ज्यादा है और वह टी० बी० के मरीज भी हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां । परन्तु होम गार्ड्स बटालियन तथा कम्पनी आफिसर्स की नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा से छूट निम्न प्रकार के व्यक्तियों को दी जाती है और उनकी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा उनके समक्ष दी गई है :—

	वर्ष
(१) अवकाश प्राप्त मिलिट्री आफिसर्स	५५
(२) अवकाश प्राप्त पुलिस आफिसर्स	५८
(३) अन्य व्यक्तियों (Persons of standing) के लिये	४५

जिला फर्रुखाबाद में होम गार्ड्स बटालियन के कमान्डेन्ट के पदों पर नियुक्ति के समय सर्व श्री विमल प्रसाद त्रिपाठी तथा पी० सी० चतुर्वेदी की आयु लगभग क्रमशः ४० तथा ४२ वर्ष की थी जो कि निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अन्दर थी । जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा श्री पी० सी० चतुर्वेदी, बटालियन कमान्डेन्ट का डाक्टरी मुआयना मेडिकल आफिसर द्वारा कराया गया और वे स्वस्थ पाये गये ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या बटालियन में ऐसे लोग भर्ती किये गये हैं जिनकी निगरानी १०८ और १०९ में होती थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या कोई ऐसा नियम है कि भर्ती से पहले चरित्र की जांच करा ली जाय कि १०८, १०९ में चालान तो नहीं हुआ है, इत्यादि ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नियमों के पालन के पश्चात् ही भर्ती की गई ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या इसकी जांच होम गार्ड्स के कमांडेन्ट, श्री सिराजुद्दीन कर रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

हिसाब किताब की जांच डी० एम० ने उच्चाधिकारियों के पास भेज दी है और शायद ए० जी० के यहां भी पहुंच गई है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि ऐसा नियम है कि "A home guard must be above the age of '16 and below the age of 40 yeears on April 1, 1963,"

यानी ऊंचाई की लिमिट है कि इतने से कम न हो। तो क्या यह सही नहीं है कि फर्रुखाबाद से श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने दरख्वास्त दी और श्री पी० सी० चतुर्वेदी ने भी दी जिनकी उम्र ४२ साल है, बगैर सिविल सर्जन की रिपोर्ट के श्री चतुर्वेदी को इसलिये ले लिया गया कि वह श्री भगवती प्रसाद चतुर्वेदी, डी० आई० जी०, जो होम गार्ड के कमांडेन्ट थे उनके मामा के लड़के हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

नियमों में अधिकतम सीमा ४५ वर्ष की है।

*३—श्री रियासत हुसैन—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४–६—श्री झारखण्डेराय—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आटा चक्की

*७—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की हाथ-चालित आटा चक्की योजना के अन्तर्गत आगरा में ५० प्रतिशत मूल्य पर चक्की बेचने के केन्द्र कहां-कहां हैं और उन पर बिकने वाली विभिन्न साइजों की चक्कियों की कीमत क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय आगरा में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की हाथ चालित आटा चक्की योजना के अन्तर्गत ५० प्रतिशत मूल्य पर चक्की बेचने का कोई केन्द्र नहीं है अतः उन पर बिकने वाली विभिन्न साइजों की चक्कियों की कीमतें सूचित करने का प्रश्न नहीं उठता।

*८—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि पिछले ७–८ मास से आगरा में ५० प्रतिशत मूल्य पर चक्की प्राप्त करने का एक भी स्थान नहीं है और तब से उपभोक्ता पूरे मूल्य पर ही चक्कियां खरीद रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं। आगरा में एक बिक्री केन्द्र खादी ग्रामोद्योग कमीशन से सीधे संबंध रखने वाली संस्था द्वारा चलाया जा रहा है और उक्त केन्द्र से उपभोक्ताओं को ५० प्रतिशत मूल्य पर चक्की प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है।

खादी बोर्ड के अन्तर्गत कानपुर में पदाधिकारी

*९—श्री बालोजी अग्रवाल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ताड़ गुड़ उद्योग सहकारी संघ लि०, कानपुर तथा कुटीर दियासलाई संघ लि०, कानपुर के कौन-कौन पदाधिकारी हैं तथा उपरोक्त संघों को विगत ३ वर्षों में खादी बोर्ड द्वारा कितनी-कितनी धनराशि ऋण एवं अनुदान के रूप में दी गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश ताड़ गुड़ सहकारी संघ लि०, कानपुर के पदाधिकारियों और उनको गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विषय में सूचना इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश ताड़ गुड़ सहकारी संघ लि०, कानपुर के पदाधिकारी

१—उप निदेशक उद्योग (ग्रामोद्योग),....पदेन सभापति, उद्योग निदेशालय, कानपुर ।

२—श्री राम प्रताप सिंह, प्रतिनिधि, ताड़ गुड़ सहकारी समिति लि०, देवपुरा, कानपुर....उप सभापति ।

३—ताल वस्तु विकास अधिकारी, उद्योग निदेशालय, कानपुर....पदेन मंत्री ।

उत्तर प्रदेश ताड़ गुड़ उद्योग सहकारी संघ को गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया गया ऋण एवं अनुदान:—

वर्ष	ऋण	अनुदान
	रु०	रु०
१९६३–६४	१,०५,०००	१,०३,०००
१९६४–६५	४,५५,०००	१,५०,०००
१९६५–६६	—	—

"कुटीर दियासलाई संघ लि०, कानपुर" नामक कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। अतः उसके विषय में सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

"कुटीर दियासलाई औद्योगिक सहकारी संघ लि०, कानपुर" नामक की एक रजिस्टर्ड संस्था अवश्य है, जिसके पदाधिकारियों तथा उसको तीन वर्षों में दिये गये ऋण एवं अनुदान के विषय में सूचना इस प्रकार है :—

कुटीर दियासलाई औद्योगिक सहकारी संघ लि०, कानपुर के पदाधिकारी,

१—उप निदेशक उद्योग (ग्रामोद्योग), उद्योग निदेशालय, कानपुर...पदेन सभापति ।

२—श्री शम्भूनाथ जी, सभापति दीपिका मंत्री गृह उद्योग सहकारी संघ लि० कानपुर....उप सभापति ।

३—अधीक्षक (ग्रामोद्योग) उद्योग निदेशालय, कानपुर.... अवैतनिक मंत्री ।

कुटीर दियासलाई औद्योगिक सहकारी संघ लि०, कानपुर को गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दिया गया ऋण एवं अनुदान :

वर्ष	ऋण	अनुदान
	रु०	रु०
१९६३–६४	७,०००	—
१९६४–६५	३२,९००	१०,९००
१९६५–६६	—	—

वर्ष १९६३–६४ में दिया गया ७,००० रुपये का ऋण इस संघ द्वारा वापस कर दिया गया था ।

उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त कुटीर औद्योगिक सहकारी संघ लि० को १९६३–६४ के उत्पादन पर उत्पादन सहायता (Production subsidy) के रूप में रु० १७,०७१.६७ वर्ष १९६४–६५ में प्राप्त हुआ ।

वर्ष १९६४–६५ के उत्पादन पर उत्पादन सहायता १०,७२५.६५ वर्ष १९६५–६६ में स्वीकृत हुई जो कि दियासलाई संघ को २६–४–१९६६ को प्राप्त हुई ।

*१०–११—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[११वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १–२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आगरा जेल से छाता तहसील के बन्दियों की रिहाई

*१२—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा, तहसील छाता के मु० भजन लाल व जैरान व पुरना व खिलाड़ी व बुद्धी, पुत्र राम गोपाल व बुद्धी, पुत्र बन्ना व रूप सिंह व दिवान सिंह व उदय सिंह की जेल जमानत वाली कमेटी (प्रोबेशन बोर्ड) ने ता० १९ दिसम्बर, १९६५ को रिहा का आदेश पास किया था ? यदि हां, तो उन बन्दियों को जिला जेल आगरा से किस महीने और किस तारीख में रिहा किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं—बोर्ड को रिहा करने के आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और इन बन्दियों के मामलों पर तो बोर्ड ने १९ दिसम्बर, १९६५ को विचार ही नहीं किया । परन्तु शासन के आदेशानुसार भजन लाल के अतिरिक्त प्रश्न में कहे गये शेष व्यक्तियों को जेल से १७ जून, १९६६ मुक्त कर दिया गया है ।

*१३—श्री लखीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त बंदियों के रिहाई के आदेश सरकार ने किस तारीख व महीने में भेजे और यह आदेश कितने दिन मथुरा जिलाधीश के यहां रहा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

भजन लाल के अतिरिक्त शेष व्यक्तियों के रिहाई के आदेश सरकार ने ४ जून, १९६६ को जारी किये थे जो जिला मैजिस्ट्रेट को ८ जून, १९६६ को प्राप्त हुए थे । १५ जून, १९६६ को जामिनदारों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसी दिन सार्टिफिकेट जारी कर दिये गये ।

*१४—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि श्री भजन लाल, पुत्र शिवलाल की फाइल हो गुम है और वह बन्दी अब तक रिहा नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इस का पूरा विवरण सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सही नहीं है कि बन्दी भजनलाल की फाइल गुम है । यह सत्य है कि वह अभी रिहा नहीं हुआ है । उसके मामले पर बोर्ड ने १ जुलाई १९६६ को विचार करके उसे ३ मास पश्चात् रिहा करने की सिफारिश की है और अब शासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री लखीसिंह—

अध्यक्ष महोदय जी, आप देखें कि एक ही मुकदमा था, एक ही सजा हुई, ८ मुल्जिम थे एक साथ ही सबकी जमानत हुई तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भजनलाल को दूसरों के साथ क्यों नहीं छोड़ा गया, इसका कारण क्या था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, बोर्ड ने जो रिहाई की सिफारिश की उसमें यह लिखा कि इनको ३ महीने के बाद छोड़ा जाय। इस वजह से उसको नहीं छोड़ा गया।

श्री लखीसिंह—

यह तो बाद की बात है, उन सातों के साथ उसको भी क्यों नहीं छोड़ा गया ?

श्री अध्यक्ष—

अब इसको बाद को पूछ लीजिये। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*१५—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

(४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३५ के अन्तर्गत स्थानातिरित किया गया।)

*१७–१९—श्री नाथूराम शिक्षक—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३६–३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२०–२१—श्री राजेन्द्रसिंह—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ३९–४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२३—श्री ऊदल—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२४—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

वाराणसी जिले में प्रचार सहायकों की वेतन वृद्धि

*२५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिलान्तर्गत प्रचार सहायक कार्य करने वाले किन-किन कार्यकर्त्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धि दिसम्बर, सन् १९६४ से दिसम्बर, सन् १९६५ तक नहीं लगाई गई ? यदि हां, तो उस पर कब तक उनकी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

श्री शम्भू शरण तिवारी, प्रचार सहायक को छोड़कर सभी प्रचार सहायकों की वेतन वृद्धि लगाई गई है। इनका कार्य संतोषजनक न होने के कारण इन्हें वेतन वृद्धि ही दी गई।

*२६—श्री श्यामलाल—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*२७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८–२९–श्री उग्रसेन—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रान्तीय रक्षक दल के ब्लाक आर्गनाइजर का प्रार्थना-पत्र

*३०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय रक्षा दल हेडक्वार्टर पर काम करने वाले किन ब्लाक आर्गनाइजरों का प्रार्थना-पत्र अपना ग्रेड न मिलने के संबंध में मंत्री जी को ११ नवम्बर, १९६५ को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी हां । केवल श्री लियाकत हुसैन, ब्लाक आर्गनाइजर का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसे पूर्णरूप से विचार करने के उपरांत अस्वीकार कर दिया गया है ।

*३१–३२—श्री होरीलाल यादव—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४५–४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३३–३५—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ४७–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी के मजदूरों की मांगें

*३६—श्री सुखदेवप्रसाद—

मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने बोनस तथा अन्य विवादों के न सुलझाये जाने के कारण ११ अप्रैल, १९६६ से हड़ताल का नोटिस दे दी है ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

चुर्क मजदूर सभा ने १४–३–१९६६ को डाइरेक्टर, सीमेंट फैक्टरी को लिखा था कि यदि उनकी निम्नलिखित ६ मांगें पूरी न की गयीं तो फैक्टरी के मजदूर १२–४–१९६६ से हड़ताल कर देंगे :

(१) समस्त कर्मचारियों को १९६२–६३, १९६३–६४ तथा १९६४–६५ का बोनस दिया जाये ।

(२) समस्त कर्मचारियों को उचित उत्पादन बोनस दिया जाये ।

(३) बीमारी की छुट्टी की सुविधा जो अनुचित तथा अनियमितरूप से समाप्त कर दी गयी है पूर्व तिथि से बहाल की जायें ।

(४) फायर बिग्स तथा सिविल विभाग के कर्मचारियों को भी वही वेतन दरें तथा अन्य सभी सुविधायें दी जायें जो कि फैक्टरी के अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध हैं ।

(५) चुर्क मजदूर सभा को मान्यता दी जाये ।

(६) कारखाने में ग्रेच्युटी स्कीम लागू की जाये । चुर्क सीमेंट फैक्टरी विभागीय उद्योग की श्रेणी में है और इस फैक्टरी पर न तो पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट लागू होता है

और न इस ऐक्ट के अन्तर्गत यहां के श्रमिक बोनस के ही हकदार हैं। फिर भी जिन मजदूरों ने १९६४–६५ में ९० दिन या उससे अधिक काम किया था उनको १२ प्रतिशत के दर से अनुग्रह–पूर्वक अदायगी (ex-gratia payment) दिया जायेगा, अतः मजदूर सभा ने हड़ताल न करने का निर्णय किया और फैक्टरी में कोई हड़ताल नहीं हुई। शेष पांचों मांगों के संबंध में चुर्क मजदूर सभा को सही स्थिति से अवगत करा दिया गया था।

इटावा जिले में इम्मारल ट्रैफिक सप्रेशन ऐक्ट का निफाज

*३७—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत जब से इम्मारल ट्रैफिक सप्रेशन ऐक्ट लागू हुआ है अब तक कितनी अल्प वयस्क (नाबालिग) लड़कियां वैश्याओं के यहां से निकालकर संरक्षण गृहों में प्रवेश कराई गई हैं तथा इनमें से कितनों के विवाह करा दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—

६३ अल्प वयस्क लड़कियां वैश्यालयों से मुक्त कराई गईं और इनको विभिन्न संरक्षण गृहों में प्रविष्ट कराया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पकड़ी गई किसी भी लड़की की शादी संरक्षण गृह से नहीं कराई गई।

*३८—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार को यह मालूम है कि अब भी बहुत सी वैश्याओं के यहां अल्प वयस्क (नाबालिग) लड़कियां हैं जिनका उद्धार होना आवश्यक है तथा मोहल्ला रामगंज में खुल्लम-खुल्ला अनैतिक व्यापार चल रहा है ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*३९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपाकर उक्त ऐक्ट की धाराओं को तेजी के साथ कार्यान्वित करने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी

*४०—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ३ वर्ष स अधिक समय से सेवा कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

देवरिया, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद तथा कानपुर।

*४१—श्री कमलासिंह यादव,—

[४वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४२–४४—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

[४थे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ५१–५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४५–४६—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री उग्रसेन—

[५ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७–४८—श्री मुहम्मद रफी खां—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४९—श्री मुहम्मद रफी खां—

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

श्रम मन्त्री द्वारा श्री ब्रह्मदत्त मायर के प्रति कथित असंसदीय शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय ब्रह्मदत्त जी मायर बोल रहे थे तो माननीय बनारसीदास जी ने कुछ कहा था। मैंने उसके बारे में कोई प्रश्न इसलिये नहीं उठाया था कि मुझे सही शब्द मालूम नहीं थ, उनको मैं देखना चाहता था। माननीय बनारसीदास जी ने एक वाक्य यह कहा कि, "आपने यह पेशा बना लिया है"। अलहदा से इसको देखने से कोई खास बात नहीं मालूम होती लेकिन पूरा वाक्य पढ़ा जाय तो वह अपमानजनक हो जाता है। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि विरोधी पक्ष के लिये यह अपमानजनक है। एक माननीय मंत्री को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस संबंध में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। अगर आप की राय में यह अनुचित हो तो आप इसको कार्यवाही से निकालने का आदेश दें।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि प्रश्नों का घंटा शुरू होने वाला है और माननीय सदस्य का नित्य का यह पेशा मालूम होता है, इस प्रकार बिना आपकी आज्ञा के खड़े हो जाना। 'पेशा' से मेरा मतलब 'यूजुअल प्रैक्टिस' से था, और वही इसका मतलब भी होता है। रोजाना नाटकीय ढंग से खड़े हो कर नाटक करते हैं। माननीय रामसुन्दर जी अगर यह कहें कि वे बिला आप की आज्ञा के खड़े नहीं होंगे तो मैं उनकी बात को मान जाऊंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो मैंने प्रश्न किया था उसको माननीय मंत्री जी ने बगल कर दिया और उसका अर्थ यूजुअल प्रैक्टिस बताने लगे।

श्री अध्यक्ष—

मेरा एक निवेदन मान लीजिये। जो बात खत्म हो गयी उसको कुरेदने से क्या लाभ ? मेरे पास उनका लिख कर आ गया है, मैं उसको बता दूंगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं "पेशा" का अर्थ लेता हूं 'आदत' और उन्होंने उसको 'यूजुअल प्रैक्टिस' लिया है। लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिये मैं उसको छोड़ देता हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री यहां थीं और अभी चली गयीं। क्या ही अच्छा होता कि कर्मचारियों के बारे में कोई एनाउन्समेंट हो जाता कि केबिनेट ने इस विषय

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

में क्या फैसला लिया है और यह भी उन्होंने नहीं बताया कि रिट्रेन्चमेंट के बारे में उनकी क्या पालिसी है और केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता देने के विषय में उनकी क्या राय है और ३०० रुपए से ऊपर वेतन पाने वाले लोगों को वह क्या महंगाई भत्ता देना चाहती हैं? इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीया मुख्य मन्त्री जी जानबूझ कर चली गयीं। बड़ा अच्छा हो कि वह शीघ्र सब से पहले स्पष्ट घोषणा करें और सदन को सस्पेंस में न रखें।

श्री बनारसीदास—

अभी १५-२० मिनट में वह आ रही हैं, माननीय नेता विरोधी दल जरा धैर्य रखें।]

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से खड़ा हुआ था और माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से आक्षेप किया, जो शब्द प्रयोग किये वह.....

श्री अध्यक्ष—

वह बात तो समाप्त हो गई।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि इधर से नाटक होता है, यह कितनी बुरी बात है एक मंत्री के लिए ऐसा कहना.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, एक बात कल ऐसी हो गई जिससे बेलुत्फी हुई। अब उसको फिर उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

इधर के लोग नाटक करते हैं ऐसा विरोधी दल के सभी लोगों के लिये कहना क्या उनके लिये शोभा देता है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जब ऐसे-ऐसे पात्र उधर पहुंच जाते हैं तो नाटक की शक्ल आ ही जाती है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत सी बातें आवेश में कभी इधर से और कभी उधर से कह दी जाती हैं और उस समय कदाचित् माननीय सदस्यों का कभी यह मंशा नहीं रहता कि किसी का अपमान किया जाय। उदाहरण के लिए अभी किसी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आप यह गलत काम कर रहे हैं। अगर मैं और आप भी इतने अनायास व आसानी से भयभीत हो जाया करें तो उचित न होगा। छोटी-छोटी बातों पर, कभी-कभी मनुष्य को गुस्सा आ ही जाता है और मुंह से कुछ निकल जाता है। तो उन की मंशा ऐसी नहीं थी। उन्होंने यह बता दिया है कि उनकी मनशा कहने की यह थी कि 'उन्होंने ऐसी आदत बना ली है', बाकी अब 'पेशे' की जगह-'आदत' शब्द कर दिया जायगा।†

(श्री बांकेलाल के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप को खुश करना तो असम्भव है, आप बैठें।

---

†दिनांक ३ अगस्त, १९६६ में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

कोई जिम्मेदार मंत्री ऐसी भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकता है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

मंत्रियों ने बार-बार कहा.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा तो इसी विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न था। माननीय माधव प्रसाद जी ने पहले ही उसको उठा लिया.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने इस सम्बन्ध में मायर साहब से प्रार्थना कर ली है और उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इससे तो समस्या का समाधान नहीं होता। आप भी उन्हीं वरिष्ठ मंत्रियों की तरह हैं, आप बनारसी दास जी से कहें कि नियमों का वह पालन करें....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं तो मैं बता दूं। सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ऐसी बात पर सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को इतना टची नहीं होना चाहिये। कभी-कभी मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उन्हें पकड़ लेने से सदन की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती है और विशेषकर जब कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि उनकी कोई मंशा नहीं कि वह किसी माननीय सदस्य का अपमान करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, उन्होंने क्या कहा है, हमें तो उससे मतलब है। उनके मन में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये यों ही सदन का समय नष्ट किया करते हैं। सदन में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आप को उनका विवेचन करना चाहिए और मैं तो, श्रीमन्, आश्चर्यचकित रह गया उस समय जब आप ही पीठासीन थे जब कि माननीय बनारसी-दास ने ऐसे शब्द कहे (व्यवधान)।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी व्यवस्था के बाद भी वे क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन् आपको स्मरण होगा, यहां पर माननीय चन्द्रबली सिंह जी बैठे हुए हैं, जो ऐसे ही शब्द के कहने पर माननीय बनारसीदास के कहने पर इंगित हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय बनारसीदास, जो किसी सदस्य की नकल कर के कानून का उल्लंघन करें और उनके शब्द बिना वापस लिये हुए आप उन्हें माफ कर दें, यह कहां तक उचित है ? यह सब आप के लिए भी शोभा नहीं देता।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा कहना है कि मैं माननीय बनारसी दास जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा सदन में की कि १५–२० मिनट में माननीया मुख्य मन्त्री आयेंगी और जिस

[श्री झारखण्डे राय]

बात के लिए पूरा प्रदेश और विशेष कर ५ लाख कर्मचारी बड़े उत्सुक हैं, उनके मंहगाई भत्ते के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया, घोषणा करेंगी। हम भी आशा करते हैं कि कोई न कोई वक्तव्य दिया जायगा। तो मैं माननीय बनारसीदास जी से प्रार्थना करूंगा कि वे माननीया मुख्य मन्त्री से आज सदन में कोई वक्तव्य दिला दें कि प्रदेशीय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के बारे में क्या फैसला किया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं रोकूंगा नहीं। उनको आने दीजिए।

एक शब्द की ओर जो मेरा ध्यान आकृष्ट किया गया है, मैं समझता हूं कि यह नहीं कहना चाहिए था। "समय नष्ट कर रहे हैं" ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

एक दूसरा माननीय कमला सिंह जी का है .....

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इसे आप इस समय स्थगित करें। जब बयान हो जाय तब आप इसे ले लें।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

यदि आपकी इजाजत के बिना कोई माननीय सदस्य बोलता ही चला जाय तो फिर क्या किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। माननीय खेर साहब ने भी कहा है कि "समय नष्ट कर रहे हैं" ये शब्द नहीं कहने चाहिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप जो उन्हें बैठे-बैठे कुछ कह देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। उनको तो आपको डांट कर कहना चाहिए कि "चुप बैठो"।

श्री अध्यक्ष—

कभी-कभी ऐसी बातें भी हो उठती हैं। मैं चाहता हूं कि कल का वातावरण अब पैदा न हो। जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया। प्रत्येक सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए।

सहारनपुर में सड़ा गेहूं पिसवाने तथा उसे सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिकवाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत २ सूचनायें आयी हैं। ये माननीय ब्रह्म दत्त मायर, माननीय ऊदल, माननीय रामकिशोर त्रिपाठी, माननीय रामसुन्दर शास्त्री, माननीय झिलमिट राम, माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय दौलत लाल, माननीय शिवनाथ सिंह, माननीय रतीपाल की हैं। वह इस प्रकार से है:—

"३० तथा ३१ जुलाई, १९६६ को मेरठ के आर० एफ० सी० तथा सहारनपुर डिप्टी आर० एम० ओ० ने मिली भगत करके सहारनपुर नगर के सरकारी गल्ले के गोदाम में से ७०० बोरा गला सड़ा गेहूं का मैदा मिल सहारनपुर पहुंचा दिया और वह मिल मालिकों को आदेश दिया कि वह उस सड़े हुए गेहूं को अच्छे गेहूं के साथ जो कि केन्द्रीयसरकार द्वारा उन्हें पीसने को

मिलता है, मिला कर पीस दें, और उसके बदले में ७०० बोरा अच्छा गेहूं उन्हें उठवा दें। पता चलने पर लोगों की भीड़ जमा हो गयी, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिटी मैजिस्ट्रेट, डी० एस० ओ०, एस० डी० एम० सहारनपुर तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुला लिया। गेहूं का नमूना भरे जाने पर तथा आदेश होने पर कि ऐसा गला सड़ा गेहूं कदापि न पीसा जाए, डिप्टी आर० एम० ओ० ने जिलाधीश को अपने साथ मिला लिया और उनसे सहायता मांगी कि इस अनाज के सड़ने की जिम्मेदारी से मुक्त कराने में उनकी सहायता करें। जिलाधीश ने सब अधिकारियों को अपने पास बुला लिया और लोगों से यह कहा कि यह मारे जायेंगे, उसे पिस जाने दीजिए। परन्तु लोगों ने जिद्द की, मिल मालिक को भी बुलाया गया, बातचीत चली और कार्यवाही करने का वायदा किया। इसके बाद तकरीबन ६०० बोरा पिसवा दिया गया। केवल १०० बोरा बाकी रहने दिया। यही गला सड़ा मिश्रित आटा सरकारी गल्ले की दुकानों द्वारा बिकने के लिये दूसरे दिन भिजवा दिया गया। बदले में ६०० बोरा अच्छा गेहूं मिल से सरकारी गल्ले के गोदामों में पहुंचा दिया गया।

श्रीमन्, इस मिश्रित गन्दे आटे के जनता में बेचे जाने पर घोर असन्तोष तथा भय पैदा हो गया है। वर्षा के दिनों में इस आटे की बिक्री से भयानक बीमारी फैलने का भय है। नगर में घोषणा करायी गई कि कोई व्यक्ति खुले बाजार में बारिश से भीगा गेहूं इत्यादि न खरीदे। व्यापारियों को भी आदेश दिया गया है कि वह भीगा अन्न न बेचें। इस प्रकार जनता को सरकारी डिपो का आटा खाने पर मजबूर किया जा रहा है। यह जालसाजी और षडयन्त्र सरकारी अधिकारियों ने जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिये किया है। सड़े हुए गेहूं का नमूना लाया हूं।

कृपया इस लोक महत्व के अति अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाने तथा सरकार द्वारा उचित कार्यवाही के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं। अनुज्ञा प्रदान करें।"

इसी प्रकार माननीय राम सुन्दर पांडेय जी का भी है जो इस प्रकार है :— "मैदा मिल सहारनपुर के मालिक द्वारा सैकड़ों मन सहकारी सड़ा गेहूं पिसवा कर शहर की राशन की दुकानों में वितरित किया जा रहा है। यह गेहूं सहारनपुर में आई बाढ़ से बिलकुल भीग कर बेकार हो गया है। सूचना मिलने पर जिला म्युनिसिपलबोर्ड के मेडिकल आफिसर वहां पर गये और उन्होंने उसे देख कर तथा जांच कर बताया कि यह गेहूं बहुत जहरीला हो गया है और इसके खाने से भयंकर बीमारी फैल सकती है। मेडिकल आफिसर ने कुछ बोरी गेहूं सील भी कर दिया है। परन्तु इसके बाद भी जिलाधिकारियों से मिल कर मिल मालिक उसे पिसवा रहे हैं तथा समस्त शहर की राशन की दुकानों में उसे बंटवा रहे हैं। इसके खाने से भयंकर बीमारी फैल जाने की आशंका है और जनपद की जनता में इसका पता लगाने से महान् असन्तोष तथा क्षोभ का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

इस पर माननीय खाद्य मंत्री का कब वक्तव्य होगा ?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

८ अगस्त को।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

गवर्नमेन्ट ८ तारीख को बयान देगी, लेकिन सब से पहले आवश्यक यह है कि लोगों को सड़ा हुआ गल्ला जो दिया जा रहा है उसे बन्द करावें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इस सम्बन्ध में सूचना मंगवा कर उचित कार्यवाही कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उस सड़े हुए गल्ले का नमूना मैंने आपके पास भिजवा दिया है, आप अपने किसी कार्यकर्ता द्वारा अपने यहां से उनके यहां भिजवा दें क्योंकि हमको सोचा देने का अधिकार नहीं है। यह तो सदन की सम्पत्ति है, आप उनके पास भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय टम्बेश्वर प्रसाद, और माननीय मुकुट बिहारी लाल की सूचना कानपुर के अथर्टन वेस्ट मिल के प्रबंधकों द्वारा सन् १९६५ का बोनस न वितरित किये जाने के सम्बन्ध में, जो इस प्रकार है :—क्षुब्ध मजदूरों ने कल से आम हड़ताल कर रखी है। आज भी मिल के साढ़े चार हजार श्रमिक हड़ताल पर हैं।" इस सूचना में लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा उन पर पूरा दबाव न डालने से श्रमिकों में सरकार के प्रति भी उत्तेजना निरन्तर बढ़ रही है। दबाव डाल रहे हैं लेकिन पूरा नहीं है। मैं इसको माननीय श्रम मन्त्री के पास भेज रहा हूं कि वह पूरा दबाव डालें।

एक श्री रियासत हुसैन की सूचना है कि गंगा, जमुना और राम गंगा नदियों में भारी बाढ़ आ जाने के कारण मुरादाबाद शहर जो राम गंगा के किनारे आबाद है कट रहा है। बहुत से मुहल्लों को खतरा पैदा हो गया है। इस को मैं मन्त्री जी की सेवा में ध्यान और शीघ्र कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

एक सूचना माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय लखोसिंह द्वारा दी गई है जो इस प्रकार है :

"देवरिया जिला में राप्ती के बाएं किनारे पर बंधे बांध की रक्षार्थ जो भेड़ी ग्राम के पास ठोकर लगा है राप्ती के पानी के बढ़ने से ठोकर के पास भीषण कटाव हो रहा है। फलस्वरूप ठोकर झुक गया है। बह जाने और बांध के टूटने की हालत पैदा हो गई है।....." एक निवेदन करना चाहता हूं कि जरा साफ लिख कर भेजा करें तो अच्छा है।

मैं यह सब माननीय मंत्री को भेज रहा हूं कि शीघ्र इसके ऊपर उचित कार्यवाही करें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, अथर्टन वेस्ट के सम्बन्ध में माननीय बनारसी दास उपस्थित हैं तो अभी बता दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री श्रीराम जो प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं वह बिल्कुल स्थानीय नलकूप के बारे में है। यह प्रश्न ऐसा है जो प्रश्नों द्वारा साफ होना चाहिये।

इसी प्रकार से माननीय सत्यनारायण पांडेय जी कानपुर के बारे में समाचार के आधार पर कुछ कह रहे हैं। यह भी प्रश्न द्वारा पूछा जा सकता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, वहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हड़ताल के कारण नोटिस दिया जा रहा है, छटनी की जा रही है, यह मेरा सवाल है.....

श्री अध्यक्ष—

सवाल कीजिये।

कानपुर में एक मशीन का बेलन फट जाने की वजह से कुछ घायल हो गये हैं। माननीय राजेन्द्र सिंह ने कोई उल्लेख नहीं किया है कि सरकार से इस घटना से क्या सम्बन्ध है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

पिछले वर्ष मैंने प्रश्न किया था कि क्या कुछ ऐसे नलकूप भी हैं जिनको १/२ फर्लांग, २ फर्लांग पर बिजली दी गई है ऐसे २७ नलकूप सरकार ने बताये थे। तो यह दोहरी नीति क्यों? किसी किसी व्यक्ति को ३ व तीन से ऊपर और चार फर्लांग के नीचे भी नलकूप को बिजली नहीं दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

यह इतना अस्पष्ट प्रश्न है कि बहुत से नलकूपों को प्रनियमितापूर्वक दी जा रही है। अब किस नलकूप में अनियमितता है यह स्पष्ट होना चाहिये।

श्री श्रीराम—

मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हल्दौर निरीक्षण भवन के समीप प्राइवेट २ नलकूपों को ८० दो फर्लांग पर बिजली दी गई है और सरकारी ८० हजार रुपये का नलकूप फेल कर दिया है। परन्तु जिला बिजनौर के सैकड़ों नलकूप ऐसे हैं जिनको ३ फर्लांग से ऊपर ४ फर्लांग से नीचे पैमायश पर भी बिजली नहीं दी जा रही है इससे अधिक अन्न उपजाओं को धक्का पहुंचता है।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकों के अभाव के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्राइमरी स्कूलों की हिन्दी और गणित विषयों की राजकीय पाठ्य पुस्तकों के अनुक्रम में शासन द्वारा गतवर्ष लिये गये निर्णय के अनुसार इस वर्ष उन विषयों की कक्षा ६ की पाठ्य पुस्तकें शिक्षा विभाग द्वारा तैयार करवाई गई थीं। इन पुस्तकों के नाम है "नवभारती भाग १," 'अंकगणित भाग १' तथा "बीज गणित और रेखागणित भाग १"।

उपर्युक्त पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन के लिये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रकाशकों/मुद्रकों को मार्च, १९६६ के आरम्भ में ही आदेश दे दिये गये थे तथा उन्हें ये भी आदेश दे दिये गये थे कि वे इन पुस्तकों को छाप कर ३० मई, १९६६ तक बाजार में ले आयें। ज्यों ज्यों और आवश्यकता महसूस हुई त्यों त्यों कुछ अन्य प्रकाशकों को भी इन पुस्तकों के मुद्रणादेश दिये गये। प्रत्येक पुस्तक के मुद्रण के लिये दी जाने वाली संख्या कक्षा ६ की अनुमानित छात्र संख्या से काफी अधिक रखी गई थी। जिससे कि नयी पुस्तकें होने के नाते छात्रों को इनकी प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में समय से ही पुस्तकें बाजार में उपलब्ध करा देने की पूरी व्यवस्था थी।

परन्तु इन विषयों की पूर्व प्रचलित पुस्तकों के एक प्रकाशक तथा तीन लेखकों ने दिनांक ६ मई, १९६६ को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ शाखा में इन नयी पुस्तकों के प्रकाशन और प्रचलन को रोकने के लिऐ 'रिट' दायर कर दिये जिनको माननीय न्यायाधीशों ने दिनांक १७ मई, १९६६ को सुनवायी हेतु स्वीकार किया और अन्तरिम आदेश द्वारा नयी पुस्तकों का प्रकाशन रोक दिया। माननीय न्यायाधीशों ने यह भी आदेश दिया कि चूंकि इस

[श्री बंशीधर पांडेय]

विषय में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता है इसलिये इसे माननीय वेकेशन जीज के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय। इस पर शिक्षा विभाग को इन पुस्तकों के समस्त प्रकाशकों / मुद्रकों को मुद्रण कार्य रोक देने के अविलम्ब आदेश देने पड़े। साथ ही राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को भी इन पुस्तकों के आवरण पृष्ठों के छापने के कार्य की रोक देने के आदेश दिये गये। दिनांक २० जून, १९६६ को जब उच्च न्यायालय के माननीय वेकेशन जीज द्वारा उक्त अन्तरिम आदेश रिक्त (वेकेट) कर दिये गये, तब इन पुस्तकों के समस्त प्रकाशकों को इन पुस्तकों तथा राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इनके आवरण पृष्ठों का मुद्रण पुनः अविलम्ब आरम्भ कर देने के आदेश दिये गये। इस तरह इन रिटों के कारण इन पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन का कार्य बहुत पिछड़ गया और मई के अन्त तक पुस्तकें छप कर जून में ही बाजार में आने की जो योजना थी वह निर्धारित अवधि में कार्यान्वित न हो सकी।

उपर्युक्त रिटों के अतिरिक्त, दो अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गईं, एक ट्रकों की और दूसरी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की हड़ताल। ट्रकों की हड़ताल के कारण पुस्तकों के मुद्रित आवरणपृष्ठों के तथा मुद्रित पुस्तकों के यातायात में कठिनाइयां हुईं और अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, जो १६-७-१९६६ से २५-७-१९६६ तक रही, के कारण एक ओर तो राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ के मुद्रित आवरण पृष्ठों का उपलब्ध होना प्रायः रुक गया और दूसरी ओर जो आवरण पृष्ठ छपने शेष थे उनकी छपाई भी रुक गई। इस हड़ताल के आरम्भ होने के पहले लगभग ५० प्रतिशत आवरणपृष्ठ ही दिये जा सके थे।

इस प्रकार उपर्युक्त परिस्थितियोंवश इन पुस्तकों का पूरी संख्या में मुद्रित होकर बाजार में शैक्षिक सत्र के आरम्भ में आना सम्भव न हो सका। यों ये पुस्तकें जुलाई के दूसरे सप्ताह के शुरू से ही उपलब्ध होना शुरू हो गई थीं और आशा यह थी कि रिटों के कारण हुए विलम्ब के बावजूद भी जुलाई के तीसरे सप्ताह तक पर्याप्त संख्या में वे प्रदेश भर में फैल जायंगी। परन्तु उक्त हड़तालों के कारण विवशता हो गई। हो सकता है कि किन्हीं असामाजिक तत्वों ने इन परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की हो जिससे छात्रों को यह यत्र तत्र असुविधा हुई हो। शिक्षा विभाग इस स्थिति के प्रति सजग है और उसके द्वारा इन पुस्तकों के प्रकाशकों को सचेत भी कर दिया गया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, इन तीनों पुस्तकों के मुद्रणादेश इस कक्षा के छात्रों की संख्या से काफी अधिक संख्या में दिये गये थे। इनमें से अब तक लगभग ६० प्रतिशत पुस्तकों से अधिक बाजार में आ चुकी है और शेष, आशा है, शीघ्र ही आ जायेंगी जिनसे इन पुस्तकों का कथित अभाव दूर हो जायगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

जब कि हाई कोर्ट में यह रिट पहुंच गया और यह आदेश उन्होंने नहीं दिया कि जब तक फैसला न हो जाय तब तक छपाई रोक दी जाय तो ऐसा न होने पर छपाई होने का क्या कारण है?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

यह तो वक्तव्य में कहा जा चुका है कि माननीय उच्च न्यायालय का यह आदेश हो गया था कि उनको रोक दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

इस समय तक कितनी पुस्तकें बाजार में विद्यार्थियों को पहुंच गयी हैं और उनके वितरण के लिये सरकार ने क्या प्रणाली अपनायी है?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसका तरीका यह है कि जितनी पुस्तकें वर्ष भर में देनी होती हैं उनको विभिन्न प्रकाशकों को बांट दिया जाता है। वह उनको प्रकाशित करते हैं और बाजार में पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा वह वितरित की जाती हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सरकार ने चूंकि इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उनके वितरण और छपाई में सरकार का कितना कंट्रोल है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

उनके ऊपर यह नियन्त्रण है कि पुस्तक वैसे ही कागज पर वैसे ही आकार की शुद्ध रूप में छपें और कवर जो पुस्तक का होता है वह जो विभाग के द्वारा दिया हुआ होता है वह लगायें। पुस्तक छपने के पश्चात् इंस्पेक्टर उसका मुआयना कर लेता है और तत्पश्चात् उनको इस बात की स्वतंत्रता है कि वह किन्हीं पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा उनको बिकवायें।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि ये नयी छपी हुई पुस्तकें पुस्तक विक्रेता लड़कों को तब देते हैं जब वे दूसरी रद्दी किताबें उनसे ले लें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह शिकायत हमारे पास भी आयी थी और जहां से यह शिकायत आयी है वहां जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह आदेश दिये गये हैं वे इस बात की जानकारी करें। लेकिन जैसा कि वक्तव्य में निवेदन किया गया है कि सत्र तो प्रारम्भ हो गया और पुस्तकें जितनी संख्या निर्धारित थी उतनी आ नहीं पायी हैं। हो सकता है कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसी बात की हो।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मंत्रीजी ने कहा कि वह छपाने तक की जिम्मेदारी लेते हैं और फिर चाहें वह ब्लैक से बिके चाहे जो हो। मैं यह जानना चाहता हूं और मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि इलाहाबाद में ये किताबें अधिक मूल्य ले कर बेची जाती हैं, तो इसको तत्काल रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और भविष्य में किताबों की बिक्री और वितरण के बारें में भी कोई नीति अपनायेगी जिससे यह चोरबाजारी रुक सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि जो पांचवीं तक की पुस्तकें हैं उनके बारे में पहले कई वर्ष पूर्व तो शिकायतें आती थीं, लेकिन इस दौरान में नहीं आयीं, इन्हीं पुस्तकों के बारे में आयी हैं और वह किस लिये आयी है यह मैं निवेदन कर चुका हूं इसी वक्तव्य में कि पहले तो उच्च न्यायालय का आदेश था कि छपाई को रोक दिया जाय। तत्पश्चात् हड़ताल की वजह से वह उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। अब जैसे जैसे पुस्तकें छपती जाती हैं और आवरण उनको मिलता जाता है वैसे वैसे वह बाजार में आती जाती हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही यह शिकायतें समाप्त हो जायंगी।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

मंत्रीजी ने स्वीकार किया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कीमतों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की शिकायत उनको प्राप्त हो चुकी है, तो क्या सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ताकि यह रुक सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने यह नहीं कहा कि वे कर रहे हैं बल्कि मैंने यह कहा कि असमाजिक तत्व इस तरह का फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जो शिकायतें आई हैं उनकी हम जानकारी कर रहे हैं और कोई तथ्य पाये जाते हैं तो प्रकाशकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि जो पुस्तकें छप रही हैं उनका सरकार ने क्या मूल्य निर्धारण किया है ? उसमें कितना प्रकाशकों का और कितना सरकार का ?

श्री अध्यक्ष—

इससे क्या मतलब है ? यह कठिनाई तो किताबों की है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

हम यह तो जानकारी कर सकते हैं कि सरकार ने नेशनेलाइज किया है तो सरकार को क्या घाटा या फायदा हो रहा है और मूल्य क्या निर्धारण हो रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो मुझे याद नहीं है। लेकिन खयाल पड़ता है कि एक का ७५ पैसा और एक का एक रुपया तीन पैसा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि हर वर्ष जुलाई में छात्रों की ओर से आंदोलन किया जाता है मार्च और अप्रैल में परीक्षाएं समाप्त हो जाती है तो सरकार को जानकारी हो जाती है कि इस वर्ष कितने लड़के शामिल होंगे तो मैं जानना चाहूंगा कि १४ जुलाई से पहले मई जून में किताबें क्यों नहीं छपती हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बताया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उन्होंने बताया है कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हो गई।

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन, मैं निवेदन कर चुका हूं कि इन पुस्तकों के बारे में मुकदमा चलाया इसी कारण से यह नहीं आ सकीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अदालत में मुकदमा कब दाखिल किया गया ? यह बहाना है।

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया।)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या मंत्री जी इन प्रकाशकों और मुद्रकों को पुनः आदेश देंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो इसमें लिखा हुआ है। मेरे खयाल में ३० जून तक न्यायालय स्टे आर्डर खत्म कर दिया गया तभी काम प्रारम्भ हो गया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार बतायेगी कि इस देरी के कारण जो कमी रह गई है उसको पूरा करने के उपाय पर सरकार विचार कर ही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो माननीय सदस्य जानते हैं कि शुरू-शुरू में जब विद्यार्थी जाते हैं तो पिछला पाठ दुहराया जाता है। तो आशा की जाती है कि पाचवीं कक्षा में जो पढ़ाया गया उसको दुहरा दिया होगा। अब नई किताब शुरू करायेंगे।

बलिया जिले में घाघरा नदी पर बनी एक ठोकर के बह जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, बलिया जिले में घाघरा नदी के कटाव से बचाने के लिये ३०.६ लाख रुपये की लागत से नदी के दाये किनारे पर ४७मील ४ फर्लांग लम्बा तुर्तीपुर श्रीनगर बांध १९५८ में बनाया गया। इससे लगभग ९०,००० एकड़ भूमि का, जो कि तहसील रसरा तथा बांसडीह जिला बलिया में स्थित है बचाव होता है।

मील ३६ व ३८ के समीप, नदी ने दाहिनी ओर मोड़ लिया और १९६४ में बांध से लगभग २ फर्लांग की दूरी रह गई। १९६५ में फिर कटाव होने लगा जिसकी रोकथाम ३ बल्ली स्पर, जिनकी लम्बाई ५० फीट थी और बीच की दूरी १५० फीट थी, बनाकर की गई। यह ठोकरें मील ३६ फर्लांग ६ तथा ७ के बीच में बनाई गई थीं। इन स्परों से कटाव की रोकथाम तो हो गई मगर स्परों को हानि हुई और नदी का फासला एक फर्लांग रह गया। इन ठोकरों को बचाने की लागत १.४१ लाख रुपये पड़ी जिसकी मंजूरी राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी की गई।

इस स्थान पर पक्की ठोकरें बनाने के लिये भी सोच विचार किया गया परन्तु इनकी लागत बहुत अधिक होने के कारण इनको बनाने का काम कठिन प्रतीत हुआ। इसकी जगह बांध को पीछे हटाने (retire) का कार्य, जिसकी लागत लगभग ३ लाख रुपये थी, तजवीज किया गया मगर इसका वहां की जनता ने विरोध किया।

इस समय नदी का फासला बांध की जड़ से लगभग ३०० फीट रह गया है। ३०,००० रुपये का काम अब तक वहां पर हो चुका है जो बालू भरे बोरे (Sand Bag Crates) डाल कर किया गया है। जो बल्ली के स्पर पिछले वर्ष बनाये गये थे इस वर्ष के कटाव से बह गये है। चूंकि रेत भरे बोरों से मुस्तकिल बचाव की आशा नहीं है इस कारण प्रभावित गांवों की जनता को जिला अधिकारियों द्वारा सूचना दे दी गई है। मौके पर बांध को उचाने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

लखनऊ कानपुर मार्ग पर बन्थरा ग्राम में विदेशी हथियारों का भण्डार पकड़े जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २८ जुलाई, १९६६ को पुलिस को एक भेदिया (इन-फार्मर) द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ग्राम सोहावां थाना बन्थरा में ब्रह्म किशोर दीक्षित तथा उनके दो साथी चुन्नी चमार तथा सयद अली, ने काफी मात्रा में हथियार व कारतूस इकट्ठे कर

[श्री बंशीधर पांडेय]

रक्खे हैं तथा उनका प्रयोग वे अपराधों में करते हैं, तथा यह कि ब्रह्म किशोर दीक्षित ने अपने हथियारों को ग्रामवासियों को यदा-कदा दिखाकर भयभीत कर रक्खा है। इस सूचना के प्राप्त होने पर उस पुलिस अधीक्षक उक्त अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा हथियार बरामद करने के लिये साढ़े ग्यारह बजे रात को पुलिस फोर्स लेकर गये और तीनों संदिग्ध व्यक्तियों के मकानों पर घेरा डालकर तीनों को गिरफतार कर लिया। उनके मकानों की तलाशी ली गई। ब्रह्म किशोर दीक्षित के मकान से एक स्टेनगन मार्क एम० के० जिसमें नौ गोलियां भरी हुई थीं, २०३ कारतूस बिना चले हुए व ७ चले हुए खाली कारतूस तथा दो हथगोले बरामद हुए। चुन्नी चमार के मकान की तालाशी लेने पर एक ४४ बोर विनचेस्टर रिपीटिंग राइफल, माडल १८९२ (मैड इन यू० एस० ए०) तीन कारतूसों सहित बरामद हुए। सैय्यद अली के मकान से ३०३ बोर के ३८ कारतूस बिना चले हुए बरामद हुए। इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बन्थरा पर धारा २५ आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया है जिसकी जांच हो रही है। तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है।

अब तक की विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि यह हथियार वगैरह किसी सैनिक स्टोर से चुराये गये हैं।

उपरोक्त अभियुक्तगण किसी गिरोह से संबंधित हैं या नहीं इसका पता जांच के बाद ही चल पायेगा।

सभा सचिव द्वारा वक्तव्य दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या गृहमंत्री जी ने बंशीधर पांडेय जी को इसके लिये अधिकार दिया है? मैं समझता हूं कि मंत्री और उप मंत्री के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति यहां बिना लिखित रूप से अधिकृत किये हुये वक्तव्य नहीं दे सकता है। मेरा अनुमान है कि उनको कोई इस तरह का अधिकार नहीं मिला है।

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---

कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

इससे स्पष्ट है कि उन्हें नियमतः वक्तव्य देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

ऐसी बात नहीं है। मंत्री का अर्थ है कोई मंत्री। मंत्री का तात्पर्य मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य से है, उसमें राज्य मंत्री, उप मंत्री और ऐसे सदस्य भी सम्मिलित हैं, जिनको इसके लिये मंत्री द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मेरा यही कहना है कि उन्हें इसके लिये कोई लिखित रूप से नहीं दिया गया है। मैं देख रहा हूं कि कई मामलों में इस तरह से नियमों को सरकार नेग्लेक्ट करती रही है, इसकी शिकायत मैंने ४-५ बार की है। इसलिये मैंने प्रश्न उठाया। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने प्रत्यायोजित किया है या नहीं? और यदि किया है तो वे मुझे अथारिटी दिखावें।

श्री अध्यक्ष---

इस समय तो मैं जल्दी में नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन अगर वह बयान दे रहे हैं और उपमंत्री जी भी मौजूद हैं और मेरा सदन भी मौजूद है और उनके होते हुये बयान दे रहे हैं इसलिये इसका मतलब यह है कि वह अधिकृत हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

यह बतलाने की बात नहीं है, अगर आप कह दें तो वह क्लिग हो जायगी। आप जरा परिभाषा तो देखें मंत्री की....

श्री अध्यक्ष--

उसको देखते हुये तो कोई भी माननीय सदस्य वक्तव्य दे सकता है अगर एतदर्थ प्रत्यायोजित हो।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अगर किसी ने यह कह दिया कि आवश्यकता नहीं है तो वह गलत कहते हैं। जब तक यह अन्यथा सिद्ध न हो जाय, तो यह समझा जायगा कि बयान देने का अधिकार उनको प्रत्यायोजित है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

वे स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वह प्रत्यायोजित हुये तो क्या ऐसा नहीं समझा जा सकता कि वे प्रत्यायोजित नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, इसको देख लिया जायगा। बात ऐसी नहीं है।

जनसंघ दल के एक सदस्य का अपने दल से त्याग-पत्र

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक सूचना देनी है। श्री हेमराज जी ने कहा है कि मैंने जनसंघ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और प्रजासोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हो गया हूं। इसे अंकित करने की कृपा करें।

राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, रहन-सहन के व्यय में वृद्धि होने के कारण सरकार कुछ समय से इस बात पर विचार कर रही थी कि सरकारी कर्मचारियों को सहायता दी जाय। उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग १, अध्याय २५ के पैरा ११ में यह विचार व्यक्त किये हैं कि रहन सहन के व्यय में हो रही लगातार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये राज सहायित उचित मूल्य की दूकानें खोलना, जहां से पारिवारिक बजट की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक तरीका है। सरकार सिद्धान्ततः इस विचार से सहमत है और इस दिशा में कदम भी उठा रही है, किन्तु अभी तक इस प्रकार की उचित मूल्य की दूकानों का कोई प्रभावी और विस्तृत संगठन स्थापित करना संभव नहीं हो सका है। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने पहली अगस्त, १९६६ (अर्थात् सितम्बर, १९६६ में देय) से राज्य सरकार के ऐसे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को, जो अधिष्ठान के बजट से वेतन-मानों में वेतन पाते हैं, महंगाई की मौजूदा दरों में निम्नांकित तदर्थ वृद्धि स्वीकृत करने का निर्णय किया है। २९९ रुपया प्रतिमाह तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को ५ रुपये प्रतिमास। ३०० रुपये से ६०० रुपये प्रतिमास तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को ८ रुपये प्रतिमास।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

उपर्युक्त वृद्धि से नये वेतन-मान में ९९ रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को २० रुपये प्रतिमास का महंगाई भत्ता मिलेगा । १०० रुपये से २९९ रुपये प्रतिमास तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों को ३० रुपये प्रतिमास का महंगाई भत्ता मिलेगा । ३०० रुपये से ९०० रुपये तक प्रति मास वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ४३ रुपये प्रतिमास महंगाई भत्ता मिलेगा ।

इसी प्रकार यह तदर्थ वृद्धि उन कर्मचारियों को भी मिलेगी जो पुरानी दरों से महंगाई भत्ता पाने के हकदार हैं ।

इस वृद्धि के कारण सरकार का अतिरिक्त वित्तीय भार काफी बढ़ जायगा और इस अतिरिक्त भार को वहन करने के लिये उसे विकास योजनाओं में होने वाले व्यय को भी कम करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप विकास की गति भी कम हो सकती है ।

अन्त में मैं सरकार की ओर से उन कर्मचारियों की सराहना करती हूं जिन्होंने कर्तव्य-परायणता दिखाई और जो अनेक उत्तेजनाओं के बावजूद डटकर अपना कार्य करते रहे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, छटनी के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कुछ नहीं कहा । यह भी कृपया बता दें कि यह अलाउन्स केन्द्रीय कर्मचारियों के डियरनेस अलाउन्स के बराबर हुआ या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

कल यहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं थीं । उनकी अनुपस्थिति में मैंने कुछ लिखकर दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको देख लूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में सर्कम्स्टेंशल ऐन्ड प्रोफेशनल टैक्स आप लगा रहे हैं और यह जो आप महंगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं इसके बढ़ने से उस कानून के मुताबिक टैक्स का भार कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जायगा । जो उनको टैक्स बढ़ा हुआ देना पड़ेगा तो उससे उनको महंगाई का लाभ नहीं हो पायेगा । इसलिये क्या सरकार उन लोगों के लिये इस टैक्स को एग्जेम्पट करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कानून की बात बतला रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६†

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस कानून के अन्दर बतला दिया गया है कि इसमें क्या कमी रह गई है । अगराज और मकासिद लिखे गये हैं उनमें वह कमी यह है कि दफा ३५ में यह लिखा

† २ अगस्त, १९६६ की कार्यवाही में छपा है ।

गया था कि ऐन्विटी जिन वक्फ की बढ़ेगी सरकार देगी । उस एन्विटी का ६ परसेन्ट काट कर वक्फ बोर्ड को दे सकती है । वक्फ बोर्ड को अधिकार है कि वह वक्फ से ६ परसेन्ट वसूल करे, लेकिन इस सिलसिले में कुछ बातें रह गई हैं जो होनी चाहिये थीं । मसलन कम्पेन्सेशन बांड, स्टाक सर्टिफिकेट-वगैरह वगैरह थे । जैसा जमीदारी एबालिशन का कानून है उसके सिलसिले में यह बहस थी । चूंकि अल्फाज ऐन्विटी इस्तेमाल किया गया है लिहाजा ६ परसेन्ट लेकर नहीं दे सकते हैं । इस गर्ज से इस दफा ३५ में यह तरमीम की जा रही है ।

इसी तरह से दफा ५३–५५ थी जिसमें यह दिया है कि हमारे कानून की दफा ६४ में अगर कोई मुकदमा वक्फ के मुताल्लिक दायर करना चाहे तो वह बिला इजाजत डिस्ट्रिक्ट जज के जाप्ता दीवानी की दफा ९२ या चैरिटेबिल रिलीजस एन्डाउमेन्ट ऐक्ट की दफा १४ की इजाजत से कोर्ट में दायर हो सकता है ।

लेकिन इस में भी एक ऐसा फैसला हो गया कि यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड से ही खाली इजाजत मिल जाय, बल्कि बोर्ड की और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों की इजाजत जरूरी है । इस तरह का एक फैसला केरल में हो गया था इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई कि यह तरमीम की जाय । जो मंशा था कि इस किस्म के मुकदमें कोई प्राइवेट आदमी दाखिल करना चाहे तो वह सरकार की इजाजत से दाखिल कर सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

काशीनाथ जी, आप कमलासिंह जी की मदद नहीं करते, बातें करते रहते हैं । आप लोग शान्त रहें ।

श्री सैयद अली जहीर—

इसी सिलसिले में दो, चार और तरमीमें हैं जो इस के कारण ही मुनासिब समझी गयीं और जो अमलदरामद के लिये जरूरी हैं । जब वह पेश होंगी तो उस समय में बतलाऊंगा कि उनकी क्या जरूरत थी । इन चन्द अल्फाज के साथ यह कानून, जो कि बहुत अहमियत नहीं रखता है, लेकिन कानून होने की वजह से इस में तरमीम जरूरी थी, मैं पेश करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि में परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन तीन माह के भीतर प्रस्तुत करदे । (समिति के सदस्यों की सूची बाद में दी जायगी ।)

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्रीमन्, मैं तो यह समझता था कि पिछले साल जब उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर हुमायूं कबीर साहब तशरीफ लाये थे तो उन्होंने हम लोगों की एक मीटिंग बुलायी थी और उसमें काफी इस बात पर बहस हुई थी कि जो सेंटर का वक्फ ऐक्ट तब्दील किया गया है उस को यू०पी० में लागू किया जाय या नहीं, क्योंकि उस में एक प्राविजन यह भी था कि यह उसी सूबे में लागू किया जायगा जिस सूबे की सरकार उस की आज्ञा देगी । माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ही यह मीटिंग हुई थी और उस में हम लोगों का कुछ ऐसा ख्याल था कि जो यू० पी० का मुस्लिम वक्फ ऐक्ट है सन् १९६० का उस में बहुत कमियां और खामियां रह गयी हैं और वहां एसी बात तय हुई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

थी कि जल्दी ही कोई तरमीम कर के एक कंप्रिहेंसिव बिल लाया जायगा । लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन बातों का तो कोई ध्यान नहीं किया गया है । उस के अलावा कुछ तरमीमें इस कानून में रखी जा रही हैं जिससे डेमोक्रेटिक हकूक पर हमला किया है ।

माननीय मंत्री जी की तरफ से हवाला दफा ३५ और दफा ६४ का दिया गया, लेकिन उन्होंने दफा ११, १२ और १३ में जो तरमीम की है उसका हवाला नहीं दिया इसका मुझे अफसोस है। इसलिये मैं समझता हूं कि इन दफात के अन्दर अब तक एलेक्टेड और कोआप्टेड मेम्बर्स के लिये गुंजाइश थी, लेकिन अब उन में स्टेट गवर्नमेंट नामिनेट करेगी । समझ में नहीं आता कि मंत्री जी क्यों इस नतीजे पर पहुंच गये कि उत्तर प्रदेश असेम्बली में कोई मुसलमान मेम्बर एलेक्ट होकर नहीं आयेगा और इलाहाबाद और लखनऊ बार एसोशियेशन्स में कोई मुसलमान मेम्बर ही न रह जायगा। इन दोनों बातों पर वह इतनी जल्दी कैसे पहुंच गये यह मैं समझ नहीं पाया। मैं तो समझता हूं कि खुदा न करे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा को वह दिन देखना पड़े जब कि कोई मुसलमान मेम्बर यहां मौजूद न हो और जब मौजूद होगा तो जो हमारा १९६० का ऐक्ट है उसमें जो कांस्टीटयूशन आफ दि बोर्ड है उसमें साफ तौर से लिखा है कि "फाइव मेम्बर्स टु बी इलेक्टेड नाट नेसेसरिली फ्राम अमंगस्ट मेम्बर्स आफ दि लेजिस्लेचर्स आफ दि स्टेट" । इसी तरीके से दफा १२ में शिया बोर्ड के बारे में है । इससे साफ जाहिर होता है कि अगर उत्तर प्रदेश विधान सभा के अन्दर एक मेम्बर भी इलेक्ट होकर आजाय तब भी यह जरूरी नहीं है कि ५ मेम्बरों को चाहे वह बाहर के हों उनको इलेक्ट करके उस बोर्ड में भेजा जा सकता है । मगर इस बोझ को मौजूदा तरमीम में दूर किया कि वहां भी अगर कोई ऐसी सूरत होगी कि दफा ११ की शर्त एक या दो की पूर्ति हम न कर सकें—और उसकी एक ही वजह होगी कि कोई मुसलमान मेम्बर यहां न हो या इलाहाबाद बार एसोसियेशन या अवध बार एसोशिएशन में कोई मुसलमान मेम्बर न हो और कोई दूसरी मजबूरी नहीं हो सकती तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट अपनी तरफ से नामिनेट कर देगी।

जब प्रोफेसर साहब तशरीफ लाये थे तो सबसे ज्यादा विरोध इसी चीज का था कि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड ऐक्ट तरमीमी बनाया गया है उसके अन्दर उन्होंने सारी कौंसिल में नामिनेशंस की पावर गवर्नमेंट को ले ली है, उसमें इलेक्टेड मेम्बर्स नहीं हैं । हम समझते थे कि यह हमारे हकूक की हकतलफी है । इसके साथ साथ उस वक्त यह विचार हुआ था, यह सोचा गया था कि जो औकाफ हैं, वह आखिर हैं किसके ? अगर कोई आदमी अपनी प्रापर्टी वक्फ करता है, चाहे वह वक्फ अलल-औलाद हो या किसी तरह से वक्फ हो, चाहे मसजिद के नाम करे, किसी दरगाह के नाम करे या मजार के नाम करे, तो जो वक्फ करता है वह एक डीड लिखता है, शर्तनामा होता है और बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है कि इस वक्फ की आमदनी को इस तरीके पर खर्च किया जायगा । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वक्फ करने के बाद जब वह प्रापर्टी ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जो उस चीज से बुनियादी तौर से इत्तफाक ही नहीं रखते तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह वाकिफ, वक्फ करने वाले, की मरजी को किसी तरीके से पूरा कर पायेंगे । आज उत्तर प्रदेश में गालिबन १० करोड़ की मालियत के औकाफ है और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक सब में बड़े बड़े मजार, दरगाहें और मसाजिद के औकाफ हैं । उनका कंट्रोल ऐसे लोगों के हाथ में है जो बुनियादी तौर से उसमें विश्वास नहीं रखते । इसका नतीजा यह है कि जहां तक रुपये पैसे की बात होती है हर शख्स हाथ फैलाता है, लेकिन जहां उनको ठीक ढंग से रखने का सवाल आता है तो उन लोगों की ऐसी जहनियत बन गयी है कि अगर बस चल जाय तो उसे उखाड़ कर फेंकवा दें । इस किस्म की वारदातें हुई हैं कि उन लोगों ने कब्रों को उखाड़वा शुरू कर दिया, झगड़े हुए मुकदमें चले । उन्होंने कहा कि हमारे अकीदे में कब्र का रखना जाइज नहीं है, इसलिये उखड़वा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में दो किस्म के अकीदे मुसलमानों में ज्यादातर हैं । एक तो आमतौर से "बरेलवी" खयाल का अकीदा कहा जाता है और दूसरे को "देवबन्दी" स्कूल आफ थाट कहा जाता है । उत्तर प्रदेश की जनता की बदकिस्मती है या उलेमा की खुश किस्मती कहिये कि रुपये में

१४ आने मुसलमान पब्लिक उत्तर प्रदेश में बरेलवी खयालात को मानने वाली है। और मौलवी लोग जो हैं वह देवबन्दी स्कूल आफ थाट से तालीम पाकर आते हैं। इसका अन्दाज आप इससे लगा सकते हैं कि जगह जगह जो सालाना उर्स होते हैं चाहे वह सुल्तानुल आरफीन, बदायूं का उर्स हो, चाहे सैय्यद सालार गाजी मसूद, बहराइच का उर्स हो, चाहे अलाउद्दीन साबिर, कलियर शरीफ का उर्स हो, चाहे शाहजी मियां, पीलीभीत का उर्स हो, चाहे शाह बुलाकी साहब, मुरादाबाद का उर्स हो, इसमें जो भीड़ होती है और जो मुस्लिम पब्लिक यहां आती है वह किस अकीदा की है, उसमें कौन से स्कूल आफ थाट के लोग ज्यादा हैं। वे लोग मजार शरीफ में जाकर दरूद-फातिहा पढ़ते हैं जिससे कि उस बुजुर्ग की रूह को भी शान्ति मिले और उनके तवस्सुल से खुदावन्द करीम उसका काम भी पूरा करे। मान्यवर, जिस तरह से हर शख्स के अन्दर एक दर्जा होता है, कोई दर्जा प्राइम मिनिस्टर के करीब का होता है, उसी तरह से इस्लाम के अन्दर भी दर्जा होता है और जिसका अमल जितना अच्छा होता है उसको उसी हिसाब से दर्जा मिलता है, उसमें बीच में कोई जाति या बिरादरी आदि नहीं आती।

तो श्रीमन्, एक तरफ तो यह लोग हैं और दूसरी तरफ देवबन्दी अकीदे के लोग हैं जो दरूद फातिहा और उर्स को नाजायज करार देते हैं।

मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपके बनाये हुए जो कायदे कानून हैं उसका नतीजा यह है कि तमाम मजारों पर देवबन्दी खयाल के लोगों ने कब्जा कर रखा है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के बटवारे के पूर्व यहां दो किस्म के उलमा थे, एक तो जमीतुलउलमा इस्लाम, जो बरेलवी स्कूल आफ थाट के थे और दूसरे जमीतुलउलमा हिन्द जो देवबन्दी स्कूल आफ थाट के थे। चूंकि जमीतुलउलमा इस्लाम के लोग कांग्रेस के साथ थे इसलिये वे उन मौलवियों का बदला इस उत्तर प्रदेश के सारे मुस्लिमों से इन औकाफ पर कब्जा करके ले रहे हैं।

मान्यवर, जो सेन्ट्रल वक्फ ऐक्ट है उसको हुमायूं कबीर साहब भी यहां लागू नहीं करा सके। हुमायूं कबीर साहब के सामने मीटिंग हुई थी और जिसमें अलीजहीर साहब प्रीसाइड कर रहे थे उसमें यह तय हुआ था कि जो भी यू० पी० वक्फ बोर्ड ऐक्ट में कमियां हैं उनको हम लोग आपस में बैठकर तय करेंगे और सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड ऐक्ट जो है वह हमें मंजूर नहीं है। उसकी वजह यह थी कि उसमें सारे मेम्बर्स नामिनेटेड रखे गये थे। लेकिन अफसोस है कि आज वही चीज यहां की जा रही है। यहां पर अभी तक कुछ इलेक्टेड और कुछ कोआप्टेड मेम्बर्स थे, उन्हीं को आपने नामिनेट कर दिया। श्रीमन्, जहां उन्होंने यह चीज रखी वहां यह पाबन्दी भी लगा दी कि कोई भी किसी समय, यदि उसको नुकसान पहुंचता है तो वह हाई कोर्ट में जाकर अपील तक नहीं कर सकता, सरकार का फैसला जो होगा वही फाइनल होगा या उसको आर्टिकिल २२६ के अनुसार हाई कोर्ट में रिट दाखिल करना होगा जो कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या मेरठ के रहने वालों के लिये बड़ा मुश्किल होगा। उन लोगों के लिये यह बड़ा मुश्किल होगा कि वे लखनऊ आकर रिट फाइल करें। यह बड़ी गलत चीज है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस से तो वक्फ करने वालों का असली मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप बीच में दखलन्दाजी न करें।

मान्यवर, बदायूं में डाक्टर करीमुल्ला ने जो वक्फ आल औलाद की है जिसकी मुतवल्ली एक औरत है, वह औरत पाकिस्तान गयी और अभी पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई उसके कारण वह वहां फंस गयी और यहां नहीं आ पायी। डाक्टर करीमुल्ला साहब के पोते श्री रईस अहमद अब यह चाहते हैं कि उस औरत के पाकिस्तान से आने से पहले उस वक्फ को बेच लें और उसके लिये उन्होंने यह तरकीब की है कि उसके आधे हिस्से में डी०एम०ओ० एच० का दफ्तर तथा आधे में डी० एम० साहब खुद रहने लगे हैं। डी० एम०, बदायूं जो जनवरी में रिटायर होने वाले थे वह वहीं रहना चाहते थे। इसलिये बाद को डी० एम० ओ० एच० के दफ्तर को उन्होंने वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया। उस पूरी कोठी में कलेक्टर साहब के लड़के जो वहीं वकालत करते थे रहने लगे और वह उसके नाम एलाट कर दिया गया और उन्होंने उस पर अपना कब्जा

[श्री रियासत हुसैन]

कर लिया है। अब उसका सौदा तय हो रहा है और उसको बेचने की कोशिश की जा रही है, अभी लिखत पढ़त नहीं हुई है। वे यह समझ रहे हैं कि वह औरत पाकिस्तान से लौट कर मुकदमें बाजी नहीं कर सकेगी। इसलिये वे उसे हड़प जाना चाहते हैं और उसको बेच रहे हैं। ५० हजार की मिलकियत को २२ हजार में बेचने की बात तय हुई है। इस तरह की मिसालें आपको समस्त उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, सैकड़ों मिलेंगी, जहां वक्फ को पूरे तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और मुझे तो संदेह नहीं, मुझे ऐतराज नहीं जब वह वक्फ की जायदाद को नुकसान पहुंचाने का प्रोग्राम बनाते हों। तो हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसमें आप हिस्सा बांट लेना चाहते हैं और इसलिये आसानी से मसला तय हो जाता है। जो बोर्ड बना हुआ है वह उनकी कांस्टीट्यूशन के मातहत उन्हीं ख्यालात के लोग हैं जो जहनी तरीके से औकाफ को कबूल नहीं करते। उनको उसमें दिलचस्पी नहीं है। वे चाहते हैं और अगर उनका वश हो तो अगर कल होता हो तो आज हो। वे उर्स के मौके पर अपनी इबादत पेश करते हैं। वह बर्बाद हो जाय उनको इस से मतलब नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर पब्लिक के अन्दर जाकर प्रचार करते हैं तो लोग उनको मानते नहीं, अगर उस बुनियाद को वे खत्म कर दें तो हमारी औकात चल पड़ेगी और हमारी रुकावट की बात नहीं होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि जो अमेंडमेंट रक्खा गया है वह दफा ३५ की आड़ में पड़कर वह यही है कि ६ फीसदी का रुपया मुतवल्ली की तरफ होता है और शायद वसूलयाबी में दिक्कत पड़ती हो और उसको बांड की शक्ल में देते हैं। इसलिये ६ परसेन्ट का तरीका ठीक नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके ऐक्ट के अन्दर साफ लिखा है और आपने दसियों वक्त प्रैक्टिकली किया है कि यहां का मुतवल्ली हिसाब किताब सही नहीं रखता। हिसाब, किताब रखने, और जांच पड़ताल करने, वक्फ की सही मरम्मत कराने का काम जो मुतवल्ली नहीं करता, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसे हटा देते हैं और हटाने के बाद एक कमेटी बना देते हैं, जो उसका इन्तजाम करे। आप कमेटी बना देते हैं अपने मतलब से। तो आपको यह परेशानी क्यों महसूस हुई जो ६ परसेन्ट नहीं देते। उसी समय से डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, आपके पास तो बहुत है।

इसके मुताल्लिक एक मिसाल मौजूद है। एक मजार जो मुरादाबाद में है उसमें सात आदमियों की एक कमेटी बनी। उसमें से तीन आदमी मर गये। चार आदमियों की कमेटी रह गई। पांच साल हो गये लेकिन आज तक उन आदमियों की जगह खाली चल रही है। बराबर इस बात को कहा जाता है कि सात आदमियों की कमेटी को पूरा कर दिया जाय लेकिन कुछ लोगों को मालूम होगा कि वे चार आदमी जो हैं वे कहते हैं कि काम ठीक है और तीन आदमियों को आप ख्वामख्वाह नामिनेट करके क्या करेंगे। तीन आदमियों की जो कमी रह गयी है वहां सात आदमियों की कमेटी में चार आदमी काम कर रहे हैं। तीन आदमियों को आप वहां नहीं रख सके। उसकी वजह क्या है? मफाद तो है पब्लिक का जो उत्तर प्रदेश के अन्दर चौदह आना भर रहती हैं। लेकिन चूंकि सरकार को वक्फ बोर्ड के उन लोगों से कुरबत है जो अपने फायदे में कोई ऐसा काम नहीं होने देना चाहते क्योंकि वे हावी हैं और हर जगह उनकी बात होती है।

मैं समझता था कि आप एक काम्प्रिहेंसिव बिल लायेंगे जैसा कि प्रोफेसर कबीर साहब के सामने डिस्कशन हुआ था। उनके जजबात को सामने रखकर और उन सारी चीजों को सामने रखकर आप एक ऐसा बिल रखवा देंगे जिसमें हमारी परेशानियां दूर हों। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब मंत्री जी ने यह अमेंडमेंट किया और मुझे यह भी मालूम हुआ कि जब प्रोफेसर साहब तशरीफ लाये थे तो आप लोगों ने वायदा किया था कि जो खामियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिये आपको सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ नहीं देखना होगा। हम उसको यू० पी० में ही तय कर लेंगे। लेकिन उस वक्त के टल जाने के बाद सबको नो दो ग्यारह कर दिया और अब कह दिया कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जो पहले थे उसको भी आपने खत्म कर

दिया। आपने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि वहां कोई मुस्लिम मेंम्बर न होगा इसलिये यह प्रबन्ध कर दिया जाय। ऐसी सूरत में बोर्ड अपने से नामीनेट कर देता, वह न होकर उनका नामिनेशन आप करेंगे। इसलिये इस बिल के जरिये से राइटली और रांगली आप वक्फ को चन्द गलत लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं और उनके वारिसान, जो उनको मेनटेन कर सकते हैं, जो उनकी तरक्की चाहते हैं, उनके हाथ में वक्फ का इन्तजाम नहीं देना चाहते। बल्कि आप उन चन्द लोगों के साथ में उनका इन्तजाम देना चाहते हैं जो आपकी उंगली के इशारे पर नाचते हैं। इसलिये इस बिल में आपने जो २-४ चीजें रखी हैं उन पर अच्छी तरह सोच विचार हो जाता, तो अच्छा होता। जिन लोगों के सामने आपने हुमायूं कबीर साहब के सामने बातचीत की थी उन्हींसे, इस बिल को लाने के पहले, विचार कर लिया होता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैंने कल परसों ही इसके बारे में सुना जब यहां एनाउन्समेंट किया गया कि ४ तारीख को यह पेश होने वाला है। जगह जगह मैंने इसके बारे में पूछा, बोर्ड वालों से पूछा, लेकिन उन्होंने भी बताया कि उनको कुछ पता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को प्रवर समिति में भेज दीजिये ताकि इन सब बातों पर तफसील से विचार हो जाय और सब लोग बैठ कर उसके हर पहलू पर विचार कर लें और एक सही चीज हमारे सामने आ जाय।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय रियासत हुसैन जी के भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और उम्मीद कर रहा था कि जब उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का अमेंडमेंट दिया है तो वे उसमें अमेंडमेंट भी देंगे, लेकिन मुझे उनसे इस बारे में कोई मदद नहीं मिली। इसके अलावा माननीय रियासत हुसेन साहब ने सिर्फ सुन्नी बोर्ड के बारे में कहा, शिया बोर्ड के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको दोनों के बारे में हमें जानकारी करानी चाहिये थी। खैर, मैं इस बात में नहीं पड़ता लेकिन एक जानकारी उनकी बातों से अवश्य हुई कि जिन लोगों के हाथ में इन औकाफ का इन्तजाम है वे उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, हालांकि इस विधेयक में आडीटर एप्वायन्ट करने की बात है और उसके लिये यह भी दिया हुआ है कि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा और अगर सरकार यह देखेगी कि धन का मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है तो सरकार उचित आर्डर पास करेगी। तो इस तरह की चीज रहते हुये भी अगर रियासत साहब कहते हैं कि गोलमाल होता है और हिसाब किताब तमाम गड़बड़ है तो मैं उनसे सुनना चाहता था कि कौन सी जायदाद का गोलमाल हुआ है और कौन से मामले हैं जिनमें मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है और किस मुतवल्ली ने मिसकन्डक्ट किया है, ताकि उनके लिये बिल में प्राविधान किया जाता। सिर्फ एक मिसाल उन्होंने एक औरत के पाकिस्तान जाने की दी। जिसके लड़के के जरिये से जायदाद बेचने की बात आगे पैदा होगी। यह भविष्य की बात है, लेकिन अगर किसी तरह का मिसकन्डक्ट होगा तो धारायें पहले से मौजूद हैं। जिन चीजों पर माननीय रियासत साहब को एतराज था अगर वह उनके हिसाब से संशोधन लाते मैं उन चीजों में नहीं जाता, लेकिन यह बिल जिस रूप में मंत्री जी लाये हैं यह सदन की मखौल है और आक्षेप के तौर पर मैं सरकार के ऊपर चार्ज लगा रहा हूं कि जिस रूप में यह बिल रखा गया है उससे गया गुजरा कोई बिल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा और वह अंग्रेजी की प्रति का शेल्टर न लें बल्कि हिन्दी की प्रति में जिस तरह से यह छपा है, मैं हिन्दी के खंड ६ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। वह मैं पढ़े देता हूं। अगर इसी तरह के यह नमूने सदन के सामने रखे जायं तो ऐसे ड्राफ्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

को तो फौरन बरखास्त कर देना चाहिये। उसमें लिखा है कि मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"४८—धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त होने पर अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल पर बोर्ड के आपातिक अधिकार प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो"। मैं नहीं समझता कि यह कौन सी हिन्दी है और इसका क्या मतलब है, पता नहीं कि सरकार ने इसको क्या समझा है, मंत्री जी ने क्या समझा है और उस ड्राफ्टर ने क्या समझा है? यह तो एक मखौल ही है, अच्छा हो कि ऐसे बिल न रखे जायं और इस तरह की भाषा पर हम किस तरह से विचार कर सकते हैं। मुझे यह आभास हुआ कि शायद यह छपने में गलती हो गई हो तो मैंने उसकी दो तीन प्रतियां अलग अलग देखीं, लेकिन हर एक में ऐसा ही छपा हुआ था। मैंने इस बारे में एक संशोधन भेजा है लेकिन यह सब एक मखौल नहीं तो क्या है? मालूम ही नहीं होता कि इससे सरकार चाहती क्या है और किस तरह की चीज वह रखना चाहते हैं। इस तरह की चीज रख कर सदन का अपमान नहीं होना चाहिये। जो ड्राफ्टर ने भेजा वही विभाग ने छाप दिया और ला डिपार्टमेंट जो इससे संबंधित है उसने भी कुछ नहीं देखा। कोई दूसरा विभाग होता तो हम मान भी लेते.....

श्री अधिष्ठाता—

यह जो आप ने धारा ४८ का जिक्र किया उसको आप इस तरह से पढ़ें। मंत्री जी आप भी जरा स्थान ग्रहण करें।

उसमें है कि "धारा १९ की उपधारा (२) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो"—अब यह शब्द जो हैं कि "वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त होने पर बोर्ड के आपातिक अधिकार" यह मार्जिनल नोट के हैं जो इस खंड में आ गये हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इसमें मार्जिनल नोट तो मालूम ही नहीं होता।

श्री अधिष्ठाता—

तो यह समझ लीजिये कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। मैंने आपको मूल अधिनियम देखकर बताया है। यह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गयी है। ये २ लाइनें मार्जिन में हैं और इनको मूल धारा में प्रवेश कर दिया गया है। आप इनको मार्जिन में मान लीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, अगर यह भी चीज है तो यह भी बड़ी खामी है। आखिर यह भी किसकी गलती है। अगर हमारी सरकार कोई चीज छपवाती है तो मैं चाहूंगा कि वे जब इस प्रकार के संशोधनों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करें तो व ठीक से छपने चाहिये कि ताकि उन पर ठीक तरह से विचार हो सके।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है माननीय मंत्री जी खंड ११ और १२ में संशोधन करने जा रहे हैं। ये दोनों बोर्डों के कान्स्टीट्यूशन से सम्बन्ध रखते हैं। खंड ११ का सम्बन्ध सुन्नी बोर्ड के कान्सटीटयूशन से है। खंड १२ का सम्बन्ध शिया बोर्ड से है।

खंड ११ में जो रिप्रिजेन्टेशन का सम्बन्ध है उसमें ऐसा है कि ५ मेम्बर लेजिस्लेचर के जो सुन्नी मेम्बर्स हैं, वे चुनेंगे, २ मेम्बर हाई कोर्ट की बार एसोशियेशन, इलाहाबाद और लखनऊ, सुन्नी मेम्बर्स चुनेंगे, १ मेम्बर जो प्राविन्शियल जमीयत उल उलमा में हैं से चुनगे। ३ व्यक्ति

कोऑप्टेड होंगे और एक और मेम्बर होगा। इसका मतलब यह है कि वे १२ मेम्बर होंगे। इसमें इस तरह से १२ होते हैं। अगर उनमें से प्रेसिडेन्ट न हो तो चुनाव होगा। तो '१४' शब्द जो इसमें हैं उसका भी संशोधन माननीय मंत्री जी को इसमें कर देना चाहिये था। जब कोई इस प्रकार का संशोधन लाया जाये तो यह आवश्यक हो जाता है कि पूरे सेक्शन की हर एक लाइन को देखना चाहिये। इस ऐक्ट में जब से बना है ३-३ बार संशोधन आ चुके हैं। एक तो १९६३ में आया है, दूसरा, जैसा कि माननीय रियासत हुसैन ने बताया और तीसरा अब फिर एक संशोधन आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी विधेयक हो उसमें जितनी खामियां या गल्तियां हैं उन सब का संशोधन एक बार हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि यह संशोधन हम इसलिये ला रहे हैं कि चूंकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपने ऐक्ट में संशोधन किया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आप कर रहे हैं वह तो करें, लेकिन अगर कोई खामियां हैं, उनको भी संशोधित करें। इससे सदन का समय भी नष्ट न होगा और रुपया भी बरबाद न होगा। तो मैं देख रहा हूं कि धारा ११ का जो एक्जीस्टिंग प्रोविजन है इसमें जो संशोधन किया जा रहा है वह यह है कि पहले तो असेम्बली के जो मेम्बर हैं वे चुनाव करेंगे। यदि धारा ११ के खंड (१) या धारा १२ के खंड (१) के अनुसार अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा, ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, निर्वाचित न किये जावें तो इस कमी की पूर्ति, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की दशा में प्राविन्शियल मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेंस द्वारा, और शिया सेंट्रल बोर्ड की दशा में यू० पी० शिया कांफ्रेंस (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा, निर्वाचन करके की जायेगी।

(२) यदि इस धारा की उपधारा (१) में या धारा ११ के खंड (२) या खंड (३) में अथवा धारा १२ के खंड (२) या खंड ३ में उल्लिखित कोई निकाय—

(क) ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य निर्वाचित न कर पायें, या

(ख) उस समय जब उसके द्वारा निर्वाचन किया जाना हो राज्य सरकार की राय में—

(१) उचित रूप से संघटित न हो, या

(२) विद्यमान न हो,

तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन करके की जायगी।

तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके नाम निर्देशन की प्रथा का खात्मा करना चाहिये और जो भावना माननीय मंत्री जी ने नामिनेशन के सम्बन्ध में व्यक्त की है शुरू से आखिर तक इस विधेयक में, उससे यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी इस पक्ष में हैं कि उसे बिलकुल सरकारी कमेटी गना दिया जाय। अगर सरकारी कमेटी के जरिये ही इन वक्फ पर हुकूमत करना है और उसका इन्तजाम करना है तो यह सब फार्स है क्या जरूरत है इस विधेयक की? बेहतर यह होगा कि सरकार इसका मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ले और ठीक तरीके से उसका मैनेजमेंट करे। लेकिन अगर यह मन्तव्य नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता था कि माननीय मंत्री जी इसमें उदारता दिखलाते। उनकी उदारता यह हो सकती थी कि नामिनेशन ऐसे समय के लिये होता जब तक कि इसका एक्जीस्टेंस कायम न हो जाय या जब तक जिसको नामिनेट करना है या एलेक्ट करना है उनको एक्लेट करके न भेज दें। अगर यह मान लिया जाय कि समय नहीं था तो सरकार नामिनेट कर ले, लेकिन उस वक्त तक के लिये वह नामिनेट करे जब तक कि वे लोग अपने निर्वाचित सदस्य को उसमें न भेज दें। अगर यह चीज होती तो यह टालरेंस की बात होती। यदि सरकारी कमेटी उसे बनाना है तब तो जिसका एक बार नामिनेशन हो गया फिर उसके एलेक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। पूरे टर्म तक वह मेम्बर रहेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि नामिनेशन कि जो प्रथा या पावर लेने की बात कही गयी है, उसका मन्तव्य केवल यही है कि जब एक्जीस्टेंस न हो और कोई ऐसी कमेटी या बोर्ड एलेक्शन करके किसी मेम्बर का निर्वाचित न कर पावे

[श्री कमलासिंह यादव]

तो उस वक्त तक के लिये आपको पावर लेना चाहिये, लेकिन अगर वह निर्वाचित कर दे तो उस वक्त जो आपका नामिनेटेड मेम्बर हो उसे हट जाना चाहिये। यानी पूरे टर्म के लिये गवर्नमेंट नामिनी का रहना सरकारी कमेटी ही केवल बनाना है। तो इस ओर में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो इस तरह की बातें इस विधेयक में आयी है वे नहीं होनी चाहिये बल्कि उसमें लिमिटेशन होना चाहिये। एक लिमिटेड समय के लिये सरकार नामिनेट करे। हां एक्जिस्टेंस न हो उस वक्त की बात दूसरी है।

एक बात में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खंड ५ में शब्द "वार्षिक वृद्धि" लिखा है जबकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में शब्द "वार्षिक वृत्ति" लिखा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खंड ५ में जो वार्षिक वृद्धि शब्द लिखा हुआ है उसका मतलब एनुअल इंक्रिमेंट है क्या ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैं यह तसलीम करता हूं कि यह लफ्ज वृद्धि नहीं है। यह गलत छप गया है।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। एक बात में माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि हमारा राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य है और माननीय मंत्री जी ला के मिनिस्टर हैं तो मैं यह चाहूंगा कि अगर मन्दिरों से संबंधित जो कानून है उसमें मुसलिम प्रतिनिधित्व रहे और मुसलिम वक्फ है उनमें हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व रहे तो यह झगड़ा मिट जायगा कि कौन खा गया और किसी के खाने का सवाल पैदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से आपस में जो झगड़े फसाद हो रहे है रुपये पैसे के बारे में वह सवाल नहीं उठेगा।

शाहनजफ रोड पर जैसा कि रियासत हुसैन साहब ने बताया एक मजार है और जो मुसलिम वक्फ ऐक्ट के अन्तर्गत आता है। जिस काम के लिये उसे बनाया गया है उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है और उस पर रुपया कम खर्च हो रहा है मरम्मत के सिलसिले में और नतीजा यह हो रहा है कि इमारत गिरती जा रही है। लेकिन जो उसका मैनेजर है उसके अगर ठाट बाट देखें तो माननीय मंत्री जी उसके सामने हेच हो जायंगे। इन्तजामकार तो ऐसा बनाना चाहिये कि वह कम खर्च करने वाला हो। अगर वह खुद ज्यादा खर्च करने वाला हुआ और वक्फ का रुपया उस पर ज्यादा खर्च हो जाय तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी और वही हाल होगा कि दो बिल्लियों में लड़ाई हुई और वह रोटी बंटवाने के लिये बन्दर के पास गयीं। नतीजा यह हुआ कि बन्दर धीरे धीरे सब रोटी खा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इसके कस्टडियन है इन्तजाम ऐसा होना चाहिये कि गलत तरीके पर रुपया इस्तेमाल न हो, बल्कि जिस चीज के लिये बना हुआ है उसके लिये इसका प्रोपर यूटीलाइजेशन हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मंत्री जी आपने प्रावीजन बनाया धारा ३९ में कि आडिटर एकाउन्ट्स आडिट करेगा, यह बड़ी अच्छी बात है और धारा ४० में आप ने यह रखा है कि आडिटर स्टेटमेन्ट गवर्नमेंन्ट को एकाउन्ट्स सबमिट करेगा और अगर मिस मैनेजमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन साबित होगा तो सरकार उस पर उचित कार्यवाही करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब सदन से आप इस विधेयक को पास किये हैं और सदन इस को बनाने के लिये जिम्मेदार है तो यह आडिट रिपोर्ट सदन के सामने भी प्रस्तुत करने की कृपा करें ताकि हम लोगों को जानकारी हो सके कि जो ला हमने बनाया है, जो बोर्ड बना है उस बोर्ड की हालत क्या है।

जहां तक ऐक्ट पास कराने का सवाल है मंत्री जी हमको इकटठा करके पास करा लेते है और कहते हैं कि लेजिस्लेचर ने पास किया। लेकिन जहां तक मिसऐप्रोप्रिएशन की बात है, वह बात मैं नहीं कह सकता जो माननीय रियासत हुसैन कह रहे थे कि मंत्री जी की वजह से हो

रहा है, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब सरकार के पास रिपोर्ट आती है और आप ऐक्शन उस पर लेते हैं और हम से ला बनवाते हैं तो उस आडिटर की रिपोर्ट को सदन के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई उदाहरण दे दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे श्रीमन्, कोई जानकारी नहीं है, न मुझे यह जानकारी है कि मिनिस्टर साहब का कहीं हाथ है कि नहीं । मैं तो यही चाहता हूं कि आडिटर की रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये ताकि हम को जानकारी हो सके । इसमें संशोधन बहुत हैं और माननीय रियासत हुसेन साहब की बहुत सी बातें हैं जो वह इसमें लाना चाहते हैं इसलिये अगर मंत्री जी इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दें तो काफी विचार करके जो खामियां इसमें हैं वह दूर हो सकती हैं और एक अच्छा विस्तृत विधेयक सदन के सामने लाया जा सकेगा या इसी को विस्तृत रूप दिया जा सकता है ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत छोटा सा बिल है और न्याय मंत्री के लफ्जों में यह एक बहुत गैर अहम और ऐसा बिल है जिसकी कोई अहमियत नहीं है । लेकिन इस पर भी लम्बी चौड़ी तकरीरें और बहसें हो रही हैं और मैं ऐसा समझता हूं कि यह बिल एक नुक्तेनजर से चाहे कितना ही गैर अहम क्यों न हो लेकिन एक नुक्तेनजर से काफी अहम है इसलिये कि यह बिल मुसलमानों की उन जायदादों के मुताल्लिक है जिनको वाकिफ ने कुछ मकासिद के लिये वक्फ किया है । इसकी अहमियत इस बात से और बढ़ जाती है कि यह माइनारिटीज के ऐन्डाउमेंट्स से ताल्लुक रखता है । इसलिये मैं मंत्री जी से सख्तलफ करता हूं कि उन्होंने इसको गैर अहम समझा है, मैं ऐसा नहीं समझता । न्याय मंत्री का हमेशा से एक दस्तूर और तरीका रहा है कि वक्फ के सिलसिले में जब कभी कोई मामला आया तो बड़ी उनकी इनायत रही कि इस हाउस के और कौंसिल के जो शिया और सुन्नी मेम्बरान हुये उनको कन्सल्ट किया । मुझे ताज्जुब हुआ जब यह बिल इस तौर पर आया और इस सदन के उन सदस्यों को जिनका ताल्लुक इस बिल से है उनको इस मामले में कंसल्ट करने की जहमत गवारा नहीं फरमायी । मुनासिब बात होती अगर यह किया जाता जैसा कि कुंवर कबीर साहब जिस वक्त सेन्ट्रल वक्फ ऐक्ट के नफाज के वक्त यहां तशरीफ लाये और उस वक्त सदस्यों को इकठ्ठा किया गया था और आपस में बहस मुबाहसे के बाद एक राय कायम की थी । बहरहाल, कोई मसलहतें होंगी जिनकी वजह से यह नहीं हो सका । अगर होता तो बेहतर था ।

अब मैं इस बिल के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यह बिल जो अमेंडमेंटस लाना चाहता है वह दोनों किस्म के हैं । एक तो ऐसे हैं जो कुछ कानूनी दिक्कतों, कुछ मुकदमात वगैरह के सिलसिले में हैं और कुछ दफा इसमें ऐसी भी हैं जो बोर्ड के कांस्टीट्यूशन से मुताल्लिक है कि बोर्ड किस तौर पर बने और उसके मेम्बर्स किस तौर पर एलेक्ट हों । अभी तक जो प्राविजन्स थे वह यह थे कि पांच पांच मेम्बर्स लेजिस्लेचर के शिया और सुन्नी मेम्बरों से एलेक्ट हो कर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में अलग अलग आयेंगे और दो मेम्बर हर बोर्ड में हाई कोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ बेंच, दोनों के शिया और सुन्नी मेम्बर्स एलेक्ट कर के भेजेंगे, इसी तरह और इदारों से कुछ मेम्बर लिये जायेंगे । और उसमें भी यह प्राविजन था कि अगर ये एलेक्शन्स वक्त पर न हो पायें और जगहें खाली रह जायं, ऐसी भी नौबत आ सकती है कि हाउस में कुल तीन ही मेम्बर हों और पांच एलेक्ट करने हों तो दो जगहें खाली रह जायेंगी, तो ऐसी हालत में उनके नामिनेशन का अख्तियार हुकूमत को है । लेकिन अब जो उसमें तरमीम लायी जा रही है उसमें ज्यादा अहमियत इस बात की नहीं है । गवर्नमेंट को जो नामिनेशन

[श्री जियाउर्रहमान]

के अख्तियारात देना चाहते हैं, वह तो गवर्नमेंट के पास पुराने ऐक्ट के मुताबिक हैं ही । सवाल तो ज्यादा अहमियत का यह है जिस पर मैं समझता हूं कि एक बहुत गम्भीर विचार की जरूरत है कि अगर इन इन दफात में एलेक्ट नहीं हो पाता है, मैं आपकी आज्ञा हो तो अंग्रेजी का पढ़ दूं—

"If any of the bodies mentioned in sub-section (1) of this Section or in clause (3) of Section 11 or in clause (3) of Section 12 fails to elect the requisite number of members of the Board within such time as may be prescribed or In the opinion of the State Government it is not properly constituted....".

अधिष्ठाता महोदय, इसमें खास बात यह है कि इन दि ओपीनियन आफ दि गवर्नमेंट, सरकार की नजरों में, सरकार ऐसा महसूस करे और यह उसका नुक्तये नजर हो कि यह बोर्ड प्रापरली कांस्टीट्यूटेड नहीं है । मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर इस किस्म के प्रावीजन इस ऐक्ट में लाये जाते कि इस वक्त बोर्ड के बारे में किन-किन हालात में बोर्ड प्रापरली कांस्टीट्यूटेड होगा । लेकिन इन दि ओपीनियन आफ दि गवर्नमेंट ठीक नहीं है क्योंकि पता नहीं खुदा जाने कब स्टेट गवर्नमेंट समझे कि यह प्रापरली कांस्टीट्यूटेड बोर्ड है या नहीं है । मुझे इससे सख्त इख्तलाफ है । मैं ऐसा समझता हूं कि यह तरमीम मुनासिब नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, इस सिलसिले में कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जिनका न यह माहौल है और न मौका ही है । माननीय सदस्य रियासत हुसैन साहब ने इस मसले पर बहस करते हुए अजीब मसला छेड़ दिया । उन्होंने जमैतुलउलमा हिन्द और देवबन्द के बारे में कहा । मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह एक ऐसी जमाअत है प्रेजेंटेशन सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जरूर होना चाहिये था । क्या यह उनको रिप्रेजेंटेशन सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दिलाना चाहते हैं जो मुसलमानों को यहां पर सिसकता हुआ छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे ? १९४७ के बाद वह वक्त आया जिस वक्त इंसानियत तड़प रही थी तो उस वक्त सुन्नी मुसलमानों को सहारा देने वाला कौन था ? हमारे माननीय सदस्य को ऐतराज है । इसलिये कि जमियत दूसरे मसलक को मानने वाली है । मौलाना शाहिद फखरी किस मसलक को मानने वाले हैं ? वह जमियतुल उलेमा के वाइस प्रेसीडेंट और वक्फ बोर्ड के मेम्बर भी हैं । मैं समझता हूं कि जमैयतुल उल्मा हिन्द ऐसी जमाअत नहीं है जिसकी मुखालफत की जाय । उसने सारे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन किया है । उसमें बड़े-बड़े आलिम और विद्वान् लोग हैं जिन्होंने उस कम्यूनलिज्म का जो कि १९४६-४७ के पहले फैलाया गया था, मुकाबला किया है । मुसलमानों को सहारा देने वाली यह जमाअत है । मैं दावा करता हूं कि यह एक ऐसी जमाअत है जिसका हमेशा से एक कैरेक्टर रहा है कि उसने हमेशा साफ बात कही है और कभी वह पीछे नहीं रही है । फिर ऐसी जमाअत को रिप्रेजेंटेशन न दिया जाये यह कहां तक मुनासिब है । कल को यह माननीय सदस्य कहने लगें कि मुस्लिम लीग का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, इस किस्म की बात मुनासिब नहीं है । देवबन्द का एक रोल रहा है । मौलाना हिफजुर्रहमान की एक शख्सियत थी, उन्होंने १९४७ में....

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी बहस को सीमित रखें और किसी ऐसे व्यक्ति का जो सदन के बाहर हो उसका नाम लेकर उनके बारे में सवाल करना या तारीफ करना ठीक नहीं होगा ।

श्री जियाउर्रहमान—

अधिष्ठाता महोदय, इसके लिये मैं माफी चाहता हूं । मैं तो यह बातें सिर्फ माननीय सदस्य की बातों के जवाब में अर्ज करना चाहता था । यदि उस वक्त माननीय सदस्य ने इन बातों को न छेड़ा होता तो मैं नहीं कहता । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिसकी मुल्क की खिदमत न हो, मजहब की खिदमत न हो, जिसकी इल्मी और कौमी खिदमत न हो, तो उसको रेप्रेजेन्टेशन

देना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा । अधिष्ठाता महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदन के सामने कहना चाहता हूं कि मौलाना हिफजुर्रहमान साहब जो आल इंडिया जमीयतुल-लउ-माये हिन्द के जनरल सेक्रेटरी और देवबन्दी ख्याल के आलिम थे उन्होंने दिल्ली में बैठकर उर्स कराया और उसमें वह स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने कव्वाली सुनी । बावजूद इसके कि कव्वाली को सुनना उनके मसलक के सरासर खिलाफ था । यह वह वक्त था जब सन् ४७ में दंगे फसाद हुए थे और उर्स वगैरह उस समय बन्द हो गये थे, ऐसे समय मे उन्होंने उर्स कराया और उसमें गांधी जी आदि को भी ले गये । तो मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की बातों में कुछ रखा नहीं है । माननीय सदस्य ने जो विधान सभा के सदस्य चुने जाने के बाद वक्फ बोर्ड का एलेक्शन कान्टेस्ट किया, बदकिस्मती से यहां जो सुन्नी सदस्य हैं उनको उनका बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और एलेक्ट नहीं हो सके । तो इस रिप्रेजेन्टेटिव हाउस के जो पांच मेम्बर चुने जाते हैं, उनमें चुनकर वह भी आ जाते तो कौन से एतराज की किसी के लिये बात थी, लेकिन आप नहीं आ पाये तो इसके लिये कोई क्या करे । इसलिये इस तरह की बात कहना और जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य लाये हैं और लाना चाहते हैं वह किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है । उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

जरूर इसमें कुछ खामियों रह गई हैं और चूंकि इसका पर्सनल ला से ताल्लुक है, तो यदि मंत्री जी इस बात पर राजी हों कि ऐसी एक सेलेक्ट कमेटी बन जाए, मुस्लिम सदस्यों की जो इस देखे और देखकर मुनासिब अमेंडमेंट लाये जायें तो बहुत बेहतर होगा ।

मैं माननीय सदस्य, कमलासिंह जी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं । यह भी हमारी बदकिस्मती है कि हम किसी चीज के मुताबिक जानकारी रखें या न रखें, बहरहाल लेजिस्लेचर में हैं तो उसके मुताल्लिक हमें कुछ कहना ही है । सेक्युलर इज्म की बात की गई । आज दिलों को साफ करना चाहिये, दिलों को बसी करना चाहिये । दिल खुले हों, आंखें खुली हों तो माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उनमें कोई एतराज करने की बात नहीं है । लेकिन सेक्यूलरिज्म की बातें करना और अमल उसके खिलाफ करना ठीक नहीं है ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

श्रीमन, २ बज चुके हैं, पांच मिनट हो गये है, लेकिन सदन में कोरम नहीं है ।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गई ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन, उसमें १ से २ के बीच वाले कोरम का प्रतिबन्ध हटाने की बात अब १ बजे से ३ बजे के अन्दर कर दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विधिवत् भेजियेगा और उस पर बाद में विचार किया जायगा ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री जियाउर्रहमान—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि सेकुलरिज्म में यह शिया वक्फ सुन्नी वक्फ और हिन्दू एडाउमेन्ट सब अलग-अलग हों यह ठीक नहीं है, तो उनसे कहना चाहता हूं कि अलग-अलग धर्मों में औकाफ और एन्डाउमेंट्स का अलग-अलग निजाम और तसव्वर है । उन्होंने अपने-अपने रेलीजस एन्डाउमेंटस का अलग-अलग इंतजाम किया हुआ है । सेकुलरिज्म का हरगिज यह मंशा नहीं है कि इस मुल्क के धार्मिक निजामों का गला घोंट दिया जाय । अगर वह सेकुलरिज्म का मतलब यह समझते हैं तो वह गलत समझते हैं और यह सेकुलरिज्म के साथ दुर्व्यवहार करना है । यह मुसलिम औकाफ बिल में संशोधन है और उसमें सेकुलरिज्म की

[श्री जिया उर्रहमान]

बात लाना कहां तक मुनासिब है। और दूसरी सब जगहों में जिन्दगी के और शोबों में सेकुलरिज्म की बात पूरी तरह से कर लें तब इधर बढ़ें। बिला शुबह हमारे संविधान में इसको माना है लेकिन मुल्क के अन्दर क्या हाल है।

श्री अधिष्ठाता—

आप सेकुलरिज्म की बात को इस बिल तक कनफाइन रखें।

श्री जियाउर्रहमान—

तो खैर, मैं उस बात को कह चुका कि अभी तक हम सेकुलरिज्म को उसके मुकाम पर नहीं पहुंचा सके हैं जिससे हम मतालबा कर सकें कि हम हर शोबे-ए-जिन्दगी के साथ सेकुलरिज्म को जारी करेंगे। इस अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा माननीय न्याय मन्त्री से कि वे इस बात पर विचार करने के लिए जो मुस्लिम सदस्य हैं जिनका ताल्लुक इस बिल से है और मुस्लिम औकाफ बोर्ड से है अगर उनको बैठा कर उनकी राय और मशविरा लेने का तरीका निकाल लें तो मुनासिब हो।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो अमेंडिंग वक्फ बिल आया है यह जिस कड़ी और कठिन जबान में लाया गया है मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी खुद उसको समझ न पाए होंगे और उन्होंने अगर इस का उर्दू या अंग्रेजी में तरजुमा पढ़ा है तो और बात और अगर अंग्रेजी में नहीं देखा है तो वे उसको बिल्कुल नहीं समझ पायेंगे। मैं खुद भी समझ नहीं पाया हूं इसलिए मुख्तसरन अपनी बात कहूंगा।

यह मुस्लिम औकाफ उन लोगों के हैं जिनकी हड्डियां जमीन के नीचे मौजूद भी न होंगी लेकिन उन्होंने वक्फ कर दिये हैं तो हम लोगों का फर्ज है कि हम उनकी वसीयत और वक्फ की मंशा के मुताबिक उनकी हिफाजत और तरक्की के लिये पूरी कोशिश करें। मैं अर्ज करूंगा कि पिछली बार मरकज के मन्त्री, हुमायूं कबीर साहब तशरीफ लाये थे उन्होंने मुस्लिम मेम्बरों की राय जानने के लिए इकट्ठा किया था, क्या अच्छा होता कि इस बिल को लाने से पहले ऐसे मेम्बरों की राय देने के लिए आपने भी इकट्ठा कर लिया होता। इसके अलावा मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि हमारे बहराइच में सैय्यद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह आलम दरगाह वक्फ है। उसमें कोई इन्तजामी कमेटी नहीं बनाई गई है। मैं समझता हूं कि वह ऐसा वक्फ है जहां पर इन्तजाम चलाने के लिए इन्तजामिया कमेटी होना जरूरी है। जहां तक जियाउर्रहमान साहब और रियासत हुसैन साहब की तकरीर का ताल्लुक है मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं और यह अर्ज करता हूं कि इसमें हरएक शख्स को और हर किस्म के लोगों को पालिटिक्स करने का मौका हरगिज नहीं मिलना चाहिए और जो इससे ताल्लुक रखते हों उनको अपनी राय जाहिर करने का मौका जरूर मिलना चाहिए। मैं अर्ज करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ताकि जो इसके अन्दर खामियां हैं वह दूर की जा सकें और वक्फ का बुनियादी मकसद हासिल हो सके।

अक्सर मजारात देखे जाते हैं जो जबाने हाल से पुकारते हैं—

बर मजारे या गरीबां न चरागे ना गुले।
न परेपरवाना सीजद ता सदाए बुलबुले॥

मतलब यह है कि हम और बेकस के मजार पर न दिया है न फूल और न तो परवानों के पर जलते हैं और न बुलबुल का चहचहाना, बेकसी ही बेकसी है।

श्री सैय्यद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, यह बिल जैसा मैंने अर्ज किया था ऐसा नहीं है जिसके लिए इस किस्म की जरूरत हो कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय मगर बहरहाल तजवीज आई है तो उसके सिलसिले में मुझे कुछ अर्ज करना है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि एक पुराना मुस्लिम वक्फ ऐक्ट था जो १९३६ में पास हुआ था। उसी पर अमलदरामद हो रहा है। लेकिन उस ऐक्ट को तरमीम किया गया। १९६० में उसकी जगह पर एक नया ऐक्ट बनाया गया जिसकी आज तरमीम पेश है। जब यह नया बनाया गया था तो उस वक्त इस बात का पूरा लिहाज रखा गया कि जितनी मुस्लिम ओपिनियन हासिल हो सके हासिल की जाय। वह महज उन माननीय सदस्यों तक महदूद नहीं थी जो असेम्बली के थे बल्कि बाहर के भी जो मुअज्जिज लोग थे उनकी राय भी ली गई। वह अमेंड किया गया। अब उसके अमलदरामद में कुछ दिक्कत महसूस की गई। महज उन दिक्कतों को हल करने के लिए यह मौजूदा बिल लाया गया है। इसमें किसी किस्म की उसूली चीज नहीं है। जल्दी इसको लाने की जरूरत यों हुई कि यहां पर दो वक्फ बोर्ड हैं जो इस सूबे में काम करते हैं। एक शिया बोर्ड दूसरा सुन्नी बोर्ड। दोनों ने यह कहा कि बहुत सारा ऐसा रुपया है जो हमको नहीं मिल पाता। जहां वक्फ बोर्ड को वक्फ से जमींदारी का मिला करता था वह खत्म हो गई। उसकी जगह पर वक्फ की जिम्मेदारी थी। गवर्नमेंट ने यह तय किया कि इसकी जगह पर एन्यूटी गवर्नमेंट देगी। चूंकि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में यह है कि एन्यूटी ६ परसेन्ट गवर्नमेंट काटकर वक्फ की जायदाद की बकिया रुपया उन लोगों को देगी जो उसके मुस्तहक हों, तो इसके ऊपर ही सारा दारोमदार है।

जहां तक उनके मुतवल्ली से ६ परसेन्ट मिलने का ताल्लुक है इसमें बहुत दिक्कत है। कोई देर से देता है, कोई नहीं देता है। किसी के लिए कार्यवाही करनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट के रुपए का ताल्लुक है वह तो ६ परसेन्ट उसको सीधे मिल जाता है। इस एन्यूटी के सिलसिले में बहुत सारी ऐसी चीजें थीं जिनका जिक्र इसमें किया गया है और जो अलफाज 'एन्यूटी' में नहीं आतीं। इसलिए जरूरत पड़ी कि यह अलफाज इसमें शामिल कर दिए जायं। इसमें यह अंग्रेजी के अलफाज हैं—यह दफा ५ है ऐक्ट की :

"Where any waqf is entitled to be paid any annuity on account of rehabilitation grant under section 99 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, any contribution payable by such waqf under section 34, to the extent of six per cent of the aggregate of the said annuity and of the interest payable to the waqf on Zamindari Abolition compensation Bond Stock Certificate issued under the rules made under the said Act,may be paid by the State Government out of such annuity on production by the Secretary of the Board of a Certificate in the prescribed form."

तो इसमें दिक्कत यह पड़ रही थी कि बहुत से ऐन्यूटी बांड जो जमींदारी एबालिशन के थे उनके लिए तो प्राविजन था, लेकिन जो कम्पेंनसेशन के थे उनके लिए कोई प्राविजन नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—

यह जो धारा आपने पढ़ी उसमें वार्षिक वृद्धि के स्थान पर वार्षिक वृत्ति आप पढ़ेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां। कमलासिंह जी की वह तरमीम मैंने एक्सेप्ट कर ली है। तो इस वजह से इसमें जल्दी पड़ी और इसकी जरूरत हुई। इसी तरह से एक और दिक्कत थी कि जो मुकदमा दायर किया जाता है उसमें वक्फ को अधिकार होगा कि वह इजाजत दे देगा और अब डिस्ट्रिक्ट जज से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

[श्री सैयद अली जहीर]

अब नामजदगी की जहां तक बात है उसके लिए माननीय सदस्य देखेंगे कि पहले ऐक्ट में दफा १३ थी :

"If the requisite number of members of a Board as provided by clauses (i) of Sections 11 and 12 are not elected by the members of the State Legislature, the deficiency shall be made good by election of the requisite number of members by the Provincial Muslim Educational Conference in the case of the Sunni Central Board, and by the Executive Committee of the U. P Shia Conference (Registered) in the case of the Shia Central Board failing which the deficiency shall be made good by nomination by the State Government."

तो नामिनेशन की बुनियादी बात उस ऐक्ट में तसलीम कर ली गयी थी और उसकी वजह से ही यह किया गया। लेकिन एक नहीं दो बोर्ड हैं शिया वक्फ और सुन्नी वक्फ और उन के लिए दफा ११ और दफा १२ में प्राविजन है कि किस तरह से वे बनेंगे। दफा ११ इस प्रकार है :

"The Sunni Central Board shall consist of the following Sunni Muslims elected in the manner prescribed or co-opted as hereinafter indicated :

(i) five members to be elected, not necessarily from amongst themselves by Sunni members of the Legislature of the State ;

(ii) two members to be elected from amongst themselves by Sunni members of the High Court Bar Association, Allahabad and Oudh Bar Association, Lucknow ;

(iii) one member, to be elected from amongst themselves by members of the Working Committee of the Provincial Jammatul Ulema, U. P.;

(iv) one member, who shall be a Sunni Muslim possessing special knowledge in Accountancy, to be co-opted by the members elected under clauses (i) to (iii) above ;"

इस को देखते हुए सिवाय इसके कि जमैयतुल-उलेमा के मामले में तो यह बहस हो सकती है कि यह कांस्टीट्यूटेड है या नहीं, लेकिन और जो जमातें हैं उनके लिए इस तरह का सवाल नहीं आ सकता क्योंकि बार एसोसियेशन इलाहाबाद और लखनऊ का बना हुआ है और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से जो उन के चुने हुए नुमाइन्दे हैं वह कोआप्ट करेंगे। तो उसमें फर्क पड़ने का अन्देशा नहीं है। लेकिन जब शिया वक्फ बोर्ड की बात आएगी तो आप देखेंगे कि—

"(i) five members to be elected, not necessarily from amongst themselves, by the Shia members of the Legislature of the State ;

(ii) one member to be elected by the Executive Committee of the U. P. Shia Conference (Registered) from amongst its members ;

(iii) one member to be elected by the Board of Trustees of the Shia College, Lucknow from am ongst its members ;

(iv) three members to be co-opted by the above seven members from amongst the persons whom they regard as Ulemas ; and

(v) the President, if he is not one of the above ten members."

बाकया यह है कि सन् ६२ में एलेक्शन हुआ। शिया मेम्बरों का एलेक्शन करना था। उसमें ५-६ आदमी खड़े हुए, लेकिन सब एलेक्शन हार गये और सिर्फ मैं जीत कर आया। बाद में

दो मेम्बर और शरीक हो गये। तो हो सकता है कि ५ आदमी जीत कर न आ पायें, इस लिए यह किया गया है। आगे भी यह सूरत आ सकती है, इस खयाल से इसको किया गया। इसी तरह से (२) है, "बन मेम्बर टु बी इलेक्टेड"....

एक सदस्य—

श्रीमन्, हिन्दी में ही यह बिल पेश हुआ है और माननीय मन्त्री जी अंग्रेजी में ही पढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं खुद समझता हूं कि सरकार की तरफ से अंग्रेजी में पढ़ा जाना बहुत अच्छा नहीं है। मैंने सहूलियत की गरज से ऐतराज नहीं किया। अब आगे पढ़ें तो हवाला दे दें और समझा दें।

श्री कमलासिंह यादव—

तब तो अधिष्ठाता महोदय, हमारा मुंह बिल्कुल बन्द कर दिया था।

श्री सैयद अली जहीर—

इस का मतलब यह है कि एक मेम्बर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी यू० पी० शिया औकाफ का चुने। तो सूरत हाल यह हुई कि सन् ५३–५४ से इस जमाअत का वजूद जिस तरह से होना चाहिए था वह नहीं है। एक जमाअत अमरोहा की, एक लखनऊ की और एक गाजीपुर में थी। तीनों कह रही थीं कि हम उसके नुमाइन्दे हैं—यू० पी० शिया औकाफ बोर्ड के जो एक रजिस्टर्ड बाडी है। जब गवर्नमेंट ने देखा और कागजात मंगाए तो मालूम हुआ कि किसी का वजूद नहीं है, उसके सिलसिले में रिट एप्लीकेशन अदालत में चल रही है। तो जब नहीं है तो क्या किया जाय? नामिनेशन का उसूल तसलीम शुदा था। तो यह किया गया कि गवर्नमेंट को अधिकार उसकी जगह पर नामिनेट करने का होगा। इसी तरह से और जमायतें हैं जहां से एलेक्ट होकर आते हैं, वह आवेंगे। तो कोई मंशा नहीं था कि कोई गैर-जरूरी अधिकार हम लेना चाहते हैं या कोई जबरदस्ती किसी जमायत को हटा कर उसकी जगह पर आना चाहते हैं। गवर्नमेंट का मंशा है कि चूंकि यह जमाअतें वजूद में नहीं हैं तो बजाय इसके कि लड़ाई-झगड़ा हो, गवर्नमेंट एक आदमी को नामजद कर दे और काम चलता रहे। जब कोई जमाअत वजूद में आ जायगी तो वह काम करेगी। लिहाजा इसको किसी प्रवर समिति के मुताल्लिक भेजने का मेरे खयाल में जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नया उसूल इसमें नहीं है जो तसलीम किया गया हो।

जहां तक औकाफ की बद-इन्तजामी के बारे में कहा गया कि फलां वक्फ में यह हालत है। तो जो इख्तलाफात हैं वह इन्टरनल हैं, उनकी जो बहस उठायी गयी उसका कोई मौका इस वक्त नहीं है। गवर्नमेंट ने तो एक खुद-अख्तियारी जमाअतें दोनों बना दी हैं। दो बड़े-बड़े तबके हैं—शिया और सुन्नी—उनके लिए यू० पी० में इन्तजाम कर दिया है। अब अगर इसमें कोई इख्तलाफ है तो वहीं से दूर होना है और अगर बद-इन्तजामी है तो उसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। वह उस इन्तजाम को देखे और जहां तक एक खयाल के लोगों का इसमें हो जाने का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, यह जरूरी नहीं है। जहां तक जमीयतुल उलेमा का ताल्लुक है उनका एक मेम्बर आता है। फिर बार एसोसिएशन के मेम्बर आते हैं, लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स आते हैं, और जमाअतों से आते हैं और वह लोग मिल कर चलते हैं, अगर वह दूसरे खयाल के लोगों के आ जाने पर कोई रुकावट और मुमानियत की बात नहीं है। तो इन बातों को उठाना एक गैर जरूरी चीज है।

जहां तक कि हवाला दिया गया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का, मुझे मालूम है कि सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड बना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे यहां सन् ३६ से वक्फ ऐक्ट लागू था और उसी के

[श्री सैयद अली जहीर]

मुताबिक सारा इन्तजाम यहां का चल रहा है। कई दफा कोशिश की गयी और प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने चाहा कि हम उनके ऐक्ट को मान लें और अपने ऐक्ट को खत्म कर दें, लेकिन इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई, माननीय सदस्य जमा हुए और बात-चीत हुई तो उसमें सबने माना कि हमारे वक्फ ऐक्ट का इन्तजाम बेहतर है और हमको कोई जरूरत नहीं है कि हम उनके ऐक्ट को लें और अपनायें और अपने ऐक्ट को तह कर के रख दें। यहां तक हुआ है कि जो हमारे ऐक्ट के प्राविजन्स हैं उनको उन्होंने अपने यहां इस्तेमाल किया है और जो बातें हमारे यहां होती रहती हैं उनको उन्होंने अपने ऐक्ट में दाखिल किया है। उसके अलावा एक सेन्ट्रल ऐडवाइजरी कमेटी भी बन गयी है जिसमें तमाम देश के मुसलमान औकाफ के नुमाइन्दे होते हैं। जो उनकी प्राबलम्स होती हैं उन्हें वे हल करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हम सेंट्रल ऐक्ट को अपनी जगह पर लागू करें। बल्कि एक ऐक्ट जो सन् ३७ से हमारे यहां चला आ रहा है उसी को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इसे सैलेक्ट कमेटी में भेजने की जरूरत नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

बिला वजह भाई जियाउर्रहमान साहेब ने जिक्र छेड़ दिया जिसे मैं यहां कहना नहीं चाहता था। वह शायद यह भूल गये कि जमातुल-उलेमा उसी दिन खत्म हो गया है जिस दिन हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ। उसकी नुमाइंदगी का यहां कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। क्या सरकार या कांग्रेस पहले सुन्नत बिल जमात के खयाल के मुसलमानों को नजरअन्दाज कर सकती है? सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रुपये में १२ आने मुसलमान पहले जमात सुन्नत के खयालात से मुत्तफिक हैं और वही खयालात रखते हैं जो उर्स और मजारों पर जाकर पेश करते हैं और दुआयें मांगते हैं कि हमारी मुश्किलें आसान हों। बोर्ड के कांस्टीट्यूशन में, जिसका हवाला मंत्री जी ने दिया, मखसूस तरह से जमियंतउलमाये हिन्द के नुमाइंदे के लिये आपने जगह कर दी रुपये में ४ आने इस ख्याल के लोग कुल होंगे। मैं मानता हूं कि देवबन्द में उलेमा ज्यादा होते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन गरीब मुसलमान जिनकी तादाद ज्यादा है उनके नजदीक देवबन्द स्कूल आफ थाट कोई मानी या अहमियत नहीं रखता है। इसलिये मेरा कहना है कि बोर्ड में अहले सुन्नत के खयाल के लोगों को भी जगह मिलनी चाहिये।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

यह क्या चीज है?

श्री रियासत हुसैन—

देवबन्द स्कूल आफ थाट अलग है और बरेली स्कूल आफ थाट अलग है। लेकिन बरेली स्कूल आफ थाट के मानने वाले मुसलमान ज्यादा हैं। अहले सुन्नत बिल जमात की कोई नुमाइंदगी इसमें नहीं रखी गई है। हुमायूं कबीर साहेब जब तशरीफ लाये थे तब भी मैंने उस बात को उठाया था। अगर मंत्री जी सब लोगों से मश्विरा करके कोई कंप्रिहेंसिव बिल लावें जिससे सब सैक्शन्स के लोगों की बात पूरी हो, तो वह ज्यादा उचित होता। अब यह हमारी बदकिस्मती है कि ज्यादातर लोग इसमें नुमाइंदगी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित है कि मंत्री जी इसे सैलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे और जैसे ज्यादातर अकीदे के लोगों को आज तक कुचला जाता रहा है वही बात होती रहेगी। अगर यही इस सरकार का ध्येय है कि अकसरियत के खयालात को नुमाइंदगी न मिलने पावे तो यह चीज उन्हें मुबारक हो। अगर मंत्री जी सैलेक्ट कमेटी में न भेजें तो मुस्लिम लेजिस्लेचर्स को ही बुलाकर उनसे सलाह करके बिल लावें तो ज्यादा उचित होगा।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, जमातुल-उलमाए हिन्द को कोई नया अधिकार नहीं दिया है। यह सन् ३६ से कानून है और सन् ६० में तमाम मुसलमानों से मश्विरा करके वह तरमीम रखी गई थी। वही दफा आज भी बदस्तूर है। उसमें तरमीम का इरादा नहीं है। इस मौके पर यह बहस उठाना मुनासिब नहीं है। अमल दरामद में कुछ दिक्कतें आई और उन्हें हल करने के लिये यह बिल लाया गया है। लिहाजा में उम्मीद करता हूं कि प्रवर समिति के प्रयोजल को माननीय सदस्य वापस ले लेंगे।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६० की धारा १३ का प्रतिस्थापन

"१३—(१) यदि धारा ११ के खण्ड (१) या धारा १२ के खण्ड (१) के अनुसार अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य राज्य विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा कतिपय आकस्मिकताओं में राज्य सरकार का नाम-निर्देशन करने का अधिकार। ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, निर्वाचित न किये जायं तो इस कमी की पूर्ति, सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में प्राविन्शियल मुस्लिम एजूकेशनल कांफ्रेन्स द्वारा, और शिया सेन्ट्रल बोर्ड की दशा में यू० पी० शिया कांफ्रेन्स (रजिस्टर्ड) की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचन करके की जायगी।

(२) यदि इस धारा की उपधारा (१) में या धारा ११ के खण्ड (२) या खण्ड (३) में अथवा धारा १२ के खण्ड (२) या खण्ड (३) में उल्लिखित कोई निकाय—

(क) ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्य निर्वाचित न कर पाये, या

(ख) उस समय जब उसके द्वारा निर्वाचन किया जाना हो राज्य सरकार की राय में—

(१) उचित रूप में संघटित न हो, या

(२) विद्यमान न हो,

तो इस कमी की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशन करके की जायगी।

(३) यदि उपधारा (२) में अभिविष्ट किसी निकाय के विद्यमान होने अथवा उचित रूप में संघटित होने के विषय में कोई प्रश्न उठे तो, केवल इस धारा के प्रयोजनों के लिये और उक्त निकायों या उनके सदस्यों अथवा पदाधिकारियों के किन्हीं अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १३ की उपधारा (२) के उपखण्ड (ख) के (२) के पश्चात् शब्द "तो इस कमी की पूर्ति" और "राज्य सरकार" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय:

"ऐसे समय के लिये जब तक कि निकायों का संगठन न हो जाय, अथवा संघटित निकायों द्वारा सदस्य निर्वाचित न हो जायं ।"

मेरा खयाल है श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति इसलिये नहीं होना चाहिये जब माननीय मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे आपत्ति नहीं है और वे चाहते भी नहीं कि एक बार जिसका नामीनेशन सरकार द्वारा हो जाय वह पूरे बोर्ड के टर्म के लिये बना दिया जाय । मेरा जो संशोधन है सरकार को पावर तो होगी उस वक्त जब कि कोई संगठित निकाय नहीं होगा या जो संगठित निकाय हो वह समय से अपने नाम निर्देशित व्यक्ति को न भेज सके । ऐसी अवस्था में माननीय मंत्री जी का मंशा नहीं है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि मंशा ऐसा नहीं होना चाहिये और न कोई इस पक्ष में है कि सरकारी कमेटी बराबर रहे। माननीय मंत्री जी ने सदन में जो अपने भाव व्यक्त किये हैं ठीक उसी को दूसरा रूप देने के लिये संशोधन में रख रहा हूं । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे क्योंकि इससे यह फायदा हो जायेगा कि जब वह निकाय जिनका एक्जिस्टेन्स नहीं है उसके बारे में माननीय मंत्री जी का जो कहना है वह ठीक है, लेकिन जहां निकाय हैं और उन्होंने समय से नहीं भेजा तो उन्हें हमें मौका देना चाहिये कि वह अपना निर्वाचित कोई भी व्यक्ति इस बोर्ड के लिये मेम्बर बना सके । इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो संशोधन है उसको मान लें । इससे फायदा होगा । जो संगठित निकाय हैं उनको मौका मिलेगा और जो गठन करना चाहते हैं वे भी गठन कर सकते हैं और जब रजिस्टर्ड बाडी हो जायेगी तब वे भी अपना प्रतिनिधि भेजेगी । इन शब्दों के साथ में उम्मीद करता हूं कि जो नामीनेशन होगा वह ऐसे समय के लिये करेगी जब तक वह अवस्था रहेगी जैसा कि मैंने दिखलाया और उनके बाद जब प्रतिनिधि आ जायं तो उनको मौका मिलना चाहिये कि जो बोर्ड का बाकी समय है वह आदमी उसका सदस्य समझा जाय जिनका निर्वाचन इस तरह के निर्वाचन से हो ।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जो आदमी नामजद किया जाय उस हालत में जब कोई ऐसी जमात वजूद में हो तो उसकी मियाद कितनी होगी । जहां तक पुराने कानून का ताल्लुक है उसमें हम कोई तरमीम नहीं कर रहे हैं । दफा २३ के मातहत हर मेम्बर की मियाद पांच वर्ष होगी । जाहिर है कि या वे मेम्बर हो जाते हैं या नहीं होते हैं । अगर मेम्बर हो जाते हैं तो पांच वर्ष के लिये रहेंगे । उस समय में अगर जमात बन जाती है दूसरा चुनाव होता है तो उसमें उसका नुमाइन्दा जा सकता है । लेकिन अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेन्ट वह जिम्मेदारी लेकर नामजद कर दे, एक महीने बाद वह कह दे और गवर्नमेन्ट हटावे दूसरे मेम्बर को बनाये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल गवर्नमेन्ट खयाल रखेगी कि जो नामजद किया जाय, और अगर उस जमात का वजूद है, तो इसका खयाल गवर्नमेन्ट रखती है। मगर यह नहीं हो सकता कि कोई जमात आये और कहे कि हमने जमात बना ली, अब हमको अधिकार होना चाहिये, तो यह मुनासिब न होगा कि उसको अधिकार दे दिया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस सरकार के दो मुंह हैं। एक बार सरकार कुछ कहती है और दूसरी बार कुछ कहती है। कल भी माननीय बनारसीदास जी ने एक आश्वासन दिया था तो मैंने एक मिसाल दी थी कि १० गुना लगान लेकर सरकार ने यह वायदा किया था कि ४० साल तक लगान नहीं बढ़ायेंगे लेकिन लगान सवाया कर दिया। लेकिन आप तो न्याय मंत्री हैं, मैं तो आपको बहुत जिम्मेवार आदमी समझता हूं। लेकिन आपने शुरू में तो कहा कि सरकारी आदमी तो उसी वक्त तक के लिये नामजद होगा जब तक कि दूसरा इलेक्शन न हो जाय लेकिन अब आप उससे बिलकुल उल्टी बात कह रहे हैं। और इस बिल का भी इन्टरप्रिटेशन वही होगा जो मंत्री जी इस समय कह रहे हैं और ५ साल से एक दिन भी कम नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि खयाल किया जायगा तो खयाल क्या हवा में हो जायगा? जो कानून में आप लिख देंगे, अदालतों से तो वही सही माना जायगा। इसलिये सदन में जो आप आश्वासन देते हैं, वह विचार करने के बाद ही आपको देना चाहिये। जब आप अमेन्डमेन्ट के वक्त ही गौर नहीं कर रहे हैं तो बाद में क्या गौर करेंगे? यहां हमारे सामने हिन्दू-मुसलमान का प्रश्न नहीं है, हम लोग तो लाइयर हैं, हमारा तो यह फर्ज है कि जनता के जो राइट्स हैं किसी तरह से वे कम न हो जायं। कहीं ऐसा न हो जैसा कि गाजीपुर में एक पी० डब्ल्यू० डी० कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष पद के लिये माननीय मंत्री जी की पार्टी के एक साहब थे उन्होंने एक चालाकी की। उन्होंने अपने एक आदमी से कहा कि तुम अगर मीटिंग में न जाओगे तो कोरम नहीं होगा। ऐसा ही हुआ और मीटिंग पोस्टपोन हो गयी और दूसरे दिन देखा कि माननीय मंत्री जी ने उन्हीं को वहां चुन कर भेज दिया। इसमें दो रायें नहीं हो सकती, जैसा कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने कहा कि इसमें अवश्य ही ब्लैक हिस्ट्री होगी। इस तरह का काला कानून माननीय मंत्री जी को नहीं बनाना चाहिये और जनता के राइट्स को खत्म नहीं करना चाहिये और बोर्डों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिये। लेकिन आप अगर किसी के हकूक का हनन करेंगे तो यह किसी तरह से भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता और बोर्ड वालों को भी इस पर कुछ ऐसी कार्यवाही करना चाहिये जो कि मुमकिन हो। मुझे अफसोस है कि इस सदन से पास होने के बाद इस पर गवर्नर की मोहर लग जायगी और फिर कोई चारा न रहेगा क्योंकि उस वक्त वह ऐक्ट हो जायगा। इसलिये मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि कम से कम ऐसी चीज न करें कि जिससे किसी धर्म के लोगों को कष्ट हो। हर एक के यहां फन्डामेन्टल राइट्स हैं और आप उनको भी उनके हकूक एन्ज्वाय करने का अवसर दें। आप ने कुछ समय दिया और वह चूक गये तो हमेशा के लिये आप उनको डिबार न करें। इस तरह से आप अपने आदमी को मनमाने ढंग पर चाहे जितने समय के लिये रखने की बात न करें, इसमें तो डिक्टेटरशिप की भावना दिखाई देती है और जिस तरह से अधिकार जमाये रखने की भावना सरकार में आ रही है वह हटनी चाहिये। इसमें आगे खयाल करने की जरूरत नहीं है इसी वक्त वह खयाल करें और इसको मान लें। मंत्री जी विचारवान आदमी हैं और अच्छे बैरिस्टर रहे हैं.....

श्री ऊदल—

मंत्री जी इस से प्रभावित होने वाले नहीं हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

इधर तो लाल टोपी है जिससे उन्हें खतरा है, इधर के जो लाल टोपी के साथी थे वह भी उधर जाकर बैठ गये उनकी पीठ पर तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

इत्तफाक तो यह है कि माननीय सदस्य ने भी कानून पढ़ा है और प्रैक्टिस भी की है और वह सब कुछ समझते भी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि या तो वह मेम्बर हो जायगा या नहीं होगा। अगर वह नामजद करने से मेम्बर हो भी जायगा तो मियाद ५ साल की ही है। कोई ऐसी दफा जोड़ना मुनासिब न होगा कि जो दूसरी धारा के खिलाफ पड़े। दूसरे उनकी जो यह मंशा है कि हमेशा के लिये जगह गायब हो जायगी, ऐसा नहीं है वह तो सिर्फ इतना है कि नामजदगी के वक्त अगर कोई जमाअत वजूद में न हो सिर्फ उस वक्त का सवाल है। फिर नामजदगी आप जानते हैं कि ५ साल की बात होती है, पहले जनरल एलेक्शन होते हैं फिर गवर्नमेन्ट बनती है, उसके बाद मंत्री मुकर्रर होते हैं और उसके साल ६ महीने बाद ही जामाअतों से कहा जाता है कि वह अपने नुमाइन्दे भेजे अगर कोई जमाअत बन जाती है और नुमाइन्दे आ जाते हैं तो नामजदगी का सवाल ही नहीं पैदा होता और अगर जमाअत वजूद में ही न होगी तो जाहिर है कि सवाल नामजदगी का पैदा होगा और जो म्याद मेम्बर की है वह उसको मिलेगी। यह नहीं होगा कि अगर २ माह के बाद कोई जमाअत वजूद में आ गई और वहां से उसके नुमाइन्दों के नाम आ गये तो नामजदों को हटा दिया जायगा। यह मुनासिब न होगा। लिहाजा मैं माननीय सदस्य से अर्ज करता हूं कि वे अब इसको समझ गये होंगे और इसको मानते हुए संशोधन का इसरार न करेंगे और इस तरमीम को जो उन्होंने रखी है वापिस ले लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी बाद में करेंगे तो...

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने नामिनेशन के बारे में कहा है।

प्रश्न यह है कि खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १३ की उपधारा (२) के उपखण्ड (ख) के (२) के पश्चात् शब्द "तो इस कमी की पूर्ति" और "राज्य सरकार" के बीच निम्नलिखित रख दिया जाय :

"ऐसे समय के लिये जब तक कि निकायों का संगठन न हो जाय, अथवा संघटित निकायों द्वारा सदस्य निर्वाचित न हो जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ द्वारा प्रस्तावित धारा १३ की उपधारा (२) के बाद संघटित निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११, १२ व २१ में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार यदि उचित समझे तो अमुस्लिम व्यक्तियों का भी नाम निर्देशन कर सकती है।"

श्रीमन्, धारा ११ में सुन्नी बोर्ड के बारे में प्राविधान है और धारा १२ में शिया लोगों के लिये प्राविधान है। धारा २१ में डिस्क्वालिफिकशन के बारे में दिया गया है। धारा २१ में यह दिया हुआ है कि नान-मुस्लिम इसका मेम्बर नहीं हो सकता है और न इसका प्रेसिडेन्ट हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है। मैं तो चाहूंगा कि इस कानून को ऐसा बना दिया जाय जो नान-मुस्लिम भी मेम्बर हो जाय। इसके लिये मैं माननीय रफी अहमद किदवई साहब को नहीं भूल सकता हूं जिनको मैं तो हिन्दू समझता हूं और मुसलमान उन्हें मुसलमान समझते हैं। ऐसे भी बहुत से आदमी हैं जो हिन्दू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं समझते हैं। हो सकता है कि उनकी जगह माननीय गुप्ता जी ले लें। तो अगर माननीय मंत्री जी दूसरे को न चुनकर माननीय गुप्ता जी को ही चुने तो मैं समझता हूं कि उनको तथा किसी और मुसलमान को कोई एतराज नहीं होगा। ऐसे आदमी के आने के बाद हो सकता है कि यह बोर्ड आगे ही बढ़े और इसका मैनेजमेन्ट भी अच्छा हो सकता है।

जब यह सरकार सैक्युलर होने का दावा करती है तो इसको पहला कदम समझा जायेगा। हम यह नहीं कहते हैं कि आप सब हिन्दुओं को ही लें, लेकिन अगर एक आदमी को इनकी पार्टी जिसे उपयुक्त समझे नामिनेट कर दें तो अच्छा होगा। इसम हिन्दू और मुसलमानों की एकता में भी एक कदम होगा। ऐसे ही हिन्दुओं के मंदिरों की जो संस्थायें हैं उनमें भी एक आध मुसलमान को अगर नौमिनेट कर दिया जाय तो यह भी सैक्यलूरिज्म की ओर एक ठोस कदम होगा। यह एक कल्याणकारी चीज होगी। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसके बारे में मेरा जो संशोधन है उसे मान लें जिससे यह खतरा हमेशा के लिये समाप्त हो जाय।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की भावना का ताल्लुक है, उससे मुझे बिलकुल इत्तफाक है। भावना बहुत अच्छी है कि कोई जगह ऐसी न हो जो हिन्दू या मुसलमान या किसी खास जमात या मजहब के लिये मखसूस हो बल्कि सब जगह सब मजहब के लोग जा सकें तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यह जरा दूर की बात है। हमारा खयाल है कि हिन्दू या मुसलमान के धर्म की कोई बात नहीं है इसमें। आज भी बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जहां हिन्दू लोग अपने को हिन्दू कहते हुए भी नहीं जा सकते हैं, वहां पर इस किस्म की पाबन्दियां लगी हुई हैं कि वे नहीं जा सकते। हम कोशिश कर रहे हैं कि वह सब खत्म हो और जहां तक हो सके जो मजहबी सवाल हो, जिसका प्रैक्टिकल पोलिटिक्स से कोई संबंध न हो वहां पर किसी तरह की पोलिटिक्स को न लाया जाय। यह कानून या विधेयक इसलिये नहीं आया है कि हम किसी मजहब वाले को निकालना चाहते हैं या उनको बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम वक्फ का मामला मजहबी चीजों से संबंध रखता है, उसमें जो दिलचस्पी अकेले मुसलमान को हो सकती है वह हिन्दू को नहीं हो सकती। वह वक्फ संबंधी मामले का इन्तजाम मजहबी बिचार से कर सकता है। जैसे कब्रिस्तान का मामला ही है, हिन्दुओं के यहां कब्र तो होती नहीं, तो उनको क्या कब्रिस्तान से दिलचस्पी हो सकती है, मसजिदों का मामला होता है, इमामबाड़े वगैरह होते हैं, इन सब के इन्तजाम के मुताल्लिक जितनी दिलचस्पी मुसलमानों को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। धर्म के मामले में प्रैक्टिकल पोलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है और इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम होती, लिहाजा मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही कि हिन्दुओं को कब्रिस्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन शायद माननीय मंत्री जी को मालूम नहीं है कि कम से कम हमारे गाजीपुर जिले में अगर मुसलमान मरता है तो हिन्दू भी उसके साथ जाते हैं और अगर हिन्दू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

मरता है तो मुसलमान भी उसके साथ जाते हैं। हमारे यहां की एक परिपाटी-सी है कि शादी ब्याह में भी सब एक दूसरे के यहां आते जाते हैं।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

सरकार माननीय कमला सिंह जी को ही उसमें नामिनेट कर दे क्योंकि ये तो आधे हिन्दू हैं, आधे मुसलमान हैं, आधे शिया और आधे सुन्नी हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो कहता हूं कि पंडित वंशीधर पाण्डेय ही उसमें आ जायं, तो क्या हर्ज है? माननीय मंत्री जी मुसलमान हैं तो मैं उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता, इसमें शिया-सुन्नी की कोई बात नहीं है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज भी कुछ लोग मन्दिरों में जाने से गुरेज करते हैं लेकिन मेरा खयाल है कि अब यह भावना खत्म हो रही है। मेरा खयाल है कि आज भी कोई नाम न ले तो शायद किसी को कोई एतराज न होगा और न होता है। लेकिन जब कोई अपने को हरिजन डिक्लेयर करके जाता है तब कुछ एतराज कहीं कहीं होता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी काशी विश्वविद्यालय के विश्वनाथ मन्दिर में कोई हरिजन या मुसलमान भी जाना चाहे तो उस पर कोई रोक नहीं है और वहां कोई यह नहीं कहता कि इससे हमारा मन्दिर अपवित्र हो जायगा। तो इस भावना को लोगों में लाने के लिये और दृढ़ करने के लिये ही मैंने यह संशोधन रखा है और मैं उम्मीद ऐसी कर रहा था कि धर्म के नाम पर जो लोगों में अलगाव की प्रवृत्ति फैल रही है वह दूर होकर हम लोग इकट्ठा आ सकेंगे और एक जगह रहकर हम आपका इन्तजाम करेंगे, आप हमारा इन्तजाम करेंगे और इस तरह से एक दूसरे के प्रति जो अलगाव की भावना पल रही है उसका खात्मा हो जायगा और वे चीजें जो हमेशा के लिये कटु भावना पैदा करने वाली हैं वे खत्म होंगी। इसी वजह से मैंने यह संशोधन रखा है। अब माननीय मंत्री जी को अधिकार है, वे जैसा चाहें करें, इसमें मुझे क्या करना है। मैंने सोचा था कि इससे बहुत ही अच्छी चीज हो जायगी और शायद आगे के लिये कोई रास्ता खुल जायगा।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे यह तरमीम मंजूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ द्वारा प्रस्तावित धारा १३ को उपधारा (२) के बाद संघटित निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि धारा ११, १२ व २१ में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी राज्य सरकार यदि उचित समझे तो अमुस्लिम व्यक्तियों का भी नाम निर्देशन कर सकती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) धारा १५ का में शब्द "बोर्ड के समस्त सदस्यों के संशोधन निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो," के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष से भिन्न समस्त सदस्यों के निर्वाचन, आमेलन या नाम निर्देशन, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

(श्री कमला सिंह का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन् कल वाला फैसला इस पर भी लागू होना चाहिये। माननीय कमला सिंह के सारे संशोधन असंगत हैं।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कल तो माननीय बनारसीदास फौज ले कर बैठे थे, लेकिन आज नहीं है।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३ रख दिया जाय :—

"३—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द 'बोर्ड के समस्त सदस्यों' के पहले शब्द अध्यक्ष से भिन्न रख दिये जायें।"

माननीय मंत्री जी जिस धारा का संशोधन इस संशोधन विधेयक के द्वारा करने जा रहे हैं वह इस प्रकार होगी :

मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो," के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष से भिन्न सदस्य/सदस्यों के निर्वाचन, आमेलन या नाम निर्देशन, जैसी भी दशा हो," रख दिये जायं।

जो मूल धारा है वह इस प्रकर है :

"१५—(१) बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो, के तुरन्त पश्चात् और बाद में जब कभी विद्यमान या प्रत्याशित रिक्ति के कारण या अन्यथा, अध्यक्ष नियुक्ति करना आवश्यक हो जाय, तो बोर्ड का सचिव अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा। सदस्य या तो अपने में से किसी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्वाचित कर सकते हैं।"

तो बोर्ड शब्द जो था वह शुरू में था। मंत्री जी अब जो संशोधन ला रहे हैं उसके जरिये बोर्ड शब्द निकल जाता है। तो किसके सदस्य वह समझे जायेंगे, यह समझ में नहीं आता। जब बोर्ड था तब तो यह समझा जाता कि बोर्ड के लिये है लेकिन अगर बोर्ड शब्द निकल जायगा तो मैं समझता हूं कि कैसे सदस्यों की रिक्ति की पूर्ति होने का सवाल होगा, यह समझ में नहीं आता? मैं केवल यह रखना चाहता हूं कि पहले से बोर्ड तो है ही, मंत्री जी के सामने जो कठिनाई आयी है वह यह है कि बोर्ड के जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष भी उसका सदस्य हो जाता है और अध्यक्ष का चुनाव होता नहीं है तो मंत्री जी जो संशोधन करने जा रहे हैं वह इसलिये कर रहे हैं कि अध्यक्ष से भिन्न सदस्यों के लिये निर्वाचन, या आमेलन, जैसी भी दशा हो, यानी अध्यक्ष का तो निर्वाचन होता है और जो सदस्य होते हैं उन का इलेक्शन भी होता है, कोआप्शन भी होता है, नामीनेशन भी होगा। तो चूंकि अध्यक्ष को इससे अलग मंत्री जी रखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर इतने शब्द जोड़ दिये जायें "अध्यक्ष से भिन्न" तो यह बहुत बढ़िया हो जायगा। इससे जो माननीय मंत्री जी का मंशा है वह ठीक होगा। इसलिये जो शब्दावली है, बोर्ड शब्द के हटाने से गलत हो जायगी। समझ में नहीं आयेगा किस के सदस्यों के बारे में मैं इस धारा में जिक्र किया गया है। अगर "अध्यक्ष से भिन्न" शब्द जोड़ देते हैं तो यह धारा स्पष्ट हो जाती है। अतएव मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि विधेयक में शब्दावली ऐसी गड़बड़ न हो जिससे दूसरा रूप लिया जा सके। मेरा संशोधन मान लेने से इस धारा में जो कमी है वह दूर हो जाती है और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उसे मान लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, यह तरमीम भी मेरी समझ में नहीं आई । दफा १५ में यह है कि जो मेम्बर चुने हुए होंगे या जो मेम्बर कोआप्टेड होंगे जो कि पहले से था और नामिनेटेड मेम्बर जिसका अब इस कानून में प्राविजन किया जा रहा है जो कि पहले वाले कानून में नहीं था और अब इसमें जोड़ा जा रहा है यह पूर्ण बोर्ड जब कभी हो. . . . . .

श्री कमलासिंह यादव—

बोर्ड शब्द कहां है ? किसके वह मेम्बर होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

बोर्ड निकल नहीं जाता है । दफा ११ में बोर्ड का जिक्र किया गया है और आखिर में यह भी लिखा है कि प्रेसीडेन्ट भी चुना जायगा तो उसी बोर्ड का मेम्बर हो जायगा और दफा १५ में प्रेसीडेन्ट के चुनाव का इन्तजाम है और जब प्रेसीडेन्ट के चुनाव के मुताल्लिक एक दफा बनी हुई है तो उसमें बोर्ड के लिखने की क्या जरूरत है ? बोर्ड जो है उसके मेम्बर जमा हो रहे हैं प्रसीडेन्ट को चुनने के लिये । जाहिर है वहां बोर्ड लिखा हुआ है और उसमें प्रेसीडेन्ट शामिल नहीं है । पूरी दफा १५ पढ़ी जाय तो साफ जाहिर हो जायगा कि प्रेसीडेन्ट का बोर्ड में शामिल होने से कोई मतलब ही नहीं है । जब तक प्रेसीडेन्ट मौजूद है दूसरा प्रेसीडेन्ट चुना नहीं जायगा चाहे मियाद खत्म हो गयी हो । यह गैर जरूरी तरमीम है, अनावश्यक है क्योंकि उसका पहले से ही इन्तजाम है ।

*श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने जो अध्यक्ष के चुनाव की बात कही उसे सुन कर आश्चर्य हुआ । अध्यक्ष के चुनाव के बारे में यह दिया हुआ है कि बोर्ड का सचिव अध्यक्ष को निर्वाचित करने के लिये सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा । तो कौन चुनेगा ? बोर्ड के सदस्य जो अध्यक्ष से भिन्न होंगे । अब बोर्ड निकल जायगा तो फिर अध्यक्ष शब्द के लाने की क्या जरूरत पड़ी ? जब अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं और अध्यक्ष से भिन्न सदस्य वहां हैं नहीं तो यह बेमानी हो जाती है । मैं यह संशोधन रख रहा हूं कि अध्यक्ष से भिन्न सदस्य इकट्ठा करेंगे जो कि अध्यक्ष का चुनाव करेंगे ।

मैं तो समझता हूं कि यह मखौल है इस कानून का । अगर आप हिन्दी नहीं समझ रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से पूछ लीजिये । इसमें दिया हुआ है कि बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या अनुमेलन, जैसी भी दशा हो, के तुरन्त पश्चात् या बाद में जब कभी विद्यमान या प्रत्याशित रिक्ति के कारण या अन्यथा अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक हो जाय तो बोर्ड के सचिव अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिये सदस्यों की एक बैठक बुलायेगा "और यहां मंत्री जी यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष से भिन्न सदस्य । अध्यक्ष तो हैं ही नहीं वहां । यह संशोधन इतना निकम्मा है कि मैं कह नहीं सकता . . . . . .

श्री सैयद अली जहीर—

यह मेरे ऊपर क्या चार्ज लगा रहे हैं, यह तो आपका ही अमेंडमेंन्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तरमीम तो आपकी है कि "अध्यक्ष से भिन्न" शब्द जोड़ दिये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इतना मानने के लिये तैयार हैं कि "अध्यक्ष से भिन्न" शब्द नहीं रहने चाहिये ? यह वे बतायें तब मैं आगे बढ़ूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है । जो आपको कहना हो वह कह लीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो सुनिये । जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत है वह इस प्रकार है :—

"मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के समस्त सदस्यों के निर्वाचन या आमेलन, जैसी भी दशा हो," इस सब के स्थान पर मंत्री जी ला रहे हैं कि "अध्यक्ष से भिन्न समस्त सदस्यों के निर्वाचन अनुमेलन, या नाम निर्देशन, जैसी भी दशा हो", मैं तो कह रहा था कि जो पुराना आपका क्लाज है उसम अगर आप "अध्यक्ष से भिन्न" रखना चाहते हैं तो इसके पहले रख दीजिये । लकिन अगर मंत्री जी इस बात से सहमत नहीं हैं और यह कहते हैं कि ये शब्द नहीं होना चाहिये तो मैं उनको चुनौती दे रहा हूं कि ऐसा संशोधन कानून का बिलकुल मखौल है । वह इसलिये कि अध्यक्ष का तो चुनाव ही आप करने जा रहे हैं बोर्ड के सदस्यों के जरिये चाहे वे इलेक्शन, कोआप्शन या नामिनेशन से चुने गये हों ।

तो जब वे चुनाव करने जा रहे हैं तो अध्यक्ष से भिन्न शब्द रखना यह तो एक मखौल है क्योंकि तीन तरह के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे । पहले इलेक्टेड, दूसरे कोआप्टेड और तीसरे सरकार द्वारा नामीनेटेड । इसमें दो पोजीशन्स हैं । पहली यह है कि ५ साल बाद इलेक्शन होता है तो कुछ मेम्बर इलेक्शन से आयेंगे, कुछ कोआप्शन से और कुछ नामिनेटेड होकर आयेंगे और इसके बाद इन मेम्बरों के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव होगा । तो फिर यह कहने का क्या तुक है कि अध्यक्ष से भिन्न यह तो एक मखौल है । अब दूसरी पोजीशन ले लीजिये । एक तो यह कि नया निर्वाचन हो गया और फिर मान लीजिये कि निर्वाचन के कुछ दिन बाद वह मर जायें या किसी और वजह से अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो क्या होगा, अध्यक्ष नहीं रहेगा ? तो जो बोर्ड के मेम्बर हैं उनके जरिये यह अध्यक्ष का चुनाव होगा तो उस समय यह लिखना "अध्यक्ष से भिन्न" शब्द में नहीं समझता कि इसमें कौन सी तुक है । एक तो जब बोर्ड बनेगा तब चुनाव करेंगे । दूसरे यह कि बोर्ड बन गया और कन्टीन्यू कर रहा है और दो साल बाद अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो गया तो उसकी पूर्ति करनी होगी तो दोनों की पोजीशन क्या होगी ? वह सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और शुरू में ही रख दिया है "अध्यक्ष से भिन्न शब्द", तो इसकी कोई वेल्यू नहीं है । इसलिये इन शब्दों का रखना ठीक नहीं है । मैं समझता था कि कोर्ट की कोई रूलिंग हो गई होगी इसलिये यह शब्द रखे जा रहे हैं । लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं है । बोर्ड के सदस्य, मैं समझता हूं कि काफी हैं और परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोई भी ऐसा क्लाज न लायें जिससे मखौल उड़ाया जाय ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय कमला सिंह यादव ने कहा है कि उनका अमेंडमेन्ट इसलिये आया है कि वहां पर लिख दिया है "अध्यक्ष से भिन्न" शब्द और मंत्री जी ने कोई कारण नहीं बताया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय कमलासिंह जी ने एक संशोधन रखा है और मंत्री जी का जवाब आ गया तो अब इनके बोलने का क्या मौका है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो इनको बुला लिया है । मेरी इसमें गलती थी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

माननीय मंत्री जी इस पर थोड़ा ध्यान दें । कमलासिंह जी ने जो अमेंडमेन्ट अपना दिया है वह इस कारण दिया है कि आपने अपने संशोधन में "अध्यक्ष से भिन्न" लिख दिया हैं ।

श्री सैयद अली जहीर—

तो अब इसमें तरमीम यह आनी चाहिये थी कि "अध्यक्ष से भिन्न" छोड़ दिया जाय, लेकिन उसमें और जोड़ने की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष—

बात यह होती कि "अध्यक्ष से भिन्न" शब्दों को निकाल दिया जाय तो और बात थी, लेकिन वह उल्टे जुड़वाना चाहते हैं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

जो "अध्यक्ष से भिन्न" आपने लिख दिया है उसका कोई कारण मंत्री जी ने नहीं बताया है। यह आपका जो ओरिजिनल ऐक्ट है इसमें एलेक्शन आफ दी एक्जेस्टिंग प्रेसीडेन्ट । अध्यक्ष तो स्वयं उसमें आता नहीं है । अध्यक्ष तो तब आयेगा जब सदस्यों द्वारा उसका चुनाव हो जायगा यहां पर दोनों पोजीशन हैं । यहां पर आपने जो "अध्यक्ष से भिन्न" रखा है वह बिलकुल निरर्थक है । यदि आप इसे विदड्रा कर लें तो कमला सिंह जी भी वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात पहले बताइये, कमलासिंह जी का अमेन्डमेन्ट तो हर हालत में निरर्थक होगा ?

श्री कमलासिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, असल में गलतफहमी जो हो गयी है, उसके कारण यह बात हुई । उन्होंने 'वोट' शब्द भी निकाल दिया इसलिये सारा गड़बड़ हो गया है, नहीं तो मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापस ले लेता । जैसा क्लाज है उसे रहने दीजिये, लेकिन उसका जो अमेन्डमेन्ट लाये हैं, उसको वापस ले लीजिये ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मूल धारा (१५) पढ़ें उसमें अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और उसके पहले आप लिखते हैं "अध्यक्ष से भिन्न" । तो अभी तो 'अध्यक्ष' बनने ही जा रहा है ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष तो उसको माडीफाई करता है । ग्यारहवीं धारा देखें, उसमें लिखा है —दी प्रेसीडेन्ट इज वन आफ दीज फोर्टीन मेम्बर्स, तो प्रेसीडेन्ट भी एक मेम्बर होगा यदि वह नहीं आ गया है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

आप सेक्शन ११ का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें एलेक्शन आफ दी प्रेसीडेन्ट है, लेकिन आप तो अभी चुनने जा रहे हैं, क्या 'अध्यक्ष' बिना चुने ही पहले से रहेगा ? क्यों 'अध्यक्ष' उसमें रहेगा ? वह तो बाद में आयेगा । जब मेम्बर्स चुन लिये जाते हैं, तब अध्यक्ष आता है । इसे मंत्री जी समझने की कोशिश करें, यह बिलकुल वेग है । पहले जिस तरह था, उसे आप उसी तरह रहने दें ।

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, मैंने पहले जवाब के वक्त तमाम बातें साफ करने की कोशिश की थी। यह संशोधन दुरुस्त हैं नहीं इसको तो आप भी तसलीम करते हैं। आपने कहा कि "अध्यक्ष से भिन्न" अल्फाज क्यों रखा गया है। वह इसलिए रखा गया है कि अध्यक्ष दफा ११ के मातहत बोर्ड का मेम्बर हो जाता है। दफा १५ में मेम्बर चाहे वह चुना हुआ हो, नामिनेट किया हुआ हो या कोआपटेड हो, बगैर अध्यक्ष के आ जायेंगे तो बोर्ड बन जाएगा इस गरज से कि वह अध्यक्ष को चुनें। बोर्ड बगैर अध्यक्ष के तैयार हो जायगा अध्यक्ष को चुनेगा। पहले नामिनेटेड था, लेकिन सरकार अब नामिनेटेड को रखना नहीं चाहती लिहा ा उसमें रखा गया है कि चाहे एलेक्टेड हो चाहे नामिनेटेड हो, चाहे कोआपप्टेड हो, सब मेम्बर्स इकट्ठा हो जायेंगे और तब अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन माननीय सदस्य यहां जो तरमीम लाये हैं वह यह है कि "अध्यक्ष से भिन्न" जोड़ दिये जायं और जब वह उस जगह पर है तो फिर जोड़ा कहां जायगा?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ३ रख दिया जाय—

"३—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) में शब्द "बोर्ड के समस्त सदस्यों" के पहले शब्द "अध्यक्ष से भिन्न" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड—४

धारा २३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "निर्वाचित या आमेलित" के स्थान पर शब्द "निर्वाचित, आमेलित या नाम-निर्दिष्ट रख दिये जायें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "किसी सदस्य के हटाए जाने" के पहले शब्द "बोर्ड के" रख दिये जायं।

धारा २३ मूल अधिनियम को देखें तो उसमें सदस्यों के सम्बन्ध में भ्रम हो सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि चूंकि सदस्य बोर्ड के ही होंगे इसलिए शब्द "बोर्ड के" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कमलासिंह जी, आप यह बतलाएं कि जब सारे विधेयक में बोर्ड की ही बात है तो फिर बोर्ड के अलावा किसके सदस्य होंगे?

श्री कृष्णानन्दराय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, माननीय कमलासिंह जी ने संशोधन नम्बर ४ द्वारा प्रस्ताव किया है कि खंड ४ द्वारा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २३ में संशोधन किया जाय। श्रीमन्, यह संशोधन प्रस्तुत संशोधन विधेयक में ला सकते हैं, मूल अधिनियम में संशोधन नहीं लाया जा सकता।

इसमें संशोधन ला सकते हैं और हम उस पर विचार कर सकते हैं। इसमें संशोधन न लाकर वह मूल अधिनियम की धारा २३ में संशोधन ला रहे हैं। इसमें यह वह संशोधन नहीं ला सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा सौभाग्य है कि कृष्णानन्द राय जी आज उस कुर्सी पर विराजमान नहीं हैं। आपने अगर किसी धारा को छू दिया है तो उस धारा में संशोधन करने का हक प्राप्त हो जाता है। हम समझते हैं कि यह हमको अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं ला सकते हैं इस विधेयक के अन्दर ही कोई संशोधन कर सकते हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी कमलासिंह जी ने यह कहा कि यदि मैं वहां उस कुर्सी पर होता तो बहुत अनर्थ हो जाता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमलासिंह जी यादव कभी-कभी ऐसी जबरदस्ती करते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। संशोधन विधेयक में कुछ है और ये संशोधन ला रहे हैं कुछ। बल्कि मूल अधिनियम के अन्दर ही यह संशोधन करना चाहते हैं जो चीज सामने नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संशोधन बिल्कुल अवैध है और बिल्कुल अनियमित है। इसको नहीं लाना चाहिए था।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह रूल आउट होना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

यह आप मूल अधिनियम की धारा २३ में संशोधन करने जा रहे हैं। जब आप उस धारा के अन्दर यह संशोधन कर रहे हैं तो कोई बात ऐसी है जिसको हम अमेंड करना चाहते हैं तो हम उसके अन्दर संशोधन कर सकते हैं। चूंकि आपने उसको छू दिया है इसलिए उस धारा के अन्दर हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी राय में जो संशोधन विधेयक है केवल उसमें संशोधन आ सकता है। मूल अधिनियम में कोई संशोधन नहीं आ सकता है। इसलिए यह संशोधन अनियमित है।

श्री कमलासिंह यादव—

अब मैं आप से एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब कोई भी ऐसा संशोधन जो कि नहीं लाया जा सकता था उस वक्त आपने अनुमति दी थी। उस वक्त आपने नाम पुकारा था। उस समय भी मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। जो आपने रूल आउट कर दिया था। आज कौन सी अव्यवस्था हो गई कि मैंने संशोधन पेश किया और बोलना भी उस पर शुरू कर दिया तो उस समय कह दिया गया कि यह अनियमित है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई खास बात नहीं है। जिस समय आपका नाम पुकारा गया उस समय भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता था। अगर कोई कानूनी बात है तो उसको बीच में भी उठाया जा सकता है। इसलिए इस तरह का जो एतराज है वह किसी समय उठाया जा सकता है। तो अब इसमें कौन सी खास बात हो गई?

श्री कमलासिंह यादव—

क्या हर स्टेज पर कानून की बात आ सकती है? आप की बगल में सेक्रेटरी साहब बैठे हैं एक भी नियम बतलायें कि जिसके अनुसार संशोधन उपस्थित कर दिये जाने के बाद फिर आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि जिस वक्त आपका नाम पुकारा गया उसक बाद ही वह एतराज कर सकते हैं। बात यह है कि वह किसी भी समय एतराज कर सकते हैं, नाम पुकारे जाने के बाद भी और बीच में भी। जो अनियमित है वह अनियमित रहेगा, वह नियमित नहीं हो सकता ।

श्री कमला सिंह यादव—

तो मैं अगले संशोधन को पेश नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

धारा ३५ का संशोधन।

खंड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

"(१) यदि कोई वक्फ, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ९९ के अधीन पुनर्वासन अनुदान के मद्दे कोई वार्षिक-वृद्धि पाने का हकदार हो, तो ऐसे वक्फ द्वारा धारा ३४ के अधीन देय अंशदान का भुगतान, उक्त वार्षिक-वृद्धि और उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये जमींदारी विनाश प्रतिकर बन्ध ऋण प्रमाण-पत्रों पर वक्फ को देय ब्याज के कुल योग के छः प्रतिशत तक, राज्य सरकार, बोर्ड के सचिव द्वारा नियत प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसी वार्षिक-वृद्धि से कर सकती है।"

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा प्रस्तावित नयी उपधारा ३५ (१) की तृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम पंक्ति में शब्द 'वार्षिक वृद्धि' के स्थान पर 'वार्षिक वृत्ति' रख दिया जाये।

जो मैंने यह संशोधन रखा है... (व्यवधान) मुश्किल यह है कि लोग बोलने भी नहीं देते। आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, सरकारी पक्ष को रोकते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। आप अपनी बात कहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

तो पहली बात यह है कि जो 'संशोधन मैंने दिया है उसके लिये जिम्मेदार माननीय मंत्री जी, उनका प्रेस और ड्राफ्ट्समैन हैं। जब यह विधेयक छप कर आया तो मंत्री जी के कर्मचारियों ने इसे देख कर ठीक नहीं किया। आप सोचिये कि यह कितनी बड़ी बात है कि वार्षिक वृत्ति के स्थान पर वार्षिक वृद्धि रख दिया जाय। इन दोनों में फर्क होता है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का ला डिपार्टमेंट गैरजिम्मेदार है। अगर एक जगह गलती होती तो मैं मान लेता कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन अगर तीन तीन जगह वही गलती है तो मैं नहीं समझता कि मंत्री जी का विभाग किस प्रकार इस गलती की सफाई देगा। मेरा चार्ज है सरकार पर, इस तरह के अनुभव रोज हो रहे हैं (व्यवधान) मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर उन लोगों को बैठना न हो तो वे चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय कमला सिंह जी स्वयं व्यवस्था दे रहे हैं कि किस को क्या करना चाहिये। क्या यह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में गरमा-गरमी नहीं होनी चाहिये। आप कहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

तो दोनों शब्दों में भिन्नता काफी है और यह प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। इसलिये मैं चाहूंगा कि चूंकि ऐन्यूटी शब्द ही ठीक है इसलिये वार्षिक वृत्ति इसके स्थान पर रख दिया जाय। अगर मंत्री जी इसे मान रहे हैं तो उनको धन्यवाद है, लेकिन कम से कम विभाग के कर्मचारियों पर वह ऐक्शन जरूर लें ताकि इस तरह की गलतियां दोहरायी न जायं।

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि 'वृत्ति' की जगह गलती से 'वृद्धि' पढ़ लिया गया है। अब जहां जहां "वृद्धि" लिख लिया गया है वह गलत है और यह अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। अगर वह अमेंडमेंट न लाते तो मैं खुद मूव करता आपको कि आप अपने स्पेशल पावर्स से बदल दें।

श्री कमलासिंह यादव—

एक ही बात कहूंगा कि मंत्री जी ने दावा किया है कि पढ़ने में गलती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम उस पूरे क्लाज को पढ़ कर सुना दें ताकि हम लोग समझ जायं कि पढ़ने में कहां तक गलती थी...

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तावित नई उपधारा ३५(१) की तृतीय, चतुर्थ तथा अष्टम पंक्ति में शब्द "वार्षिक वृद्धि" के स्थान पर "वार्षिक वृत्ति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६, ७ तथा ८

धारा ४८ का प्रतिस्थापन।

६—मूल अधिनियम की धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"४८—धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (ण) द्वारा प्रदत्त वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त होने अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल पर बोर्ड के आपातिक अधिकार प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, यदि किसी वक्फ के मुतवल्ली का पद रिक्त हो—

(क) किसी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, मुतवल्ली के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है; या

(ख) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा वक्फ का प्रत्यक्ष प्रबन्ध तीन वर्ष से अनधिक किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विलेख द्वारा सृजित किसी वक्फ की दशा में, बोर्ड इस धारा के अधीन केवल तभी कार्य कर सकता है जब ऐसे विलेख की शर्तों के अधीन मुतवल्ली के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति सक्षम न हो।"

७—मूल अधिनियम की धारा ६४ की उपधारा (२) में शब्द "संस्थित नहीं किया जायगा" और तत्पश्चात् आये हुए पूर्ण विराम के बीच शब्द "और यदि बोर्ड ने ऐसी सम्मति दे दी हो तो उसके बाद उक्त ऐक्टों में अभिदिष्ट अनुमति या सम्मति लेना आवश्यक न होगा" रख दिये जायें। धारा ६४ का संशोधन।

८—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा १३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी बोर्ड के किसी सदस्य का नाम-निर्देशन उक्त धारा के अधीन किया गया नाम निर्देशन समझा जायगा और वैध तथा सदैव से वैध रहा समझा जायगा मानो इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित उक्त धारा सदैव प्रवृत्त थी। समझा जाना और वैधीकरण।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ तथा ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६०, का आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६, १९६०।

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा। संक्षिप्त नाम।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस रूप में सदन में लाया गया है, मैं समझता हूं कि यह तो काला कानून है उस जमाअत के लिए जिसके लिए यह कानून बनाया गया है। मुझे यह नहीं मालूम था, अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि बोर्ड में कैसे लोग भेजे जाने हैं। शुरू से आखिर तक जितने संशोधन इस सदन में पेश किये गये हैं उनको देखने के बाद और माननीय मंत्री जी और सदस्यों की विचारधारा देखने के बाद हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि इसके अन्दर राज है जो कि वक्फ का मैनेजमेंट है, और अगर इंक्वायरी हो तो सही बातें प्रकट हो सकती हैं और मेरा खयाल है कि एक तरीके पर यह सरकारी बोर्ड बनाया जा रहा है। मैं नहीं कह सकता कि न्याय मंत्री जी बराबर न्याय मंत्री रहेंगे या नहीं। हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आ जाय। वह एक परिपाटी बनाना चाहते हैं जिससे यह होगा कि न्याय मंत्री जो होगा जिसको चाहेगा वह बोर्ड होगा और उसी को मेम्बर बनायेगा जिसको चाहेगा, वही जिसको चाहेगा अध्यक्ष बनायेगा। यानी न्याय मंत्री के हाथ में शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड दोनों होंगे। इस तरीके पर अगर माननीय मुमताज मुहम्मद खां का खयाल है कि सरकारी लोग ही उसमें रहें तो दूसरी बात है। इस चीज

[श्री कमलासिंह यादव]

को एक हम दिखावे के रूप में फोर्स कर रहे हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जिस जमाअत के लिए बोर्ड बना है उन लोगों का नुमाइंदा इस बोर्ड में रहे, मैं तो यह समझता हूं कि यह एक मखौल है और केवल मखौल ही नहीं है, बल्कि वक्फ का जो फंड है उसका दुरुपयोग भी है। नुमाइंदा नहीं, अपने आदमी को वहां बैठा कर खिलाने की बात है।

साथ ही साथ यह भी है कि मिसमैनेजमेंट जो कुछ भी हो रहा है वह तो है ही, रुपयों का दुरुपयोग भी है। जैसा कि माननीय रियासत हुसैन ने कहा, जिस काम के लिये यह रुपया इकट्ठा किया जाता है या वक्फ के जरिये जो रुपया इकट्ठा किया जाता है उसका दुरुपयोग होता है और सही माने में जहां लगाना चाहिये वह काम बिल्कुल नहीं किया जाता है और सारा का सारा पार्टीबाजी के नाम पर यह बोर्ड बनाया जाता है और मैं यह उम्मीद कर रहा था कि सरकार के दामन साफ होंगे, लेकिन मुझे अफसोस है यह देखकर कि सरकार नौमीनेट करते वक्त कह रही है कि एक बार अगर नामीनेट कर दें तो वह पांच साल के लिये नामीनेशन रहेगा और जो व्यक्ति चुना जायगा वह पांच साल के लिये रहेगा। इस तरह की परिपाटी कायम करना एक तरह से अनर्थ होगा। इस तरह की भावना पैदा करके और उस राज्य में जो कल्याणकारी राज्य कहा जाता हो और जनतंत्र में विश्वास करता हो, ऐसी हुकूमत में इस तरह की व्यवस्था हो कि सरकारी कमेटी कायम की जाय और अपने आदमी को भरने लगें तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी कीमत पर बरदाश्त करने लायक बात नहीं है। मैं जानता हूं कि मुमताज मुहम्मद साहब ज्यादा परेशान हैं, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं कि वे आज एम० एल० ए० हैं कल नहीं रह सकते, हो सकता है कि आप इस जमाअत का भला करना चाहते हों। हो सकता है कि जो भला चाहते हैं वे इस मैनेजमेंट में लगा दिये जायं तो इस मैनेजमेंट का बहुत भला हो सकता है। गबन से भी इस रुपये को बचाया जा सकता है और अच्छे तरीके से डीड्स की जो विचारधारा है या जो जो चीजें हैं शायद उसको वे सही तरीके से कार्यान्वित कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है शरू से आखिर तक कायम की गई धारणायें खराब की जा रही हैं। यह तो मानी हुई बात है कि सदन से जब यह निकलेगा तो लोग हंसेंगे। मुझे यह भी अफसोस होगा कि इसके इन्चार्ज ला मिनिस्टर साहब हैं। अगर उनकी समझ में हिन्दी के होने से नहीं आया तो मुझे इस बात का अफसोस जरूर है। मैंने जैसे कहा कि जहां तक बोर्ड का सवाल है, जब बोर्ड का चुनाव होता है तो वह सदस्यों द्वारा होता है न कि अध्यक्ष द्वारा ..

श्री उपाध्यक्ष—

कमलासिंह जी, दोहराने की जरूरत नहीं। आप इसके सिद्धान्त तो स्वीकार कर चुके हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

और जिस तरह से अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी लाये हैं मैं समझता हूं कि वह हंसी का पात्र है और यह अमेंडमेंट जिस रूप में लाया गया वह अगर उसी रूप में बाहर गया तो जो देखने वाले होंगे या इन्टरप्रेटर्स हंसेंगे क्योंकि हम बराबर देखते आये हैं कि स्ट्रिक्चर भी पास हो रहे हैं। अंग्रेजों के टाईम में अंग्रेजी का था वे करते गये। हिन्दी का जो है उसमें संस्कृत के शब्द रखते गये। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ला बनाने का स्टैन्डर्ड है वह गिरता जा रहा है। वह इसलिये नहीं कि उसमें डिफैक्ट आ गये हैं बल्कि इसलिये कि शब्दावली के माने मंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं। समझना भी मुश्किल है क्योंकि उनको तो पढ़ना भी मुश्किल है। अंग्रेजी के तो वे माहिर हैं। उसके विषय में तो कुछ कहना नहीं क्योंकि अंग्रेजी की शब्दावली करेक्ट हो सकती है, जो बिल्कुल गलत है जिस रूप में संशोधन या विधेयक बनाया गया है अगर वह बाहर जायेगा तो हंसी का पात्र होगा। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक जिस रूप में संशोधन पेश किया है उसको पारित कर लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री सैयद अली जहीर—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोच रहा था कि माननीय सदस्य सारी दिमागी तस्वीर बनाकर उसको गिरा रहे हैं। खुदा जाने कहां से वे यह समझ गये कि गवर्नमेंट बोर्ड को बिल्कुल खत्म ही कर रही है। सारे बोर्ड गवर्नमेंट के कब्जे में आ जायंगे। बोर्ड जैसे सन् ३६ से आज तक बने हुए हैं वैसे ही बने रहेंगे। उसमें तो सिर्फ यह कहा गया है कि अगर कोई जमाअत वजूद में न रहे तो गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि उसके लिये वह नामजदगी करे। गवर्नमेंट की मंशा तो यही है कि बोर्ड चलते रहें और इसी के लिये इस बिल को लाया गया है। ४३० आदमियों में केवल माननीय सदस्य को ही सारा अन्देशा इसमें दिखायी दिया। वह सब बेबुनियाद है, महज खयाली है और उनकी घबराहट और परेशानी की वजह से है। हमारी मंशा तो यह है कि ये बोर्ड्स जिस मकसद के लिये आज से ३० साल पहले बने थे उस मकसद को अंजाम देते रहें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश में सीमेन्ट की चोरबाजारी तथा उसमें मिलावट के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने अपनी टिप्पणी में लिख कर दिया है कि सीमेंट के बारे में आज पूरे प्रदेश में यह परिस्थिति हो गयी है कि १३ से २० रु० प्रति बोरा तक जिसको जैसा मौका मिलता है, सीमेंट को बेंच लेता है और ऐसी परिस्थिति में यह सरकार यह कह कर निकल जाती है कि हमारे हाथ में क्या है, अब तो डिकन्ट्रोल हो गया है। लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। व्यापारी सोचता है कि अच्छा मौका है, कमा लो, थोड़ा चन्दा और दे देंगे। भरने वाला तो वह है जो उसको इस्तेमाल करता है। किसी भी चीज में गरदन उसी की नापी जाती है जिसका सम्बन्ध न सरकार से होता है और न व्यापारी से होता है। बड़े लहजे के साथ उस दिन कांडपाल जी ने कहा कि हमने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें तय करके यह कलेक्टरों को आर्डर दे दिया है कि अगर इस तरह की कोई चीज पायी जाय तो उसके बारे में सीमेंट एसोसियेशन को निवेदन कर दिया जाय। किसान के पास चमड़ी और हड्डी बाकी रह गई हैं, फिर भी अगर उसके पास सरकार की चवन्नी बाकी रह जाय तो उसकी वसूली के लिये कलेक्टर का सारा अमला लग जायगा। अगर किसी व्यक्ति के पास किन्हीं कारणों से या परेशानी से कर देने को न हो तो सरकार की पूरी मशीनरी उसके पीछे लग जायगी, लेकिन इन सीमेंट के ब्लैक मार्केट करने वाले व्यापारियों के मुकाबले में कलेक्टर साहब और उनकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कोई सख्ती नहीं कर पाते सिवा इसके कि सीमेंट असोसियेशन के पास निवेदन भेज दें कि आपके व्यापारी ज्यादा दाम पर सीमेंट बेंच रहे हैं। यह कोई कायदे की बात है? मेरी समझ में नहीं आता कि यह सरकार कहां जायगी और इसकी नीति कहां प्रदेश को ले जायगी? सरकार के मुंह से ऐसी बात का आना इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार में कोई शक्ति नहीं रह गई है। जिन्होंने, जिस जनता ने इस सरकार को बनाया है यह उसी की सुख-सुविधा का ध्यान नहीं रख सकती। एक मीटिंग करके सीमेंट असोसियेशन को लिख देना कि इन लोगों के लाइसेंस छीन लिये जायं और खुद कुछ न करने के माने क्या हैं? क्या न चोर बाजारों के सामने सारे सरकार के कानून हवा हो जाते हैं और उसके पुलिस के जवान कहां चले जाते हैं? माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षणनहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

खाद्य मंत्री जी से मैंने स्वयं प्रश्न किया था कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पंजाब की तरह वह यहां भी सख्ती की कार्यवाही करेंगे, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था कि अगर पंजाब की तरह में भी गवर्नर बना दिया जाऊं और यहां की असेम्बली भंग कर दी जाय तो मैं भी वही करने लगूंगा। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो कनज्यूमर्स हैं जिनके लिये यह सब राज्य और प्रजातन्त्र है और यह सदन है अगर उस प्रजा को ही कष्ट हुआ तो फिर यह राज्य और प्रजातन्त्र किस काम का? प्रजा के लिये राज्य है प्रजा राज्य के लिये नहीं है, यह सारा प्रजातन्त्र प्रजा के लिये है और उस को सुख-सुविधा पहुंचाने के लिये, उसकी सम्पत्ति और मान मर्यादा की रक्षा के लिये यह सरकार और यह जनतंत्र है और अगर यह सरकार इस सेट-अप में इतना नहीं कर सकती तो वह छोड़े इस सरकार के चक्कर को, भंग करे इस सरकार को और उस वक्त पहला वोट हमारा उसके साथ होगा। किसने आपके पैर पकड़े हैं कि आप हर हालत में यहां बने रहिये? वर्ना आप इन ब्लैकमार्केट करने वालों और होर्डर्स को पकड़िये और उन को सख्त से सख्त सजा दिलवाइये। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि प्रजातन्त्र की आड़ में यहां काम दूसरी तरह का होता है। जनरल एलेक्शन सामने है सब को रुपये की आवश्यकता होती है, एलेक्शन से पहले हर दल को पैसा चाहिये, तो यह चन्दा कहां से आये? यही ब्लैक मार्केटियर और होर्डर्स इनको चन्दा देने वाला हैं और इन भूखे भेड़ियों को इस कांग्रेस सरकार ने जनता के बीच में डाका डालने के लिये छोड़ दिया और छूट दे दी कि सेंध लगाओ, लेकिन इस तरह से गरीब जनता के बीच डाका डालकर हमें उसमें से हिस्सा चन्दे के रूप में दे जाओ। यह वैसे ही कानून बना देंगे। मैंने इस प्रश्न को दोबारा यहां लाने आवश्यकता केवल इसलिये समझी कि सरकार ने इस परिस्थिति में भी कुछ कर सकने के लिये अपनी लाचारी जाहिर की और कहा कि हमारे कलेक्टर कुछ नहीं कर सकते और हमने सीमेंट असोसियेशन को लिख दिया है कि वह इन भूखे भेड़ियों को सीमेंट की दुकानें न दें। किसी सरकार की कमजोरी का इस से अधिक और प्रमाण क्या हो सकता है? जब तक यह राज्य सरकार दृढ़ता के साथ अपने कानूनों का पालन नहीं करवायेगी तब तक मैं समझता हूं कि न तो यह प्रजातंत्र और न यह असेम्बली ही चल सकती है। माननीय नेगी जी चाहे मंत्री ही रह कर, चाहे गवर्नर हो कर और चाहे संत्री हो कर करें लेकिन कृपया कुछ करें और इन होर्डर्स और ब्लैकमार्केट करने वालों को अच्छा सबक सिखायें जैसा कि पंजाब में किया जा रहा है। वरना स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और खेद है। मैंने जितनी बातें कहीं उन पर विचार न करके और कुछ समाचारपत्रों ने भी गलत बातों को छापा है कुछ माननीय सदस्यों ने भी उन्हें गलत समझा। मैंने यह कहा था कि जहां तक सीमेंट के डि कंट्रोल का सवाल है यह जनता की मांग पर ही और माननीय सदस्यों के कहने पर ही हुआ है। कहा गया कि कंट्रोल बुरी चीज है। यह भी कहा गया कि सरकार के द्वारा अपने हाथ में लेने से इसके दाम बढ़ गये हैं, तो केन्द्रीय सरकार ने छोड़ दिया। डिकंट्रोल के बाद प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। न हमारे प्रदेश का कोई खास कोटा है और न हम उस चीज में पड़े हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

आप कहते हैं कि प्राइस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सीमेंट तो सरकारी उत्पादन की चीज है। उस पर प्राइस भी फिक्स की जाती है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

फिक्स होगी, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उसमें मैंने इस बात को कहा कि इन चीजों के होते हुये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई अधिकार नहीं है। हमने इस बात को कहा था कि उनके स्टाक को चैक करने की ताकत हमारे पास है। लेकिन हर चीज को

हर जगह प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी, करेंगे। अप्रैल में हालत ठीक थी, लेकिन जून और जुलाई में हालत खराब हो गई थी। व्यापारियों का यह कहना है कि उनको वैगन्स नहीं मिले। तो जब आये ही नहीं तो क्या किया जा सकता है? हम ठीक कर देंगे। आज ही एक मीटिंग में उन्होंने यह कहा कि हम जल्द से जल्द ठीक करेंगे। अगर वे नहीं करते हैं तो हम ४२० के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। मैंने यही कहा था कि हमें पावर्स हैं, हम करेंगे, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि जरा-जरा सी चीज के लिये हर एक को पकड़ें। हम पकड़ेंगे जरूर, लेकिन आप हमारे रास्ते में न आइये। असेम्बली में आप लोग ही हल्ला करने लगते हैं। पंजाब में भी नियम ४२० और ४०६ के अन्तर्गत पकड़ रहे हैं। गल्ले के मामले में अब होर्डर्स अच्छा विहेव कर रहे हैं अगर ऐसा ही चलेगा तो हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी करेंगे तो सख्ती से कदम उठाया जायगा। कहा जाता है कि रेडियो पर जो प्रचार होता है उसके हिसाब से बाजार में चीजें नहीं मिलती हैं और दुकानदार कहते हैं कि अगर इन दामों पर वस्तुओं को खरीदना है तो रेडियो की ही दुकान से ले लो। इस तरह से मजाक कर रहे हैं। मुझे स्वयं मालूम है कि कुछ लोग दियासलाई और सिगरेटों की कीमत बढ़ाकर ले रहे हैं। मैं स्वयं इस बात को देखूंगा कि आगे इस तरह की चीजें न हों। और भी पचासों चीजों के सम्बन्ध में बहुत सी गलत बातें कहीं गयी हैं। जैसे आजकल नैनीताल में ठंड है, जहां कोट पहनने की जरूरत है, तो यह कहनाकहां तक उचित होगा कि चूंकि नैनीताल में लोग आजकल गरम कोट पहनते हैं इसलिये लखनऊ वाले भी गरम कोट पहनें और वही कानून यहां भी लागू करें। कहा जाता है कि चूंकि पंजाब में लोग पकड़े जा रहे हैं इसलिये यहां भी पकड़ो, तो यह कैसे संभव हो सकता है?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आपने नैनीताल और पंजाब की खूब मिसाल दी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आपको मालूम होना चाहिये पंजाब बावजूद इसके कि इंडिया की ग्रेनरी है गेहूं के मामले में आज वहां गल्ले की कमी है और वे हमारे यहां से मंगाकर खा रहे हैं। हालांकि पंजाब के पास, साइकिल टायर, ट्यूब, और बैटरीज हैं, इन चीजों में वहां बेईमानी हो रही है। आपके कहने से पूर्व ही मैंने जो एलोकेशन कमेटी के सिक्रेटरी हैंउनसे कह दिया कि हम अक्तूबर में फिर रिव्यू करेंगे और आवश्यक होने पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहेंगे कि वह इन चीजों पर पुनः कंट्रोल लगावे। हम इंडियन पैनल कोड और एशेंशियल कमोडिटीज के मुताबिक कार्यवाही करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को लिखेंगे कि ऐसे ऐजेन्टों का नाम फौरन काट दिया जाय। इसलिये इस प्रकार की गलत फहमी आप हटा दें कि हम किसी गलत व्यापारी को छोड़ देंगे। हम अपने प्रदेश के गल्ला व्यापारियों से कह देना चाहते हैं कि वे अपने को सही रास्ते पर लावें वरना आप देखेंगे कि कुछ दिनों में उनको इसका फल भुगतना पड़ेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात बड़ी सुन्दर लगी और उनके भाषण से यह मालूम हो रहा था कि यहां के जितने स्टाकिस्ट्स हैं वे सब उनके भाषण को सुनकर डर जायेंगे, लेकिन मैं आप से कहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछें, १०-१५ मिनट ही समय है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पंजाब में सीमेंट पर कंट्रोल है, मैं तो कहता हूं कि यह इस सरकार की नालायकी है जो आज तक इस पर कंट्रोल नहीं कर सकी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं कहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी सरकारी है, उसका भी सीमेंट हम लोगों को न मिले, इससे बढ़ कर शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल करें, अब बोलने का समय नहीं है ।

श्री कमलासिंह यादव--

अभी जो विवरण माननीय मंत्री जी ने दिया है और उसमें यह कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो उसके बाद आवश्यक कार्यवाही होगी । आज स्थिति गम्भीर है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने साल के बाद वह इस पर ऐक्शन लेने की कृपा करेंगे, एलेक्शन के बाद कार्यवाही करेंगे या कब कार्यवाही करेंगे, ताकि किसानों की जो दिक्कतें हैं वे दूर हों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो इनको तजुर्बा है कि कब किया करता हूं । मैं तुरन्त करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या मंत्री जी हमसे यह सूचना ग्रहण करके इसकी जांच करायेंगे कि आज प्रदेश में जनता को सीमेंट इसलिये नहीं मिल रहा है क्योंकि चाहे ब्लैक मार्केटिंग कहिये या होरडिंग कहिये, यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ज्यादा हो रहा है, जैसे मैं बताऊं आज चुर्क सीमेंट फैक्टरी की यह हालत है कि वहां पर बनिये की तरह डबल, ट्रिबल रजिस्टर्स मेनटेन होते हैं और जितना फैक्टरी को अपने यहां से पब्लिक को देना चाहिये वह न दे कर के रोक लेते हैं जो कि ट्रकों के द्वारा स्मगल हो कर जाया करता है .....

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न कीजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मैं सूचना दे रहा हूं, मैं बताऊं कि आप केवल १५-२० परसेन्ट कोटा पब्लिक के लिये निर्धारित करते हैं और पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स को ५० से ७० फीसदी जो कोटा देते हैं उसमें होता यह है कि इन विभागों को कोटा तो मिल जाता है, लेकिन रुपया नहीं मिल रहा है, नतीजा यह होता है कि ये डिपार्टमेंट्स का सीमेंट चोर बाजारी में जा रहा है । क्या मंत्री जी इस बात की जांच करके डी० आई० आर० का प्रयोग चुर्क सीमेंट फैक्टरी के मैनेजर, पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स की अथारिटीज पर करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह बहुत पुरानी बात कह रहे हैं । अब तो यह है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने किसी डिपार्टमेंट के लिये कांट्रेक्ट प्राइस अलग रख दी है और डिपार्टमेंट को अलग चला जाता है । चुर्क सीमेंट फैक्टरी वन आफ दी एजेन्सीज है, उन्हीं की मारफत काम कर रही है । अब तो यह है कि हम एन्श्योर कर रहे हैं कि माइनर इर्रीगेशन के लिये ज्यादा से ज्यादा सीमेंट वह दे दें और एक महीने का समय हमने रख दिया है । और जो पब्लिक के कोटे की शिकायत है उसके लिये एजेन्सी काटने की बात कही, अगर यह भी नहीं हुआ तो हम किसी न किसी कानून के अन्तर्गत उनको हाल आप करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि आज भी स्टाकिस्ट्स के पास जब किसान अपने ट्यूबवैल के लिये सीमेंट के लिये जाता है तो स्टाकिस्ट यह कहता है कि बी० डी० ओ० से लिखवाकर लाओ और वह लिखा कर ले जाता है, परन्तु फिर भी सीमेंट नहीं मिलता और स्टाकिस्ट फर्जी इंदराज अपने रजिस्टरों में करते हैं जिसमें दिखलाते हैं कि इतना ट्यूबवैल को दिया, इतना मरम्मत में दिया, इतना मकान बनाने में दिया, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हो सकता है जो आप कह रहे हैं सही हो। प्लानिंग शब्द अगर वह जोड़ दें तो उसकी लिस्ट मांगा करें और देखा करें, उसको डील किया करें।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

होडर्स और प्रोफीटियर्स के विरुद्ध मंत्री जी कठोर कार्यवाही कर सकें इसके लिये क्या आपने न्याय विभाग से परामर्श लिया है कि किस प्रकार से उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है जो जनता का खून चूस रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं वकील भी हूं और खुद जानता हूं। डी० आई० आर० के अन्तर्गत हमको मुमानियत कर दी गई है और कोई भी स्टेट उसका प्रयोग नहीं कर रही है। लेकिन एसेन्शियल कमोडिटीज के अन्तर्गत हमारे पास पावर्स हैं। अगर प्राइस पर नहीं पकड़ सकें तो किसी और चीज पर पकड़ सकते हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

आप कहते हैं कि सीमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते। आपके यहां खाद इस समय किस भाव पर बिक रही है, क्या इस पर भी विचार करेंगे ? खाद तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन वह भी कंट्रोल प्राइस से दुगने दाम पर बिक रही है, क्या उसकी भी मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं खाद मंत्री नहीं हूं, खाद्य मंत्री हूं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि स्टाकिस्ट फर्जी ग्राहक रखते हैं और फर्जी नामों को रजिस्टर में चढ़ाकर सीमेंट का सेल दिखा देते हैं और जब कि वास्तव में वे उसका ब्लेक करते हैं ऐसा कोई केस जौनपुर में पकड़ा गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जौनपुर के किसी केस की तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं यह बता दूं कि बावजूद इसके कि हमारे पास कोई कंट्रोल की पावर नहीं है परन्तु हम अन्य पावर्स में इन चीजों को देखेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री जी ने जो बातें अपने भाषण में कही हैं क्या उनको वे आज शाम से लागू करने का इरादा रखते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह कहूंगा तो सब सतर्क हो जायेंगे। मैं पहले से ही इरादा रखता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

देहाती क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ब्लाक प्रमुख सीमेंट के एजेन्ट हैं और उनकी सांठ गांठ बी०डी०ओज० से है और वह उनसे फर्जी सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं और उसे ब्लैक में बेच देते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं कि ऐसे ब्लाक प्रमुखों को एजेंसियां न दी जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

एजेन्सी कम्पनियों की हैं। यह दुख की बात है कि हमारे देश में ज्यादातर चरित्रहीन प्रमुख, अन्य लोग और पार्टीज के लोग भी हैं और कहते हैं कि सरकार की कमजोरी है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

इससे पहले जब डी० आई० आर० के प्रयोग पर पाबन्दी नहीं थी, तो क्या मंत्री जी ने उसका इस्तेमाल इन ब्लैक मार्केटियर्स और प्राफिटियर्स के खिलाफ किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

डी० आई० आर० का प्रयोग किया हमने इन पर भी और सरकारी कर्मचारियों पर भी करने की कोशिश की।

श्री कमलासिंह यादव—

फिक्स्ड प्राइस पर लोगों को सीमेंट मिले, इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हम इन बातों पर रात दिन भारत सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल हो। उनका उत्तर आने पर ही हम कुछ कर सकते हैं।

श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

मेरी इस बात को सही मानकर कि जो प्राइस इस वक्त चलती है उसकी रसीद जो स्टाकिस्ट नहीं देता है और अधिक पर बेचता है उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी और उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात की है और यह तय हुआ है कि जिलाधीश के पास शिकायत आयेगी और जिलाधीश को संतोष हो जाय और वह रिपोर्ट करे कि एजेंसी काट दी जाय तो वह ऐसा करेंगे।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

किसान को सीमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या सरकार ऐसे आदेश जिलाधीशों के द्वारा जारी करायेगी कि जो सीमेंट विक्रेता हैं वह ५० फीसदी कुंएं आदि बनाने के लिये रिजर्व रखेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो जनरल पब्लिक के लिये कोटा है उसमें ५० प्रतिशत माइनर इर्रीगेशन के लिये रिजर्व कर दिया गया है जिसे वह बेच नहीं सकते जब तक कि उसकी सफाई न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
४ अगस्त, १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर)

तालिका

वर्ष		जमानत की शेष धनराशि (रुपयों में)	अभियुक्ति
१९६२–६३	..	१,४५६.४४	..
१९६३–६४	..	..	कोई भी धनराशि जमानत के रूप में वसूल नहीं की गई ।
१९६४–६५	..	७१९.२१	..
१९६५–६६	..	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।	हिसाब तैयार होने पर निश्चित धनराशि का पता लग सकेगा ।

विधान सभा सचिवालय देहरादून

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३।)

सूचना

दिनांक २२ अप्रैल, १९६६, को श्री खूब चन्द्र पुत्र नाथूराम, निवासी ग्राम गंगागढ़, थाना सोरों, जिला एटा ने थाने पर ११ बजे रात में रिपोर्ट की कि उसी दिन ८ बजे रात में कुछ सशस्त्र बदमाशों ने उनके भाई भूरे लाल तथा अन्य लोगों पर हमला किया और बाद में गोलियां चलायीं तथा लटना शुरू कर दिया। भूरे लाल की पत्नी, शोरा देवी, की गोली लगने से, मृत्यु हो गई और भूरे लाल तथा उनकी दो लड़कियों को चोटें भी आयीं डकैत नक ी तथा जेवर आदि भी लूट ले गये थाने पर इस सूचना के प्राप्त होने पर धारा ३९६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज किया गया और जांच आरम्भ की गई। अब तक दो अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं जिनमें से एक धारा ४१२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत पकड़ा गया। दो अन्य व्यक्तियों ने न्यायालय में समर्पण किया। दो व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी गई है। जांच जारी है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८९ एल० ए०—१९६६—८४६।